भिक्षु जीवन

कि

आचारसंहिता

- विनयपिटक क्या है?

- विनय के मुख्य बिंदु

- पातिमोक्ष के 227 नियम

- भिक्षु के क्या कर्तव्य है?

विनय किस लिए बनाए गए है ?

विनय कर्म हर संभव पारिस्थितीओं मे भिक्षु को अनासक्त रहने का प्रशिक्षण देता है|

यही वही है जो भिक्षु को मध्यम मार्ग अनुसरण करने का ओर उसपर मे बने रहने को प्रोसाहित करता है, यह भिक्षु को मजबूर करता है कि वो अपने प्रत्येक कार्य के बारे मे हर समय जागरूक (सजग) रहना चाहिए, क्योंकि इसके माध्यम से हि संभव है कि भिक्षु किसी भी आपत्ति से (दोष) बच सकता है |

विनय का पालन करने से भिक्षु को व्यर्थ कि चीजों से दुर रहने कि सीख मिलती है, ओर विनय के नियम भिक्षु को व्यर्थ कि चीजों मे समय ओर ऊर्जा बर्बाद करने से रोकते है |

विनय भिक्षु के लिए हितकर ओर लाभकारी है, क्योंकि हर पारिस्थितीओं का सामना करके भिक्षु निर्दोष ओर परिशुद्ध रहता है |

जो कोई भिक्षु विनय के नियमो का कड़ाई से पालन करता है, वो अपनी पवित्रता ओर संतुलित जीवन से लोगो के सामने एक उत्तम उदाहरण स्थापित करता है|

विनय कर्म भिक्षु के लिए दिशा ओर निर्देशो का एक संग्रह है, जो कि भिक्षु को अपने शिलों को कड़ाई से पालन करने को प्रोत्साहित करता है|

विनय भगवान बुद्ध कि शिक्षाओं को सुरक्षा करता है| विनय के बिना संघ का होना असंभव है| ओर संघ के बिना धम्म कि शिक्षा प्रसारित नहीं कि जा सकती, क्योंकि धम्म को पूरी तरह से समझ ने वाले विद्वानों का संघटित समुदाय (भिक्षु संघ) होना आवश्यक है, तभी भगवान कि शिक्षों को सुरक्षित रख कर आगे बड़ाया जा सकता है|

भगवान बुद्ध ने कहा है, उनकी शिक्षा लुप्त होने का विशेष कारण केवल ऐसे भिक्षु होंगे जो विनय के प्रति सम्मानीय नहीं होंगे|

उपासकों का विनय ओर संघ के प्रति आदर ÷

उपासक लोग संघ के प्रति बहोत समर्पित होते है | उपासक लोग भिक्षुओं के प्रति बहोत आदर ओर सम्मान प्रकट करते है,ओर भिक्षुओं को हर संभव मदत ओर योगदान देने मे तत्पर रहते है|

उपासकों कि श्रद्धा बनाए रखने के लिए एक विनयशील संघ होना अनिवार्य है,यह एक शर्मनाक बात है कि बिना विनयों का पालन किए कोई भिक्षु उपासकों के दिये हुए दान का आनंद उठाए|

भिक्षु का उपासकों से संपर्क अनिवार्य होता है, इसीलिए यह आवश्यक है कि भिक्षु नैतिक अनुशासन, धैर्य मे प्रतिष्ठित होने के लिए अथक परिश्रम करे|

विनय के नियमों का ठीक से पालन करने के लिए भिक्षु को सदैव चिंतित रहना चाहिए, इसी कारण से भिक्षु को सभी पतिमोक्ष नियमों को भली प्रकार समझ लेना चाहिए|

जो कोई भिक्षु विनय के नियमो को समझ ने मे गलती करता है, उसका यह कर्तव्य होता है कि दूसरे भिक्षु के पास (जो उसे जनता ओर समझता है) जाकर उसका निराकरन करे,

● विनय पालन करने के दस लाभ

1. भिक्षु संघ द्वारा विनय के नियमों का अनुमोदन किया जाता है| आवश्यकता के अनुसार जो विनय के नियम स्थापित किए गए है, ताकि भिक्षु संघ मे एक दुसरे को संरक्षित किया जाए |

2. विनय के नियमों को पालन करने से भिक्षु संघ मे शांति ओर सद्भावना बनी रहती है|

3. जो कोई भिक्षु दुशील आचरण करता है, विनय अधिकारो के अनुसार उस भिक्षु को संघ से निष्काषित करने की संभावना रहती है|

4. विनय के नियमों का पालन करने वाले भिक्षुओं को सुरक्षा प्रदान की जाती है, जो भिक्षु विनय अनुसार शीलवान होते है, गृहस्थ हमेशा उनकी मदत के लिए तत्पर रहते है|

5. वर्तमान की स्थिति मे जो कोई खतरे उत्पन्न होते है उनसे सुरक्षा होती है, ओर ऐसी जीवन शैली अपनाने की संधि मिलती है, जिसकी जड़े सही आचरण से जुड़ी हुई है|

6. भविष्य मे जो खतरे उत्पन्न होने की संभवना होती है उनसे भी सुरक्षा होती है, ओर ऐसे महान गुणो विकसित करने की संधि मिलती है जो की आने वाले भव मे भिक्षु जीवन पाने के लिए के अनुकूल हो|

7. भिक्षु शीलवान होने से गृहस्थों कि धम्म मे रुचि बड़ती है जो कि धम्म मे रुचि नहीं रखते है|

8. भिक्षु शीलवान होने से पहले से हि जो श्रद्धा उपासकों मे है, वह धम्म ओर संघ के प्रति ओर बड़ जाती है|

9. भगवान बुद्ध कि शिक्षाओं को स्थिर ओर स्थायी(लंबे समय तक) रखने के लिए,यह अनिवार्य है कि ऐसा एक संघटित समुदाय (भिक्षु संघ) हो जो एक सामान्य आचारसंहिता से(विनय के नियमों से) चलता हो |

10. विनय के नियम एक रूप मे कार्य करते है, जो कि भिक्षु को सदैव अपने आचरण प्रति जागरूक रखते है |

आपत्तिया(दोष)

जब हम भिक्षुओं द्वारा कि गए दोषो (आपत्ति) के बारे मे सोचते है, तो उन दोषो को सात प्रकारों मे बाटा गया है, या आठ प्रकारों मे विभाजित किया गया है| जो सभी संभवनीय दोष भिक्षुद्वारा घटित होते है उने सात प्रकारों मे बाटा गया है|

ओर दोषो कि गंभीरता ओर शुद्धिकरण के अनुसार उने पतिमोक्ष मे वर्गीकृत किया गया है

सात प्रकार की आपत्तीया

जिन दोषो को भिक्षुद्वारा किया जाता है उने पाली मे आपत्ति कहते है| ओर इन आपत्तीओं को सात प्रकारो मे बाटा गया है|

- **पाराजिका :-** यह आपत्ति होने से भिक्षु जीवन सदा के लिए समाप्त हो जाता है | वो भिक्षु फिर से गृहस्थ बन जाता है |
- **संघादिसेसा :-** यह आपत्ति होने से भिक्षु संघ कि सभा बुलाई जाती है | कम से कम बीस भिक्षुओं द्वारा दोषी भिक्षु का शुद्धिकरण किया जाता है|
- **थुल्लच्चया :-** यह एक गंभीर आपत्ति है |
- **पाचित्तिया :-** यह आपत्ति होने से मन तुरंत अकुशल कि ओर गिर जाता है|
- **पाटिदेसनिया :-** यह आपत्ति होने से इसे एक पाली गाथा के शब्दों मे स्वीकार करना पड़ता है|

- **दुक्कट :-** यह आपत्ति बुरे कार्य होते है दूसरों से आलोचना होने की संभावना है |
- **दुब्भासित :-** यह वाणी कि आपत्ति होते है दूसरों से आलोचना होने की संभावना रहती है |

पतिमोक्ष के 227 नियमों का आठ प्रकारों मे वर्गिकृत किया गया है|

- पाराजिका :- 4 नियम
- संघादिसेसा :- 13 नियम
- अनियता :- 2 नियम
- निस्सग्गिया पाचित्तिया :- 30 नियम
- पाचित्तिया :- 92 नियम

- सेखिया :- 75 नियम
- अधिकरण समथ :- 7 नियम

= 277 नियम

नियमों कि गंभीरता कि अनुसार विश्लेषण

➢ **पाराजिका :-** यह विनय मे बड़ी गंभीर आपत्ति है | जब किसी भिक्षु से पाराजिका आपत्ति हो जाती है, तो उसी क्षण उसका भिक्षु जीवन समाप्त हो जाता है | जो कोई भिक्षु इस आपत्ति को करता है, वो भलेही चीवर ना छोड़े या अपना दोष दूसरो से छिपाकर रखे तब भी उसका भिक्षु जीवन समाप्त हो जाता है|

➢ **संघादिसेसा :-** यह आपत्ति भी गंभीर श्रेणी मे आती है| जिस किसी भिक्षु से यह आपत्ति होती है, तब भिक्षु संघ कि सभा बुलाई जाती है, ओर इस दोष को कम से कम चार भिक्षुओं के सामने स्वीकारना पड़ता है | उसके बाद दोषी भिक्षु को

बीस भिक्षुओं के संघ द्वारा परिवास (दंड) दिया जाता है| यह एक लंबी ओर जटिल प्रक्रिया है |इस प्रक्रिया मे भिक्षु को तेरह बंधनों मे रखा जाता है|

परिवास का समय उस दिन से गिना जाता है ,जब भिक्षु कि संघादिसेस आपत्ती कब हुई ओर उसने कितने दिन तक छुपाई| उसके बाद उसको छह दिनो का **मानत्त** दिया जाता है|

जब दोषी भिक्षु को परिवास दिया जाता है, तब उसे रात मे दूसरे भिक्षुओं से अलग रखा जाता है|उस भिक्षु को अकेले विहार से बाहर जाने कि अनुमति नहीं होती|

उस भिक्षु को सभी भिक्षुओं के सामने अपना दोष बताना पड़ता है,जिन्हे वो देखता ओर सुनता है, ओर उस भिक्षु को अपने से वर्षावास मे छोटे भिक्षुओं भी सम्मान देना पड़ता है |इस परिवास के कालावधी मे दोषी भिक्षु कि वरिष्ठता खंडित हो जाती है, ओर उसे नए ओर छोटे भिक्षुओं से मिले सम्मान को भी ठुकराना होता है|

परिवास के अंतिम समय मे दोषी भिक्षु का शुद्धिकरण करने के लिए कम से कम बीस भिक्षुओं के संघ कि आवश्यकता होती है | फिर जहा सीमा है वहा सभी एकत्रित होकर विशिष्ट सूत्रों पठन कर उस भिक्षु का शुद्धिकरण कर के उसे फिर से संघ मे सम्मिलित किया जाता है|

- **थुल्लच्चया** :- पाराजिका ओर संघादिसेस को छोड़कर अन्य पाच प्रकार के दोषों को एक भिक्षु **आपत्ती देसना** कर स्वयं को शुद्ध कर सकता है| जिस किसी भिक्षु से अन्य पाच प्रकार के दोष होते है, वो दूसरे भिक्षु से आपत्तीदेसना कर उस दोष से मुक्त हो सकता है|

थुल्लच्चया दोष पाराजिका ओर संघादिसेस के बाद तीसरा गंभीर दोष है, इसकी गंभीरता देखते हुए इस दोष को आपत्ति देसना मे सबसे प्रमुख रखा गया है|

➢ **अनियता** :- ऐसे दोष जिनकी पुष्टि करनी कठीण है | देखनेवाला जानता है की कोई दोष है, परंतु उस दोष की स्पष्टता नहीं हो पाती |

➢ **पाचित्तिया** :- पाचित्तिया दोष आमतौर पर जानबूझकर किया जाता है, इन दोषों के कारण मन अकुशल कि ओर बड़ता है | परंतु कभी कभी होश मे न रहने कारण भी ऐसे दोष होते है| इनकी भी आपत्ति देसना करनी होती है |

➢ **पाटिदेसनिया** :- अन्य पाच प्रकार के दोषों कि आपत्ती देसना कर उन दोषों का शुद्धिकरण होता है, परंतु पाटिदेसनिया को अलग से प्रकट किया जाता है| इसके के लिए चार भिक्षुओं के सामने एक अलग गाथा का उच्चारण कर इस दोष को बताकर इसका शुद्धिकरण किया जाता है |

➢ **सेखिया** :- ऐसे नियम जो अनुशासन से बंधे है, ओर आचरण से संबंधित है|

➢ **अधिकरण समथा** :- इन नियमो से संघ मे उत्पन्न होने विवादो को सुलझाया जाता है| भिक्षु संघ मे जो भी विवाद उत्पन्न होते है उनका इसी प्रक्रिया के द्वारा निराकरन किया जाता है|

227 नियम

● चार पाराजिका (आपत्ति) दोष :-

➢ पाराजिका 1 :- संभोग नही करना |

जो कोई भिक्षु किसी सजीव प्राणी के साथ संभोग करता है, याने अपना लिंग किसी दूसरे किसी प्राणी (मनुष्य या इतर प्राणी) के भीतर समाविष्ट करता है| चाहे वो स्त्री हो या पुरुष उनके गुदा (मलद्वार) या मुख मे लिंग को समाविष्ट करता है, या अपने लिंग को अपने हि मलद्वार या मुख मे लेता है, या फिर किसी पशु (जानवर) के मलद्वार या मुख मे समाविष्ट करता है, चाहे वह जानवर नर हो या मादा या फिर किसी (ताजा) मृत शरीर के साथ संभोग करता है तो उसी क्षण वो भिक्षु पाराजिका हो जाता है| उसका भिक्षु जीवन पूर्णतह समाप्त हो जाता है|

भले हि वह भिक्षु संभोग के समय कंडोम का उपयोग करे या गृहस्थों के कपड़े पहनकर संभोग करे इन सभी परिस्थितीओं वो भिक्षु पाराजिका -: 1 दोषी होता है|

ऐसी छह परिस्थितीया जिसमे पाराजिका :- 1 दोष नहीं होता है (अपवाद)

1. जब भिक्षु सो रहा हो , या फिर गहरी नींद मे हो तब उसे पता हि ना हो कि उसके साथ कोई संभोग कर रहा है |

2. जब कोई भिक्षु संभोग के लिए सहमत नहीं है, या उसके ईच्छा के विरुद्ध कोई उसके साथ संभोग करता है| वो भिक्षु संभोग प्रक्रिया के समय उसका सुख नहीं भोगता | ऐसी स्थिति मे वह भिक्षु पाराजिका :- 1 दोषी नहीं है |

3. जब कोई भिक्षु बेहोशी के हालत मे हो, या संभोग प्रक्रिया के समय अपना दिमागी संतुलन खो चुका हो (पागल गो गया हो) तो ऐसे मे वह भिक्षु पाराजिका दोषी नहीं है|

4. संभोग प्रक्रिया के समय जब कोई भिक्षु किसी भुत या प्रेत वश मे हो, ओर अपने आप संभाल ने मे सक्षम नहीं है| ऐसी स्थिति मे वह भिक्षु पाराजिका :- 1 का दोषी नहीं है |
5. जब किसी भिक्षु को वासना कि इच्छाओं का कारण असह्य शारीरिक या मानसिक वेदनाए हो रही हो, ऐसे मे वह संभोग करता है तो वह पाराजिका :- 1 का दोषी नहीं है |

6. यदि भिक्षु ने यह पाराजिका दोष भगवान बुद्ध ने नियम बनाने के पहले किया हो तो वह भिक्षु पाराजिका दोषी नहीं है |

➢ **पाराजिका 2** :- चोरी नही करना |

यदि कोई भिक्षु चोरी के उद्देश से किसी दूसरे मनुष्यप्राणी कि वस्तुए चुराता है, ओर उस वस्तु का मूल्य भगवान बुद्ध के समय के अनुसार (1.06 ग्राम सोना + 1.06 ग्राम चांदी + 2.12 ग्राम तांबा) याने आज के समय भारतीय मुद्रा 5000 रुपये की आसपास की वस्तुए कोई भिक्षु चुराता है तो वह भिक्षु पाराजिका :- 2 दोषी है |

यदि किसी गृहस्थ(मालिक) ने अपनी वस्तुओं का त्याग कर दिया है,तो उसे लेने से भिक्षु पाराजिका :- 2 दोषी नहीं है|

यदि वस्तुए किसी पशु याने जानवर की हो ओर भिक्षु उसे चुराता है, तो वह भिक्षु पाराजिका :- 2 दोषी नहीं है |

जिस समय कोई भिक्षु चोरी के उद्देश से किसी मनुष्य की वस्तुए चुराता है, चाहे वो सिर का छोटासा बाल हि हो,ओर बाद मे उस वस्तु को त्यागता है या वापस लौटाता है, तो ऐसी स्थिति मे वह भिक्षु पाराजिका :- 2 का दोषी है|

जो कोई भिक्षु किसी दूसरे व्यक्ति से उसके लिए चोरी करने के लिए कहता है ओर वह व्यक्ति भिक्षु के लिए चोरी करता है, तो वह भिक्षु पाराजिका :- 2 का दोषी है|

पाराजिका :- 2 यह इतना सरल ओर सूक्ष्म दोष है, की वह किसी भिक्षु से हो भी जाएगा ओर उसे पता भी नहीं चलेगा | तो इसिलिए इस पाराजिका दोष से हमेशा सजग रहना जरूरी है |

यदि कोई भिक्षु जानबुझ कर वस्तुओं की तस्करी करता है| या किसी ओर से करवाता है जो की राज्य के नियमों के विरुद्ध है (उदा. जकात या टोल नाका से) ऐसी अवैद गतिविधिओं मे भिक्षु पाया जाता है, तो वह भिक्षु पाराजिका :-2 दोषी है |

या फिर कोई भिक्षु वैद टिकिट बिना प्रवास करता है, तो वह पाराजिका दोषी है|

या किसी गृहस्थ (जो किसी जानवरों का मालिक है) ऐसे व्यक्ति के सहमति के बिना दया या करुणा के कारण उस जानवर या जानवरों को मुक्त कर देता है (छोड़ देता है) तो वह भिक्षु पाराजिका :- 2 का दोषी होता है |

यदि अनेक भिक्षु एक साथ वस्तुओं की चोरी करते है, ओर उसे आपस मे बांट लेते है| यदि उन वस्तुओं को एकसाथ मिलाकर आज के भारतीय मुद्रा के अनुसार वस्तुओं मूल्य 5000 रुपये होता है, तो वो सभी भिक्षु पाराजिका :-2 के दोषी है |

यदि कोई भिक्षु मानसिक संतुलन खोने कारण (पागलपन) के कारण या भूलने की बीमारी के कारण या फिर किसी असह्य शारीरिक या मानसिक रोग के कारण किसी दूसरे भिक्षु या मनुष्य प्राणी कि वस्तुए लेता है , तो वह भिक्षु पराजिका दोषी नहीं है |

जब तक यह पाच कारण है तो पराजिका दोष होता है

1. चुराई गई वस्तु किसी मनुष्य कि है |
2. भिक्षु को पता है, कि वस्तु दूसरे कि है उसकी नहीं है |
3. चुराई गई वस्तु का मूल्य कम से कम (1.06 ग्राम सोना + 1.06 ग्राम चांदी + 2.12 ग्राम तांबा) आज कि भारतीय मुद्रा के अनुसार 5000 रुपये होता है |
4. भिक्षु का चोरी करेने का मानस (उद्देश) है|
5. ओर भिक्षु ने वस्तु कि चोरी कर ली|

➢ **पाराजिका 3** :- हत्या नहीं करना |

यदि कोई भिक्षु हत्या के उद्देश से किसी मनुष्य की हत्या करता है, या जो व्यक्ति आत्महत्या करना चाहता हो उसे हथियार(शस्त्र) देता है (ऐसा सोचकर की भिक्षु उस व्यक्ति पर दया कर उसकी मदत कर रहा है) ओर वो व्यक्ति उस शस्त्र से आत्महत्या करता है| यदि भिक्षु किसी रोगी या बीमार व्यक्ति को मरने के फायदे बताता है, वह बीमार व्यक्ति भिक्षु की सलाह मानकर दवाईया लेना ओर भोजन करना छोड़ देता है, ओर वो व्यक्ति मर जाता है, इन सभी परिस्थितिओ मे भिक्षु पाराजिका :- 3 दोषी होता है |

यदि भिक्षु किसी दुसरे व्यक्ति से कहकर किसी की हत्या करवाता है, या फिर किसी गर्भवती महिला को गर्भपात करने के लिए प्रोत्साहित करता है| उस भिक्षु की सलाह मानकर महिला गर्भपात करती है | यदि भिक्षु किसी दुसरे व्यक्ति से अनुरोध कर किसी रोगी व्यक्ति का (दया या करुणा के कारण) जीवन समाप्त करने के लिए कहता है (यह सोच कर की भिक्षु उस रोगी व्यक्ति का भला कर रहा है) ओर उस रोगी का जीवन समाप्त कर दिया जाता है|

इन सभी परिस्थितिओ मे भिक्षु पाराजिका :- 3 दोषी होता है |

यदि कोई भिक्षु आत्महत्या करता है, तब भी वह पाराजिका :- 3 दोषी होता है, ओर एक गृहस्थ की तरह हि मरता है |

यदि कोई भिक्षु दुसरे भिक्षु से कहकर किसी व्यक्ति की हत्या करवाता है, ओर वो दुसरा भिक्षु उस व्यक्ति कि हत्या कर देता है| ऐसे मे दोनो भिक्षु पाराजिका :- 3 दोषी होते है |

यदि अनेक भिक्षु किसी व्यक्ति कि हत्या कि योजना बनाते है, ओर उनमे से केवल एक हि भिक्षु हत्या करता है, तो ऐसी स्थिति मे वे सभी भिक्षु पाराजिका :- 3 दोषी होते है |

यदि कोई भिक्षु किसी व्यक्ति कि हत्या के लिए जाल बिछाता है,(याने गड्डा करना, विस्फोटक पदार्थ रखना,) याने ऐसी चीजों का प्रयोग करना जिससे किसी व्यक्ति के प्राण लिए जाए, ओर ऐसा करने से व्यक्ति मर जाता है, तो वो भिक्षु पाराजिका :- 3 का दोषी है |

जब तक यह पाच कारण है , तो पाराजिका :- 3 दोष होता है

1. जिसकी भिक्षुद्वारा हत्या कि गई वह एक मनुष्य है |
2. भिक्षु जानता है, कि मरनेवाला प्राणी मनुष्य है |
3. भिक्षु का हत्या करने या कराने का उद्देश है
4. भिक्षु हत्या करता है, या किसी दुसरे व्यक्ति से करवाता है |
5. मनुष्य कि हत्या हो गई|

➢ **पाराजिका 4 :-** ध्यानों कि अवस्थाओं के बारे मे झूठ नहीं बोलना याने जो प्राप्त नहीं हुआ उसका झूठा दावा नहीं करना |

यदि कोई भिक्षु डिंगे मारने के उद्देश से बड़ाचड़ा कर या फिर दुसरो से प्रतिष्ठा प्राप्त करने के लिए ध्यानो की अवस्थाओं प्राप्त करने का झूठा दावा करता है, तो वह भिक्षु पाराजिका :- 4 का दोषी है |

जो कोई भिक्षु यह झूठा दावा करता है कि उसके सारे क्लेश मिट गए है, ओर वह मार्गफल को प्राप्त हो चुका है | तो वह भिक्षु पाराजिका :- 4 का दोषी है |

जो कोई भिक्षु यह झूठा दावा करता है कि वह प्रथम ध्यान, द्वितीय ध्यान, तृतीय ध्यान, चतुर्थ ध्यान, ऐसे आठो ध्यानों को प्राप्त हो चुका है | तो वह भिक्षु पाराजिका :- 4 का दोषी है |

यदि वह भिक्षु यह झूठा दावा करता है कि वो अपने पुर्वजन्मो को देख सकता है या अन्य लोको को देख सकता है या फिर अन्य लोको मे ध्यान के बल से जा सकता है | तो वह भिक्षु पाराजिका :- 4 का दोषी है |

जो कोई भिक्षु यह झूठा दावा करता है कि वह सोतापन्न, सकदागामी, अनागामी या अर्हंत हो गया है | तो वह भिक्षु पाराजिका :- 4 का दोषी है |

(अपवाद) ऐसे कारण जिसमे भिक्षु पाराजिका दोषी नहीं होता

- यदि भिक्षु किसी ऐसे व्यक्ति को ध्यानो कि अवस्थाओं कि प्राप्ति का झूठा दावा करता है, जो भिक्षु के बातों को समझ नहीं पाता या ध्यान के बारे मे नहीं जानता (याने भिक्षु क्या कह रहा है वह व्यक्ति नहीं जानता) ऐसे मे वह भिक्षु पाराजिका दोषी नहीं होता |

- यदि कोई भिक्षु सच मे ध्यानो कि अवस्थाओं कि प्राप्ति का दावा करता है, जो उस भिक्षु ने प्राप्त किया है | याने उस भिक्षुने सच मे उन अवस्थाओं को प्राप्त किया है, ओर दूसरों को बताता है, तो वह भिक्षु पाराजिका दोषी नहीं होता |

- जो कोई भिक्षु ध्यानों का झूठा दावा करता है, ओर वह भिक्षु बड़ी श्रद्धा से भावविभोर उसे प्रकट करता है ओर मानता है कि उसने उस

अवस्था को सच मे प्राप्त किया है, ऐसे मे वह भिक्षु पाराजिका दोषी नहीं होता|

- जो कोई भिक्षु ध्यानों का दावा करता है परंतु वो भिक्षु उसे अलग तरीके से बताता है, याने भिक्षु कहता है(मेरे गुरु के शिष्य अर्हंत है) तो ऐसे मे वह भिक्षु पाराजिका :- 4 दोषी नहीं होता |

- जो कोई भिक्षु ध्यानों का झूठा दावा करता है, ओर सामने वाला व्यक्ति को उसी समय समझ मे नहीं आता कि भिक्षु क्या बोल रहा है (परंतु उस व्यक्ति को बहुत देर बाद मे वो बात समझ मे आ जाती है कि भिक्षु क्या बोल रहा था) तो तो ऐसे मे वह भिक्षु पाराजिका :- 4 दोषी नहीं होता |

जब तक यह पाच कारण है , तो पाराजिका :- 4 दोष होता है |

1. यदि भिक्षु दावा करता है, एक या दुसरे तरीके से कि उसने कि ध्यानों कि अवस्थाए प्राप्त कि जो कि झूठ है, ओर वो भिक्षु केवल बड़ाई मारने के लिए या दुसरो से प्रसिद्धि या प्रतिष्ठा प्राप्त करने के लिए ऐसा दावा करता है |
2. जो कोई भिक्षु यह झूठा दावा करे कि उसने प्रथम से लेकर आठो ध्यानों को प्राप्त किया है, या सोतापन्न, सकदागामी, अनागामी या अर्हंत हो गया है |

3. भिक्षु जिसके सामने ध्यानो कि अवस्थाओं कि प्राप्ति का झूठा दावा कर रहा है वह एक मनुष्य है |
4. जो कोई भिक्षु जिससे ध्यानों का झूठा दावा करता है, वह मनुष्य है |

तेरह संघादिसेसा (आपत्ति) दोष

➢ **संघादिसेसा 1 :-** जानबूझकर वीर्यपात नहीं करना

जो कोई भिक्षु हस्तमैथुन करता है या किसी ओर से अपना हस्तमैथुन करवाता है, उस कारण से उसका वीर्यपात हो जाता है | इस स्थिति मे भिक्षु संघ कि सभा बुलाई जाती है | वह भिक्षु संघादिसेस :- 1 का दोषी होता है |

भिक्षु को अपने हात से अपने लिंग को सहलाना नहीं है या फिर किसी यंत्र के सहारे भी लिंग को उत्तेजित नहीं करना है या लिंग जानबूझकर उत्तेजित कर हवा मे लहराना नहीं है | इन सभी कार्यों को भिक्षु करता है ओर उसके कारण भिक्षु का वीर्य छोटीसी मात्रा मे भी (याने एक मक्खी भी उसे पी सखे) इतनी मात्रा मे लिंग से बाहर आता है| तो ऐसी स्थिति मे वह भिक्षु संघादिसेस :- 1 का दोषी होता है |

यदि कोई भिक्षु सोने के समय वीर्यपात की इच्छा करता है; ओर अपने लिंग को अपने जांगों मे घिसता है ; या लिंग अपने मुट्ठी मे पकड़ता है | उस कारण से सोने के समय भी वीर्यपात हो जाता है | तो वो भिक्षु संघदिसेसा 1 का दोषी है |

(अपवाद) ऐसे कारण जिसमे भिक्षु संघादिसेस दोषी नहीं होता

1. सोते समय यदि भिक्षु का स्वप्न दोष के कारण वीर्यपात होता है, तो संघादिसेस दोष नहीं है |
2. शौच (toilet) करते समय अचानक से वीर्यपात होता है, तो संघादिसेस दोष नहीं है |
3. यदि भिक्षु को किसी रोग, घाव(ज़ख़म) ,या किसी कीड़े के काटने से लिंग पर दवाई लगानी पड़े ओर उस समय वीर्य बाहर आता है, तो वह भिक्षु संघादिसेस :-1 का दोषी नहीं है |
4. यदि वीर्यपात बिना उद्देश के होता है, याने नैसर्गिक या किसी रोग के कारण होता है, तो भिक्षु संघादिसेस :- 1 का दोषी नहीं है |
5. यदि कोई भिक्षु तीव्र वासना के कारण लगातार किसी महिला के शरीर को देख रहा है,ओर उस समय उसका अचानक वीर्यपात हो जाता है| तो वह भिक्षु संघादिसेस :- 1 का दोषी नहीं है |

- **संघादिसेसा 2 :-** किसी स्त्रीलिंग व्यक्ति नहीं छूना |

(जन्मी हुई छोटी बच्ची से लेकर बुड्डी औरत तक)

यदि भिक्षु वासना की इच्छा से किसी स्त्री,लड़की या उसी दिन जन्मी हुई बच्ची को छूता है, या उनके सिर के बाल को भी छूता है(काटे हुए बाल नहीं) तो भिक्षु संघ की सभा बुलाई जाती है | वह भिक्षु संघादिसेसा :- 2 का दोषी है | यदि भिक्षु वासना की इच्छा से किसी स्त्री, लड़की, या छोटी बच्ची के वस्तुओं को छूता है (जैसे की उसके कपड़े, गेहने, रुमाल,कंगी या अन्य ऐसी वस्तुए जिनका वो उपयोग करती हो, तो दोष है परंतु संघादिसेसा नहीं है (अपवाद ये है कि वह सभी वस्तुए उसके शरीर पर नहीं होनी चाहिए)

यदि कोई भिक्षु अपनी किसी रिश्तेदार महिला, लकड़ी, बच्ची(याने माँ, बहेन या बेटी) को बिना वासना कि इच्छा से छुता है, तो दोष है परंतु संघादिसेसा नहीं है|

यदि कोई भिक्षु किसी महिला, लड़की, या छोटी बच्ची को संयोगवश(गलती से) छुता है, तो कोई दोष नहीं है | या कोई महिला, लड़की, या छोटी भिक्षु को छुती है, ओर भिक्षु उसका सुख भोगता है | भलेही थोड़े समय या क्षण के लिए, तो वह भिक्षु संघादिसेसा :- 2 का दोषी है |

- **संघादिसेसा 3 :-** किसी महिला से अश्लील या संभोग संबंधी बात नही करना |

(जन्मी हुई छोटी बच्ची से लेकर बुड्डी ओरत तक)

जो कोई भिक्षु किसी महिला से वासना भरे चित्त से अश्लील या संभोग संबंधित बातचित करता है; जैसे एक युवक – युवती को मैथुन क्रिया के बारे मे बोलता है ; ऐसे मे भिक्षु संघ सभा बुलाई जाती है; क्योंकि वह भिक्षु संघादिसेसा :- 3 का दोषी है |

- **संघादिसेसा 4 :-** किसी महिला से वासना भरे मन से संभोग का दान नही मांगना या शरीर सुख से सेवा करने के लिए नही कहना |

(छोटी बच्ची से लेकर बुड्डी ओरत तक)

जो कोई भिक्षु वासना बारे मन से किसी महिला को शरीर सुख देकर सेवा करने के लिए कहता है; या उस महिला से यह कहता है मेरे जैसे शीलवान ब्रह्मचारी भिक्षु को संभोग क्रिया से सेवा कर के उसकी सदगति होगी उसका जन्म किसी अच्छे लोक मे होगा ओर उसे हर एश्वर्य मिलेगा | ऐसे मे भिक्षु संघ सभा बुलाई जाती है; क्योंकि वह भिक्षु संघादिसेसा :- 4 का दोषी है |

- **संघादिसेसा 5 :-** स्त्री ओर पुरुष(जोड़ो) को नही मिलना या इन दोनों के बीच मे मध्यस्ती नही करना |

जो कोई भिक्षु किसी स्त्री ओर पुरुष को मिलाने का कार्य करता है; या पुरुष की संभोग की इच्छा स्त्री को बताता है ओर स्त्री की संभोग की इच्छा पुरुष को बताता है; लड़का लड़की के प्रेम संबंधों के कारण दोनों को मिलता है ओर उनकी शादी करवाता है, ऐसे मे भिक्षु संघ की सभा बुलाई जाती है; क्योंकि वह भिक्षु संघादिसेसा :- 5 का दोषी होता है |

ऐसी तीन परिस्थितिया जो एकसाथ हो तो संघादिसेसा :- 5 का दोष है |

1. स्त्री ओर पुरुष की आकस्मित भेट कराने के लिए दोनों की जानकारी लेने की स्वीकृति देता है |
2. दोनों की जानकारी अपने पास रखता है |
3. इस जानकारी को आगे पहूचता या बताता है |

- **संघादिसेसा 6 :-** भिक्षु संघ की अनुमती के बिना स्वयं कुटी(आवास) नहीं बनाना , या अनुमती है तो जो कुटी बनाने के जो नियम(प्रमाण) के अनुसार हि बनाना |

जिस किसी भिक्षु को कुटी बना के देने वाला कोई न हो, ओर वो भिक्षु दूसरे से स्वयं अवजार मांगकर अपने लिए कुटी बनाते से समय भिक्षु को प्रमाण जानकर बनाना चाहिए कुटी बनाने का प्रमाण 2.70 मीटर (8.86 फीट) by 1.60 मीटर (5.24 फीट) है |

भिक्षु को कुटी बनाने से पहले संघ की सहमति लेनी चाहिए; ओर कुटी का निर्माण ऐसी जगह पे नहीं करना चाहिए जहा जीव जंतुओं की हानी होती हो| कुटी के चारो ओर इतनी जगह होनी चाहिए की एक बैलगाड़ी पूरी घूम सके | या कुटी के आजूबाजू गाय द्वारा खींची गई गाड़ी के चारो ओर घुमने के लिए पर्याप्त जगह होनी चाहिए|

यदि भिक्षु इन नियामों का पालन नहीं करता तो भिक्षु संघ की सभा बुलाई जाती है क्योंकि वह भिक्षु संघादिसेसा :- 6 दोषी होता है |

जो भिक्षु बड़ी गुफ़ा ओ मे रहते है उनके के लिए कोई दोष नहीं है |

- **कुछ ऐसे स्थान जहा भिक्षु अपने लिए कुटी नहीं बना सकता :-**

1. जहा प्राणियों का वास हो |
2. उपजाऊ जमीन याने खेती की जमीन |
3. स्मशान भूमि
4. शराब बेचने की दुकान या घर
5. जहा मांस बेचने के लिए प्राणियों को काटा जाता है |
6. जंक्शन ओर चौराहा |

- **संघादिसेसा 7 :-** भिक्षु संघ की अनुमती के बिना ओर जहा जीवित प्राणियों कि हानी होती ऐसे स्थान पर स्वयं विहार या आश्रम(मठ) नहीं बनाना, ओर विहार के चारो ओर गाय द्वारा

खींची गई गाड़ी(बैलगाड़ी) के चारो ओर घुमने के लिए पर्याप्त जगह होनी चाहिए |

जो कोई भिक्षु अपने लिए विहार या आश्रम बनाना चाहता हो; ओर संघ कि अनुमती के बिना विहार निर्माण का काम शुरू करता है ओर उसके कारण वहा रहने वाले जीवित प्राणियों कि हानी होती हो; तो ऐसी स्थिति मे भिक्षु संघ कि सभा बुलाई जाती | क्योंकि वह भिक्षु संघादिसेसा :- 7 का दोषी होता है |

कुछ ऐसी बाते जो भिक्षु को विहार बनाने से पहले ध्यान रखनी है|

1. भिक्षु को संघ को बुलाकर वो स्थान दिखाना चाहिए जहा भिक्षु विहार बनाना चाहता है ओर संघ कि अनुमती लेकर हि विहार या मठ का शुरू करना चाहिए|
2. विहार बनाते समय वहा रहनेवाले जीवित प्राणीयों कि हानी न हो | ओर जहा कि जमीन उपजाऊ याने खेती वाली नहीं होनी चाइए |
3. विहार या मठ के चारो ओर इतनी जगह रखनी है, कि चार गायों से लदी हुई गाड़ी आसानी से विहार के चारो ओर घूम सके|
   जो कोई भिक्षु विहार या मठ बनाने से पहले इन नियमों का पालन नहीं करता है; वह भिक्षु संघादिसेसा :- 7 का दोषी होता है |

- **संघादिसेसा 8 :-** दुसरे भिक्षु पर पाराजिका दोष करने का निराधार आरोप नहीं लगाना |

जो कोई भिक्षु ईर्ष्या या द्वेष का कारण किसी दुसरे भिक्षु कि प्रतिष्ठा मलिन करने के उद्देश से उस पर झूठा(तथ्यहीन) पाराजिका का दोष लगाता है; ओर कहता हि उसने देखा है ओर सुना है; इस प्रकार कि झूठी बाते बोलता है| तो इस स्थिति मे संघ कि सभा बुलाई जाती है; वह भिक्षु संघादिसेसा :- 8 का दोषी है |

- **संघादिसेसा 9 :-** किसी एक भिक्षुने किया हुवा पाराजिका दोष दुसरे भिक्षु पर नहीं लगाना |

जो कोई भिक्षु किसी दुसरे भिक्षु के बारे मे द्वेष के साथ दुष्ट मन से किसी दुसरे ने किया हुवा पाराजिका दोष उस भिक्षु पर लगाता है; जिसे वो पसंद नहीं करता ओर दोष झूठा साबित होता है; भिक्षु उसको बुद्ध शासन से निकालना चाहता हो | तो इस स्थिति मे संघ कि सभा बुलाई जाती है| आरोप लगाने वाला भिक्षु संघादिसेसा :- 9 का दोषी होता है |

उदाहरणार्थ :- संघ मे उपसंपन्न भिक्षु अनेक प्रकार के समुदाय, जाती, गोत्र, वर्ण, प्रदेश, से आते है; इस कारण से कोई भिक्षु किसी दुसरे भिक्षु पर ईर्षा या द्वेष के कारण उसे भिक्षु संघ से या बुद्ध शासन से निकालने के उद्देश से भिक्षु उसपर झुठा पाराजिका दोष लगाता है; ऐसे मे आरोप लगाने वाला भिक्षु संघादिसेसा :- 9 का दोषी होता है |

➢ **संघादिसेसा 9 :-** संघ मे फूट डालने प्रयास नहीं करना | (संघभेद नहीं करना)

जो कोई भिक्षु संघ की एकता मे फूट डालने का प्रयास करे ओर संघभेद कराने पर अडिग रहे; संघ के भिक्षुओं के बीच मे संतुलन या सामंजस्य नष्ट करने का प्रयास करे ओर भिक्षुओं के बीच मे मतभेद उत्पन्न करे; तो
ऐसे मे उस भिक्षु तीन बार समझना चाहिए कि " हे आयुष्मान संघ कि एकता मे भेद करने का प्रयास मत कीजिये | संघभेद का कारण मत बनिए ओर भिक्षु संघ का सामंजस्य नष्ट करने का प्रयास मत करो |

ऐसे तीन बार समझाने पर भी वह भिक्षु नहीं मानता है; ओर संघ मे फूट डालने कि जिद नहीं छोड़ता है; तो ऐसे मे संघ कि सभा बुलाई जाती है | वह भिक्षु संघादिसेसा :- 9 का दोषी है

जो कोई भिक्षु संघभेद करने का प्रयास करता है; यदि वो भिक्षु अपना मानसिक संतुलन खो चुका हो (पागल हो गया है) या बेहोशी मे है; या किसी तीव्र शारीरिक पीड़ा से ग्रस्त है, तो ऐसे स्थिति मे वह भिक्षु संघादिसेसा दोषी नहीं है |

अठरा प्रकार से संघ मे भेद करने का प्रयास किया जा सकता है

1. जो धम्म नहीं उसे धम्म कहता है |
2. जो धम्म है उसे धम्म नहीं कहता |
3. जो विनय नहीं है उसे विनय मानता है |
4. जो विनय है उसे विनय नहीं मानता |
5. जो बुद्ध की शिक्षा है उसे बुद्ध की शिक्षा नहीं मानता |
6. जो बुद्ध कि शिक्षा नहीं है उसे बुद्ध कि शिक्षा मानता है

7. जो बुद्ध के उपदेश है उसे उपदेश नहीं मानता|
8. जो बुद्ध के उपदेश नहीं है उसे उपदेश मानता है |
9. जो बुद्ध ने प्रमाणित किया है उसे नहीं मानता है |
10. जी बुद्ध ने प्रमाणित नहीं किया है उसे मानता है |
11. जो दोष नहीं हुआ उसे दोष मानता है |
12. जो दोष हुआ उसे दोष नहीं मानता |
13. जो छोटा दोष हुआ है उसे बड़ा दोष मानता है |
14. जो बड़ा दोष हुआ है उसे छोटा दोष मानता है |
15. जिस दोष मे अपवाद(छुट) है उस अपवाद को नहीं मानता |
16. जिस दोष मे अपवाद नहीं है उसमे अपवाद मानता है |
17. किसी असभ्य व्यवहार से कोई दोष हुआ है ऐसे मानता है; जो कि नहीं हुआ |
18. किसी असभ्य व्यवहार से कोई दोष हुआ नहीं है ऐसा मानता है; जो कि हुआ है |

➢ **संघादिसेसा 11 :-** संघभेद करने वाले भिक्षु को प्रोत्साहित नहीं करना या उसका समर्थन नहीं करना |

जो भिक्षु संघभेद करने का प्रयास कर रहा है; यदि उसके समर्थन मे एक या अनेक भिक्षु आ जाते है ओर बोलते है कि वो भिक्षु जो कुछ कर रहा है या बोल रहा है हम भी उससे सहमत है; तो उस एक या अनेक भिक्षुओं को तीन बार समझाना चाहिए , कि हे आयुष्मानो आप लोग ऐसा न कहे| आपलोग उस भिक्षु कि बातो मे आ के संघ भेद करने कि आशा मत कीजिए | आपलोग संघ के साथ एकजुट हो जाइए |

ऐसा तीन बार समझाने पर भी वे भिक्षु अपनी जिद नहीं छोड़ते है ओर अपनी मत पर अड़े रहते है;तो भिक्षु संघ कि सभा बुलाई जाती है| वे सभी भिक्षु संघादिसेसा :-11 दोषी होते है |

➢ **संघादिसेसा 12 :-** किसी भिक्षु के गलती ओं पर दी गई चेतावनी को नहीं मानना |

जो कोई भिक्षु विनय का सम्मान नहीं करता; बात नहीं मानता , मनमानी करता है संघ मे रहकर असभ्य आचरण करता है | ओर ऐसी बाते कहता है जो विनय के अनुसार नहीं हैं; ऐसा विनय के विपरीत आचरण या बात कराते हुए उसे दूसरे भिक्षु सुनते है या देखते है ; तो उस भिक्षु के व्यवहार पर नजर रखना आवश्यक होता है | ऐसे मे उस भिक्षु को तीन बार समझाना चाहिए कि;

हे आयुष्मान ऐसा मत कहो, ऐसा मत करो अवज्ञाकरी मत बनो; आज्ञाकारी बनो |

ऐसे तीन बार समझाने पर भी वह भिक्षु अपनी जिद्द पे अड़ा रहता है ; तो भिक्षु संघ की सभा बुलाई जाती है| वह भिक्षु संघादिसेसा :- 12 का दोषी है |

➢ **संघादिसेसा 13 :-** उपासकओं कि धम्म प्रति जो श्रद्धा हैं; उसे दूषित नहीं करना |

जो कोई भिक्षु गाँव या नगर मे दुराचारी होकर रहते हुए उपासक या दान दाताओं को दूषित कर धम्म के मार्ग से अलग करवाए ओर उसका यह आचरण भिक्षु संघ को देखने भी मिले ओर सुनने भी मिले तो उस भिक्षु को ऐसा समझाना चाइए " हे आयुष्यमान आप शुद्ध धर्म के मार्ग पर जाने वाले गृहस्थ दान-दाताओं के परिवारों को अधार्मिक मत बनाए|

आपका पापी आचरण देखने को मिला ओर सुनने को भी मिला | आपके कारण पतन हुआ उपासक दान – दाताओं का परिवार देखने मिला, सुनने को भी मिला |

इसलिए आप इस विहार को छोड़ कर चले जाएँ| आपके यहा रहने का कोई मतलब नहीं है|

ऐसा तीन समझाने पर भी वह भिक्षु अपनी जिद (मत) अड़ा रहे, ओर भिक्षु संघ पर उलटा दोष लगाए|

तो ऐसे मे भिक्षु संघ कि सभा बुलाई जाती है | वह भिक्षु संघादिसेसा :- 13 का दोषी होता है

उपासको कि श्रद्धा दूषित करने के कारण

जो कोई भिक्षु दान –दाताओं ने दिए गए दान को दूसरे लोगो मे बाट देता है या दान कि सामग्री बेच देता है| भगवान बुद्ध ने इसे स्वीकार नहीं किया | भिक्षु को शील पालन करने कारण दायकों से दान प्राप्त होता है | भिक्षु ओर गृहस्थों के बीच मे दान कि वस्तुओं का आदान प्रदान नहीं होना चाहिए | जो कोई भिक्षु ऐसा करता है उसके कारण संघ के अन्य भिक्षुओं प्रति उपासकों कि श्रद्धा दूषित होती है|

यदि भिक्षु को फल आदि दान मे मिलते है, तो वो भिक्षु जिस आश्रम मे रहता है, वहा के कर्मचारीओं के बीच मे बाट सकता है |

ओर भिक्षु भोजन कर लेने के बाद जो खाना बच जाता है, उसका योग्य उपयोग करने के लिए उपासको मे बाट सकता है |

थुल्लच्चया आपत्ति (दोष)

- यह थुल्लच्चया दोष (आपत्ति) 227 के पातिमोक्ष के नियामों मे नहीं है; इसिलिए इसे अलग से सिखाया ओर समझाया जाता है |
- थुल्लच्चया आपत्ति (दोष) भगवान बुद्ध के द्वारा स्थापित किए गये है; इन दोषो कि गंभीरता पाराजिका ओर संघादिसेसा दोषो से कम होती है|
- विस्तार से कहा जाए तो थुल्लच्चया ऐसा दोष है कि जो पाराजिका ओर संघादिसेसा दोषो के संबंधित या प्रारंभिक दोष है |
- याने किसी भिक्षु का पाराजिका या संघदिसेसा दोष होने से पहले थुल्लच्चया दोष हो जाता है |

पाराजिका के प्रारंभिक के थुल्लच्चया दोष :-

- **पाराजिका 1 के संदर्भ मे :-**

जो कोई भिक्षु अपने लिंग से दूसरे किसी जीवित प्राणी के लिंग मे या मलद्वार मे , मुख मे संभोग करता है;
तो वो भिक्षु पाराजिका दोषी है|

परंतु यदि ये सभी संभोग क्रिया वो भिक्षु किसी सड़ी हुई लाश या कंकाल से साथ करता है; तो वह भिक्षु थुल्लच्चया दोषी है |

इसी प्रकार कोई भिक्षु ये सभी संभोग क्रिया किसी मरकर सड़ी हुए प्राणी से करता है (उदा। हाथी का कंकाल, घोड़े का कंकाल, गाय का, बैल का, भैंस

का, या किसी इतर प्राणी के साथ) ऐसी परिस्थिति मे वह भिक्षु थुल्लच्चया दोषी है|

उस भिक्षु को उसी दिन आपत्ति देसना करनी होगी|

- ## पाराजिका 2 के संदर्भ मे :-

जो कोई भिक्षु आज के भारतीय रुपये 5000/- मूल्य के समान कि चोरी करता है तो वो पाराजिका दोषी है, परंतु यदि वो 1250/- कि चोरी करता है, तो वह थुल्लच्चया दोषी है|

जो कोई भिक्षु संघ को दान दी गयी वस्तुओं को बिना संघ कि अनुमति के अपनी इच्छा से किसी ओर को दे देता है| तो वह थुल्लच्चया दोषी है|

उस भिक्षु को उसी दिन आपत्ति देसना करनी होगी|

- ## पाराजिका 3 के संदर्भ मे :-

जो कोई भिक्षु किसी मनुष्य प्राणी कि हत्या करता है, तो वो पाराजिका दोषी है, परंतु भिक्षु हत्या के उद्देश से किसी व्यक्ति को जखमी करता है, तो वह भिक्षु थुल्लच्चया दोषी है|
यदि भिक्षु किसी यक्ष , नाग ओर प्रेत योनि के प्रणियों कि हत्या करता है तो वह उस भिक्षु की थुल्लच्चया आपत्ति है|
यदि भिक्षु विष की जांच करने के लिए उस विष का उपयोग किसी मनुष्य पर करता है तो वह उस भिक्षु की थुल्लच्चया आपत्ति होती है

उस भिक्षु को उसी दिन आपत्ति देसना करनी होगी |

- ## पाराजिका 4 के संदर्भ मे :-

जो कोई भिक्षु दिखावा, बड़ाई मारने के लिए झूठा दावा करता है कि उसने ध्यानों कि अवस्थाओं को प्राप्त किया है|
तो वो भिक्षु पाराजिका दोषी है | परंतु भिक्षु ऐसे व्यक्ति के सामने ध्यानों कि अवस्थाओं का झूठा दावा कर रहा है; जिसे समझ मे नहीं आता कि भिक्षु क्या बोल रहा है, ऐसे वो भिक्षु थुल्लच्चया दोषी है |

उस भिक्षु को उसी दिन आपत्ति देसना करनी होगी |

संघादिसेसा के प्रारंभिक के थुल्लच्चया दोष :-

- ## संघादिसेसा 1 के संदर्भ मे :-

जो कोई भिक्षु हेतुपूर्वक वीर्यपात करता है; तो वह संघादिसेसा – 1 का दोषी है| परंतु वो भिक्षु बिना वीर्यपात किए केवल हस्तमैथुन करता है ; तो वह थुल्लच्चया दोषी है |

उस भिक्षु को उसी दिन आपत्ति देसना करनी होगी |

- ## संघादिसेसा 2 के संदर्भ मे :-

जो कोई भिक्षु वासना भरे मन से किसी छोटी बच्ची से लेकर बुड्डी महिला को छूता है ; तो वो भिक्षु संघदिसेसा – 2 दोषी है | परंतु वो भिक्षु वासना भरे मन से उसके कपड़ो को, या गहनों को, बालो मे लगाए हुए फूल को या ऐसी चीजों को जी की वो महिला उपयोग करती है | ऐसे मे वो भिक्षु थुल्लच्चया का दोषी है |

यदि भिक्षु वासना भरे मन से किसी किन्नर (हिजड़े) या यक्षिणी को छूता है तो वह भिक्षु थुल्लच्चया दोषी है |

उस भिक्षु को उसी दिन आपत्ति देसना करनी होगी |

- ## संघादिसेसा 3 के संदर्भ मे :-

जो कोई भिक्षु वासना भरे मन से किसी छोटी बच्ची से लेकर बुड्डी महिला से अश्लील या मैथुन संबंधी बातचीत करता है; या स्त्री या पुरुष के लिंग के बारे मे बात करता है , तो वह संघादिसेसा – 3 का दोषी है | परंतु भिक्षु वासना भरे मन से किसी महिला से उसके या किसी ओर महिला के घुटने से लेकर कंधो तक के अवयवों के बारे मे(मलद्वार ओर लिंग को छोडकर) बात करता है ; तो वह भिक्षु थुल्लच्चया दोषी है |

उस भिक्षु को उसी दिन आपत्ति देसना करनी होगी |

- **संघादिसेसा 4 के संदर्भ मे :-**

जो कोई भिक्षु किसी (छोटी बच्ची से लेकर बुड्डी महिला तक) से संभोग से सेवा करने की इच्छा बताता है; तो वह भिक्षु संघादिसेसा :- 4 का दोषी है | परंतु कोई भिक्षु ऐसी बाते किसी ऐसे व्यक्ति से करता जो उभयलिंगी (दो लिंगो वाला याने स्त्रीलिंग पुल्लिंग दोनों एकसाथ है) ऐसे मे वह भिक्षु थुल्लच्चया दोषी है |

उस भिक्षु को उसी दिन आपत्ति देसना करनी होगी |

- **संघादिसेसा 5 के संदर्भ मे :-**

जो कोई भिक्षु किसी स्त्री या पुरुष दोनों बीच मे मध्यस्ती करता है, दोनों की खबरे (लिखित या मुखोस्त) रखता है | इन खबरों को आगे उन दोनों को मिलाने के लिए उपयोग करता है, ओर दोनों को मिलाता है, ऐसे मे वह भिक्षु संघादिसेसा 5 का दोषी है |

- मध्यस्ती करना
- दोनों की सूचनाए रखना
- दोनों को मिलाना

इन तीनों मे से भिक्षु दो परिस्थितीओं मे पाया जाता है; तो वह थुल्लच्चया दोषी है |

उस भिक्षु को उसी दिन आपत्ति देसना करनी होगी |

- **संघादिसेसा 10,11,12,13 के संदर्भ मे :-**

जो कोई भिक्षु विनय के विपरीत आचरण करने के कारण मनमानी करने के कारण; जब भिक्षु संघ उस भिक्षु को सीमा के अंदर ले जाकर कम्मावाचा का पठन कर रहे हो ओर दो बार वह पठन हो गया तब भी भिक्षु अपनी जिद (मत) छोड़ने को तैयार नहीं होता तो वह संघदिसेसा 10,11,12,13, का दोषी है|

(साधारण भाषा मे उस भिक्षु तो तीन बार समझाया जाता है फिर भी वो भिक्षु नहीं मानता है तो वो भिक्षु संघदिसेसा दोषी है, परंतु वो भिक्षु दो बार समझाने पर भी नहीं माना तो उसकी थुल्लच्चया आपत्ति है)

उस भिक्षु को उसी दिन आपत्ति देसना करनी होगी |

दूसरे प्रकार के थुल्लच्चया दोष :-

- जो कोई भिक्षु किसी मनुष्य का मांस खाता है, वह थुल्लच्चया दोषी है|
- जो कोई भिक्षु उल्लु (पक्षी) के परो का चीवर बनाकर या चीवर पर उस पक्षी का परो का उपयोग करे तो वो भिक्षु थुल्लच्चया दोषी है |
- जो कोई भिक्षु चीवर पर मनुष्य के बालों से बने कपड़े का उपयोग करे तो वो भिक्षु थुल्लच्चया दोषी है |
- जो कोई भिक्षु अपने लिंग को स्वयं काट देता है; तो वो भिक्षु थुल्लच्चया दोषी होता है |

- यदि भिक्षु किसी प्राणी को भगाने के उद्देश से हट लगाए तो **दुक्कट** आपत्ति है; ओर वो प्राणी अपने पैरों पर खड़ा होकर भगाने लगता है तो वह भिक्षु की थुल्लच्चया आपत्ति है |
- यदि भिक्षु को दूसरे की वस्तु या संपत्ति सुरक्षित रखने के लिए दी जाए ओर उसे वापस देने के लिए मना करे तो थुल्लच्चया आपत्ति होती है | यदि मामला कोर्ट मे जाता है ओर भिक्षु हार जाता है तो ओर एक थुल्लच्चया आपत्ति होती है |
- यदि भिक्षु किसी मालिक की जमीन पर दावा करे ओर मालिक को डर लगे की मेरी जमीन जा सकती है तो वह भिक्षु की थुल्लच्चया आपत्ति होती है| यदि मामला कोर्ट मे जाता है ओर भिक्षु हार जाता है, तो ओर एक थुल्लच्चया आपत्ति होती है |
- यदि एक पेड़ या पौधे को काटने के लिए आखरी वार की आवश्यकता हो ओर भिक्षु वह आखरी वार करके पेड़ या पौधा कट देता है तो वह उस भिक्षु की थुल्लच्चया आपत्ति है |
- यदि भिक्षु किसी सीमा को स्थानांतरित करता है याने किसी सीमा को एक स्थान से हटा कर दूसरे स्थान पर कर देता है तो वह उस भिक्षु की थुल्लच्चया आपत्ति है |
- जिस वस्तु पर सरकारी शुल्क लगता हो ओर भिक्षु उस शुल्क का भुगदान किये बिना वस्तु सीमा शुल्क क्षेत्र से बाहर लेकर जाता है तो वह उस भिक्षु की थुल्लच्चया आपत्ति है |
- यदि एक भिक्षु दूसरे भिक्षु के कोर्ट मे चल रहे धोकाधड़ी के मामले मे सहयोग करता है; यदि वो भिक्षु मामला जीत जाए तो पराजिका आपत्ति है यदि हार जाता है तो थुल्लच्चया आपत्ति होती है |
-

उस भिक्षु को उसी दिन आपत्ति देसना करनी होगी |

दो अनियता आपत्ति (दोष)

- **अनियता 1** :- एकांत स्थान पर किसी महिला के साथ संशय स्थिति मे होना |

जो कोई भिक्षु छोटी बच्ची से लेकर बुड्डी महिला तक के साथ किसी एकांत स्थान पर अकेला हो | या ऐसी जगह जहाँ शारीरिक संबंध बनाने का संशय उत्पन्न हो; ऐसी स्थिति मे भिक्षु को कोई विश्वसनीय उपासक या उपासिका देख ले ओर भिक्षु पर दोष लगाए (उदा। पाराजिका, संघादिसेसा, थुल्लच्चया या पाचित्तीया) ओर भिक्षु संघ से सामने आकर बताए |
तो ऐसे स्थिति मे उस भिक्षु उस भिक्षु को बुलाकर पुछा जाता है; की सच क्या है| ओर उस भिक्षु का यह कर्तव्य होता है कि, उस दोष कि सत्यता बताए| इस प्रकार कि आपत्ति उस भिक्षु के वचन पर ही स्थिर किए जाने कारण अनियता कही जाती है | याने अंतिम निर्णय उस भिक्षु के आपत्ति देसना पर निर्भर होता है |
(एकांत स्थान उदा. दीवारों के पीछे, पड़दे के पीछे, एकांत कोना या रूम)

➢ **अनियता 2** :- गृहस्थों से दूर जाकर किसी महिला से अकेले मे बातचीत करना |

जो कोई भिक्षु अन्य लोगो से दूर स्थान पर जाकर किसी छोटी बच्ची से लेकर बुड्डी महिला तक उनसे अकेले मे बातचीत करता है; ओर उन दोनों बातचीत किसी तीसरे को सुनाई नहीं देती | या तीसरे व्यक्ति को यह संशय आ जाए, कि दोनों के बीच मे मैथुन(संभोग) संबंधी चर्चा हो रही है| या दोनों किसी दूर स्थान पर बैठ कर चर्चा कर रहो ओर उनकी बाते किसी को सुनाई नहीं देती | ऐसे मे कोई विश्वसनीय उपासक या उपासिका उस भिक्षु पर दोष लगाए (उदा. संघादिसेसा, थुल्लच्चया या पाचित्तीया) ओर संघ को आकार बताए|

ऐसे परिस्थिति मे उस भिक्षु को संघ के सामने अपना पक्ष रखना होता है, ओर भिक्षु का यह कर्तव्य होता है; कि उस दोष कि सत्यता बताए |

यह आपत्ति (दोष) उस भिक्षु के वचन पर ही स्थिर किए जाने के कारण अनियता कही जाती है |

याने अंतिम निर्णय उस भिक्षु के आपत्ति देसना पर निर्भर होता है |

30 निस्साग्गिया आपत्ति (दोष)

निस्साग्गिया करने का मतलब अपनी वस्तु भिक्षु संघ के सामने या एक भिक्षु के सामने त्यागकर अपने अधिकार को छोड़ कर ही, इस आपत्ति से शुद्ध हुआ जाता है | इसलिए इसे निस्साग्गिय पाचित्तिया कहा जाता है |

- **निस्साग्गिया 1** :- दस दिन से ज़्यादा समय तक अतिरिक्त चीवर अपने पास नहीं रखना|

जो कोई भिक्षु बिना अधिष्ठान के अन्य चीवर दस दिन से आधिक समय तक अपने पास रखता है, तो वह उसकी निस्साग्गिया पाचित्तिया की आपत्ति (दोष) है | उस भिक्षु को तुरंत हि उस चीवर उस चीवर को संघ के या एक भिक्षु के सामने त्याग देना चाहिए ओर इस आपत्ति की देसना करनी चाहिए

अतिरिक्त चीवर त्याग ने कि पाली मे गाथा :-

" **इदं मे भन्ते / आवुसो चीवरं दसहतिक्कंतं निस्साग्गियं | इमाहं आयस्मतो निस्सजामि** |"

इसके बाद आपत्ति कि देसना कर प्रायश्चित करना चाहिए | आपत्ति से शुद्ध होने के बाद , आपत्ति स्वीकार किये हुये भिक्षु को पाली मे ऐसा बोलकर **"इमं चीवरं आयस्मतो दम्मि"** चीवर दुबारा वापस देना चाहिए|

- जब तक कोई भिक्षु अपने उपयोग कर रहे चीवर का अधिष्ठान नहीं छोड़ता है, तब तक वह दुसरे चीवर का अधिष्ठान नहीं ले सकता |
- यह नियम केवल पहनेवाले चीवर के लिए है,| भिक्षु ऐसा चीवर अपने पास रखता है; जिसका पड़दे या कारपेट या आसान बनाने लिए उपयोग हो, तो कोई दोष (आपत्ति) नहीं है |

- **चार अपवाद जिनके अनुसार भिक्षु बिना अधिष्ठान लिया हुआ चीवर अपने पास दस तीन से आधिक समय तक रख सखता है |**

1. जब चीवर का सिलाई का कम पूरा नहीं हुआ हो |

2. वर्षावास के समय भिक्षु जिस विहार या मठ मे वर्षावास कर रहा है; वहा कोई अशुभ स्थिती उत्पन्न हो जाए|
3. कठिन कालावधी के समय (याने जिस पोर्णिमा से वर्षावास शुरू होता है, ओर जिस पोर्णिमा त वर्षावास समाप्त होता है |
4. वर्षावास के पाच महीने के कालावधि मे जहा कठिन चीवर दान से वंचित रहे |

➢ **निस्साग्गिया 2** :- भिक्षु को अपने तीन चीवर (संघाटी,उत्तरासंग,अंतरवास) इनसे दूर रहकर रात नहीं बितानी है |

जो कोई भिक्षु अपने अधिष्ठान लिए हुए तीन चिवारों(संघाटी,उत्तरासंग,अंतरवास) से दूर रहकर रात बिताता है; तो उसकी निस्साग्गिया पाचित्तिया आपत्ति (दोष) है |

- यह आपत्ति होने से उस भिक्षु को उस चीवर को जिससे दूर रहकर रात बिताई है, उसे किसी भिक्षु के सामने त्यागना होता है |

चीवर त्यागने कि पाली मे विधि :-

“ इदं मे भंन्ते / आवुसो चीवरं रंत्ति विप्पवुत्थं अन्नत्र भिक्खु सम्मुतिया निस्साग्गियं | इमाहं आयस्मतो निस्सजामि “

इसके बाद आपत्ति कि देसना कर प्रायश्चित करना चाहिए |
आपत्ति से शुद्ध होने के बाद , आपत्ति स्वीकार किये हुये भिक्षु को पाली मे ऐसा बोलकर “ **इमं चीवरं आयस्मतो दम्मि**” चीवर दुबारा वापस देना चाहिए|

- जो कोई ऐसा सोचता है कि , उसे रात बिना चीवर के बितानी है (याने संघाटी, उत्तरासंग, ओर अन्तरवास) के बिना तो उसे उस चीवर का अधिष्ठान छोड़ना होगा, ऐसे मे उसकी निस्साग्गिया आपत्ति नहीं होगी |
- याने उस भिक्षु को चीवर का त्याग (पच्चुद्धरण) करना होगा

त्याग (पच्चुद्धरण) करने कि पाली मे विधि :-

संघाटी के लिए “ **एतं संघाटिं पच्चुद्धरामि** “

उत्तरासंग के लिए “ **एतं उत्तरासंगं पच्चुद्धरामि** ”

अन्तरवास लिए “ **एतं अन्तरवासकं पच्चुद्धरामि** “

अगर हमारा चीवर हमारे हाथ पर है तो पच्चुद्धरण करते समय ‘**इमं**’ का उपयोग करेंगे ओर अगर हमारा चीवर हाथ से दूर है तो

‘**एतं**’ का उपयोग करेंगे |

इस विधि का उपयोग कर भिक्षु अपने चीवर से दूर रहकर रात बिता सकता है | ओर बाद मे उस चीवर का वापस अधिष्ठान ले सकता है |

ऐसा करने से उसकी निस्साग्गिया पाचित्तिया आपत्ति नहीं होती |

- **निस्साग्गिया 3** :- चीवर सिलाई का कपड़ा एक महीने से आधिक समय तक अपने पास नहीं रखना |

आज के समय मे चीवर बना बनाया हि भिक्षु को मिलता है | तो निस्सग्गिया 3 होने का कोई संयोग नहीं होता |

- **निस्साग्गिया 4** :- भिक्षु ने ऐसी भिक्षुणी से चीवर धुलवाना या रंगाना नहीं है जो उसकि रिश्तेदार नहीं है|

जो कोई भिक्षु किसी ऐसी भिक्षुणी से अपना चीवर धुलवाता है रंगाता है जो कि उसकी रिश्तेदार नहीं है; सात पिढ़ि रिश्ते मे नहीं आती है | तो उस भिक्षु का निस्साग्गिया पाचित्तिया : - 4 होती है |
उस भिक्षु को वो चीवर त्यागना होगा|
(सात पिढ़ि रिश्ता उदा. दादी, नानी, माँ, बहेन, बेटी, पोती, नाती)

- **निस्साग्गिया 5** :- भिक्षु ने ऐसी भिक्षुणी से चीवर स्वीकार नहीं करना है जो उसकी रिश्तेदार नहीं नहीं |

जो कोई भिक्षु बिना आदान-प्रदान के किसी ऐसी भिक्षुणी से चीवर स्वीकार करता है जो उसकी रिश्तेदार नहीं है | तो ऐसे मे उस भिक्षु कि निस्साग्गिया पाचित्तिया आपत्ति होती है; उस भिक्षु को वो चीवर त्यागना होगा |

➢ **निस्साग्गिया 6** :- भिक्षु ने किसी ऐसे व्यक्ति से चीवर नहीं मांगना है, जो उसका रिश्तेदार नहीं है |

जो कोई भिक्षु किसी ऐसे दायक से चीवर कि मांग करता है; जो उसका रिश्तेदार नहीं है; ओर उस दायक से चीवर लेता है | तो उस भिक्षु कि निस्साग्गिया पाचित्तिया आपत्ति होती है | ओर उस भिक्षु को किसी एक भिक्षु के सामने मिला हुआ चीवर त्यागना होगा |

चीवर को त्यागने की पाली मे विधि :-

" इदं मे भन्ते / आवुसो चीवरं अन्नतकं गहपतिकं अन्नत्र समय विन्नपितं निस्साग्गियं | इमाहं आयस्मतो निस्सजामि " |

चीवर को त्यागने के बाद भिक्षु को आपत्ति देसना करनी चाहिए |

जो कोई भिक्षु दायक को बल पूर्वक (जबरदस्ती) चीवर मांगता है; या चीवर बनाने के लिए अच्छे उत्तम दर्जे का कपड़ा मांगता है तो वो भिक्षु निस्साग्गिया पाचित्तिया का दोषी है |

दायक से जबरदस्ती से लिए गए चीवर या उत्तम दर्जे के कपड़े कि कीमत यदि 5000 से ज्यादा हो तो पराजिका दोष भी हो सकता है |

➢ **निस्साग्गिया 7** :- यदि भिक्षु के तीनो चीवर (संघाटी, उत्तरासंग, अन्तरवास) खो जाए या चोरी हो जाए, ऐसे मे दायक से केवल दो चीवर मांगने है |

जिस भिक्षु के पास चीवर न हो या चोरी हो गया हो ओर रिश्तेदारी न होते हुए उपासक (दायक) या उपासिका अपने पसंद से उस भिक्षु को बहुत चीवर दे तो उस भिक्षु को केवल उत्तरासंग ओर अन्तरवास स्वीकार करना या मांगना चाहिए | उससे अधिक स्वीकार करे या मांगे तो निस्साग्गिया पाचित्तिया आपत्ति होती है |

जिस किसी भिक्षु का चीवर चोरी हो , पानी मे बह जाए , आग से जल जाए, या चूहे उसे कतर दे तो ऐसे मे वह भिक्षु रिश्तेदारी न होते दायकों से चीवर मांग सकता है |

➢ **निस्साग्गिया 8** :- जो कोई दायक पैसे बचाकर भिक्षु को चीवर देना चाहता है ; उससे भिक्षु को उत्तम दर्जे के चीवर नहीं मांगना है |

जो कोई भिक्षु रिश्तेदारी न होते हुए उपासक(दायक) या उपासिका किसी भिक्षु के लिए पैसे की बचत कर “इन पैसों से चीवर उस भिक्षु को चीवर खरीदकर दान दूंगा ऐसा सोच पैसा जमा करे ओर उस भिक्षु को न बताए लेकिन वो भिक्षु उस व्यक्ति के पास जाकर ऐसा कहे की “अच्छा होगा कि आप इन पैसों से इस इस तरह का चीवर खरीदकर मुझे दान कीजिए | तो निस्साग्गिया पचित्तीया आपत्ति होती है |

➢ **निस्साग्गिया 9** :- जो कोई दो दायक पैसे बचाकर किसी एक भिक्षु को चीवर देना चाहते है | उनसे उत्तम दर्जे के चीवर की मांग नहीं करनी है |

जिस किसी भिक्षु के रिश्ते मे न आनेवाले दो उपासक(दायक) " हमलोग इन पैसों से अलग – अलग चीवर खरीदकर उस भिक्षु दान करेंगे" ऐसा सोच पैसा जमा करे ओर उस भिक्षु को न बताए लेकिन वह भिक्षु उन दान – दाताओं के पास जाकर ऐसा कहे कि "अच्छा होगा कि आप दोनों मिलकर जमा किए हुए उन पैसों से इस इस तरह का एक चीवर खरीदकर मुझे दान दीजिए | तो वह भिक्षु कि निस्साग्गिया पाचित्तिया आपत्ति होती है |

➢ **निस्साग्गिया 10** :- भिक्षु ने अपने से कप्पिया नियुक्त नहीं करना है; ओर नाही कप्पिया से जबरदस्ती किसी वस्तुओं मांग करनी है |

किसी भिक्षु के लिए राजा, मंत्री या उपासक इनमें से कोई दूत(संदेशवाहक) द्वारा पैसा भेजकर ऐसा कहे कि "इन पैसों से चीवर खरीद कर उस भिक्षु को दान दो" ओर वह दूत उस भिक्षु के पास जाकर ऐसा बोले " भन्ते जी ! ये चीवर का पैसा जाकर आपके लिए है , यह स्वीकार कीजिये" | ऐसा बोलने पर उस भिक्षु के द्वारा दूत को पैसा बोलना चाहिए, "हे भाई, हमलोग चीवर के लिए उचित समय पर मिलने वाला चीवर स्वीकार करते है" |

तब वह दूत उस भिक्षु से ऐसा पूछे कि आपका कोई कप्पिय है; तो ऐसा कहने पर भिक्षु को कप्पिय कि नियुक्ति करनी है | ओर उस दूत को ऐसा बोले " यह हमारा

कप्पिया है; ऐसा कह पहचान करवाना चाहिए | तब वह दूत कप्पिया को पैसा देकर भिक्षु के पास जाकर ऐसा बोले "भन्ते जी, आपने जो कप्पिय दिखाया, उसे मे पैसा दे चुका हूँ | उचित समय आने पर आप उसके पास जाइए, तब वह आपको चीवर तैयार करवाकर दे देगा"|
जिस भिक्षु को चीवर कि अभिलाषा है, वो भिक्षु उस सेवक के पास जाकर ऐसा बोले कि "मुझे चीवर कि आवश्यकता है; ऐसा कह दो – तीन बार बोलना चाहिए | याद दिलाना चाहिए | दो – तीन बार बोलने के बाद चीवर तैयार करवाकर दे तो ठीक है, अगर नहीं दे तो चौथी बार, पाँचवी बार, ज्यादा से ज्यादा छठवी बार चीवर लेने के लिए उसके पास जाकर चुप रहना चाहिए | चौथी बार, पाँचवी बार, ज़्यादा से ज़्यादा छठवि बार चीवर लेने के लिए उसके पास जाकर चुप रहते समय चीवर तैयार कर के दे तो अच्छा है | अगर इससे भी ज्यादा चीवर पाने के लिए उत्साह करे ओर चीवर तैयार करवाकर ले तो निस्सागिया पचित्तिया आपत्ति होती है

अगर चीवर तैयार कर नहीं दे तो उस भिक्षु के लिए जो व्यक्ति पैसा भेजा, उसके पास स्वयं जाना चाहिए या दूत भेजकर ऐसा बताना चाहिए "हे उपासक आपने जिस भिक्षु को चीवर के लिए पैसा भेजा था, उन पैसों से उस भिक्षु को कोई कम नहीं आया | इसलिए आप अपना वो धन वापस ले ले ताकि धन की कोई हानि न हो | इसके लिए यही उचित प्रक्रिया |

- **निस्साग्गिया 11** :- भिक्षु को रेशम से बने कालीन (बिछावन) का उपयोग नहीं करना है |

जो कोई भिक्षु रेशम के धागे से कालीन बनवाए ; या किसी उपासक से मिले रेशम का बिछावन(कार्पेट) स्वीकार करे तो निस्साग्गिया पाचित्तिया आपत्ति होती है |

“आज कल ऐसे बिछवानो(कार्पेट) का बहोत कम उपयोग होता है, फिर भी निस्सीदान(भिक्षु का आसान) बनाते समय ध्यान रखना जरूरी है” |

- **निस्साग्गिया 12** :- भिक्षु को काली भेड़ के रोम से बने बिछावन का स्वीकार नहीं करना है |

जो कोई भिक्षु भेड़ की बिल्कुल काली रोम से बने बिछावन बनवाए या स्वीकार तो निस्साग्गिया पाचित्तिया आपत्ति होती है |

- **निस्साग्गिया 13** :- भिक्षु को ऐसा बिछावन उपयोग नहीं करना जो आधे से ज्यादा काले भेड़ की रोम से बना हो; ओर एक चौथाई सफ़ेद रोम बना हो |

भिक्षु के द्वारा नया बिछावन बनवाते समय भेड़ की बिल्कुल काली रोम दो का भाग होना चाहिए | तीसरे भाग के लिए भेड़ का सफ़ेद रोम होना चाहिए, चौथे भाग के लिए भेड़ का भूरा रोम होना चाहिए | यदि भिक्षु दो भाग काला रोम तीसरा भाग श्वेत रोम चौथा भाग भूरा रोम न लेकर किसी नये तरीके से बिछावन बनवाए तो निस्साग्गिया पाचित्तीया आपत्ति की प्रायश्चित करनी चाहिए |

- **निस्साग्गिया 14** :- जब तब भिक्षु का पुराना बिछावन (कार्पेट) छ: साल पुराना न जाए तब तक नया नहीं खरीदना है |

भिक्षु के द्वारा नया बिछावन बनवाकर छ: साल तक इस्तेमाल करना चाहिए | बिना भिक्षुओं की सम्मति से छ: साल के

अंदर अपना बिछवन बनवाए तो निस्साग्गिया पाचित्तिया आपत्ति की प्रायश्चित करनी चाहिए |

- **निस्साग्गिया 15** :- भिक्षु को पुराने आसान (निस्सीदन) का एक भाग जोड़े बिना नया आसान नहीं बनाना चाहिए |

बैठक का आसान (निस्सीदन) बनवाते समय भिक्षु को अपने पुराने आसान मे से भगवान बुद्ध जी के बित्ते से एक बित्ता (आज के समय मे 60 centimeters / 16.5 inches) इतना पुराना आसान का कपड़ा नये बन रहे आसान जोड़ना है | यदि भिक्षु ऐसा नहीं करता है | तो निस्साग्गिया पाचित्तीया आपत्ति की प्रायश्चित करनी चाहिए |

- **निस्साग्गिया 16** :- भिक्षु को अपने साथ तीन दिनों ज़्यादा भेड़ का रोम लेके प्रवास नहीं करना है |

लंबे रास्ते चलते समय यदि भिक्षु को भेड़ का रोम मिले ओर यदि वह चाहे तो ले सकता है | उस रोम के लेने के बाद ले जाने वाला कोई नहीं होने पर स्वयं सिर्फ तीन योजन से ज़्यादा लेकर जाए तो निस्साग्गिया पाचित्तिया आपत्ति की प्रायश्चित करनी चाहिए |

- **निस्साग्गिया 17** :- भिक्षु को किसी ओर के लिए भिक्षुणी से भेड़ का रोम धुलवाना, रंगवाना या रोम को सुलझाना नहीं है |

जो कोई भिक्षु रिश्तेदार नहीं हुई भिक्षुणी से भेड़ का रोम धुलवाए या रंगवाए या उलझे रोमों को सुलझवाए तो निस्साग्गिया पाचित्तीया आपत्ति की प्रायश्चित करनी चाहिए |

- **निस्साग्गिया 18** :- भिक्षु को पैसा स्वीकार नहीं करना है |

जो कोई भिक्षु सोना - चाँदी, रुपया - पैसा स्वीकार करे या दूसरें के द्वारा स्वीकार करवाए या अपने पास रखा हुआ पैसा हाथ से न लेकर मन से स्वीकार करे तो निस्साग्गिया पाचित्तीया आपत्ति कि प्रायश्चित करनी चाहिए |

- **निस्साग्गिया 19** :- भिक्षु को पैसे कमाने के उद्देश से दान मे मिले वस्तुओं आदान – प्रदान नहीं करना है |

जो कोई भिक्षु अलग – अलग प्रकार से रुपया – पैसा कमाने के लिए दान मे मिले वस्तुओं का आदान – प्रदान करे या अलग – अलग प्रकार से पैसे का इस्तेमाल करे तो निस्साग्गिया पाचित्तीया आपत्ति कि प्रायश्चित करनी चाहिए |

- **निस्साग्गिया 20** :- भिक्षु ने वस्तुओं का आदान – प्रदान नहीं करना है |

जो कोई भिक्षु वस्तुओं अलग – अलग प्रकार से क्रय विक्रय या व्यापार करे तो निस्साग्गिया पाचित्तिया आपत्ति कि प्रायश्चित करनी चाहिए |
यदि भिक्षु बिना पैसों के इरादो से किसी चीज को अच्छे उद्देश से ना की व्यापार के; यदि वस्तु का आदान प्रदान करता है तो कोई दोष (आपत्ति) नहीं है |

- **निस्साग्गिया 21** :- भिक्षु को दस दिन से अधिक समय तक अतिरिक्त भिक्षापात्र नहीं रखना है|

भिक्षु ज़्यादा से ज़्यादा दस दिन तक अतिरिक्त पात्र अपने पास रख सकता है | दस दिन से अधिक रखे तो निस्साग्गिया पाचित्तीया आपत्ति कि प्रायश्चित करनी चाहिए | उस पात्र को किसी भिक्षु के सामने त्यागना होगा |

पात्र को त्यागने कि पाली मे गाथा

“ अयं मे भन्ते / आवुसो पत्तो दसहातिक्कन्तो निस्सग्गियो, इमाहं आयस्मतो निस्सजामि “ |
यह गाथा कहकर भिक्षु को अपना अतिरिक्त पात्र दूसरे भिक्षु को देना होगा |
यदि भिक्षु चाहे तो वो पात्र वापस मांगकर उसका अधिष्ठान कर सकता है; या दूसरे भिक्षु को दे सकता है |

- **निस्साग्गिया 22** :- जब तक भिक्षापात्र को पाँच दरारे (छिद्र) न हो जाये तब तक उसे नया भिक्षा पात्र नहीं मांगना है |

यदि कोई भिक्षु अपने पुराने पात्र को कम से कम पाँच छिद्र न होने पर भी नया पात्र लेने के लिए प्रयास करे; तो उस भिक्षु को निस्साग्गिया पाचित्तीया आपत्ति प्रायश्चित करनी होगी |

ऐसे मे उस भिक्षु को नये पात्र को भिक्षु संघ के सामने त्यागना होगा |

पात्र को त्यागने कि पाली मे गाथा

“ **इमं मे भन्ते पत्तो ऊनपंन्च बंधानेन पत्तेन चेतापितो निस्साग्गियो, इमाहं संघस्सा निस्सजामि** ” |

यह गाथा बोलने के बाद भिक्षु को आपत्ति देसना कर शुद्धि करनी होती है|

➢ **निस्साग्गिया 23** :- भिक्षु को सात दिन ज्यादा औषधि खाद्य पदार्थ अपने पास नहीं रखने है |

रोगी हुए भिक्षुओं के लिए ये योग्य दवाइयों है | जैसे – घी, मक्खन, तेल, मधु, गुड, शहद | ये दवाईया स्वीकार करके अधिक से अधिक अपने पास सात दिन तक रखकर उपयोग कर सकता है | सात दिन से ज्यादा अपने पास रखे या उपयोग करे तो निस्साग्गिया पाचित्तीया आपत्ति की प्रायश्चित करनी चाहिए |

ऐसे खाद्य पदार्थ केवल भिक्षु इन परिस्थिओं मे उपयोग कर सकता है; जैसे की कमजोरी, ताकद कि कमी या फिर अन्य कोई बीमारी हो तो ऐसे बीमारी से भिक्षु ग्रसित हो तो वह इन पदार्थो का सेवन दिन ओर रात मे भी कर सकता है |

ऐसे पाँच प्रकार के खाद्य पदार्थ, जिनका सेवन किया जा सकता है |

इन पदार्थो का सेवन करने से पहले इने फ़िल्टर करना चाहिए | सेवन करते समय यह ध्यान रखे की वह ठोस कणो मे न हो |

बीमार भिक्षु को इसमे छुट है की वह शक्कर के टुकड़े या ठोस गुड का भी उपयोग कर सकता है |

सात दिन के समाप्ती के बाद भिक्षु को इन पदार्थों का त्याग करना है ओर यदि चाहे तो फिर से वह खाद्य पदार्थ उपासक से अर्पित कर अगले सात दिन के लिए उपयोग कर सकते है |

- **निस्साग्गिया 24** :- भिक्षु ने वर्षा ऋतु मे स्नान के लिए उपयोग होने वाले चीवर (वस्सिकसाटिकं) को पोर्णिमा के पहले सीना, धोना या रंगना नहीं है |

यदि कोई भिक्षु ओक्टोबर से मई के पोर्णिमा के बीच एक स्नान चीवर बनाने के लिए कपड़ा खोजता है |
यदि भिक्षु उस स्नान चीवर को ओक्टोबर से जून के पोर्णिमा के बीच सीता या रंगता है |
ओर भिक्षु यह अधिष्ठान लेता है कि ओक्टोबर ओर जुलाई के पोर्णिमा के बीच मे वह उस स्नान चीवर का उपयोग करेगा तो उस भिक्षु कि वह निस्साग्गिया पाचित्तीया आपत्ति है | उस भिक्षु को स्नान चीवर त्यागना होगा |
“स्नान चीवर (वास्सिकसाटिक) भिक्षु वर्षा के ऋतु मे स्नान के लिए उपयोग करते है |
यह चीवर भिक्षु किसी दूसरे भिक्षु सामने त्यागना होगा | ओर पाचित्तीया कि आपत्ति देसना करनी होगी |

चीवर त्यागने कि पाली मे गाथा

“ इदं मे भन्ते वास्सिकसाटिकचीवरं अतिरेकमासो सेसो गिम्हाने परियीत्थं अतिरेकअद्धामासो सेसो गिम्हाने कत्वा परिदहीतंग निस्सग्गियं, इमाहं आयस्मतो निस्सजामि “ |
ऐसा कहने के बाद भिक्षु को स्नान चीवर त्यागना होगा |

- **निस्साग्गिया 25** :- भिक्षु ने एक बार दान किया हुआ चीवर वापस नहीं मांगना है |

जो कोई भिक्षु किसी दूसरे भिक्षु को चीवर दान देकर बाद मे क्रोधित ओर अप्रसन्न होकर वापस छिने या किसी दूसरे के द्वारा छिनवाए तो उस भिक्षु निस्साग्गिया पाचित्तीया आपत्ति है |
यदि भिक्षु एक बार दान दिया हुआ चीवर वापस मांगे ओर सोचे कि चीवर मेरा है तो निस्साग्गिया पाचित्तिया आपत्ति है |
अगर एक भिक्षु किसी दूसरे भिक्षु कुछ वस्तु दान देता है ओर फिर वापस ले लेता है ;ओर फिर उस पहिले भिक्षु को याद आता है कि वो वस्तु उसकी नहीं है | तो ऐसे मे यदि भारतीय मुद्रा अनुसार वो 5000 मूल्य कि हो तो पहिले वाला भिक्षु पराजिका -2 का दोषी होगा | वो चीवर वापस दायक या उपासक को देना है |

- **निस्साग्गिया 26** :- भिक्षु को चीवर सिलवाकर नहीं लेना है |

जो कोई भिक्षु चीवर के लिए धागा मांगकर टेलर से चीवर सिलवाए तो भिक्षु की निस्साग्गिया पाचित्तीया आपत्ति होती है |
उस भिक्षु को आपत्ति देसना करनी होती है |

- **निस्साग्गिया 27** :- दायक या उपासक भिक्षु को चीवर दान देने कि योजना बनाते है , तो भिक्षु को चीवर बड़ा या उत्तम दर्जे का सिने के लिए नहीं बोलना है |

जिस किसी भिक्षु का रिश्तेदार नहीं हुआ उपासक या उपासिका टैलर के द्वारा चीवर सिलवाए ओर वो बात उस भिक्षु के न बताए तब वह भिक्षु स्वयं टैलर के पास जाकर यह कहे कि “ ये चीवर मेरे लिए सिलवाया

जा रहा है; इसलिए लंबी , चौड़ी ओर घनी रूप से इसकी सिलाई करो |अच्छे से सिलकर, धागा डालकर, अच्छे से किनारा डालकर, अच्छी तरह छांट कर बनाओ | एसके लिए मै भी तुमे कुछ दे दूंगा " ऐसा कह वह भिक्षु कम से कम पिण्डपात मे मिले भात का एक निवाला भी उस टैलर को दे तो निस्साग्गिया पाचित्तीया आपत्ति होती है |

उस भिक्षु को आपत्ति देसना करनी होगी |

- **निस्साग्गिया 28** :- भिक्षु को आपातकालीन परिस्थिति छोडकर दस दिन से ज्यादा अतिरिक्त चीवर अपने पास नहीं रखना है |

कार्तिक पूर्णिमा के दस दिन पहले अगर भिक्षु को अचानक अतिरिक्त चीवर मिले तो उस भिक्षु को वह चीवर अचानक मिलने के कारण स्वीकार करना चाहिए | इस तरह स्वीकार कर चीवर बांटने का समय आने तक वो चीवर अपने पास रखना चाहिए | अगर उससे ज़्यादा समय तक अपने पास रखे तो भिक्षु की निस्साग्गिया पाचित्तीया आपत्ति होती है | उस भिक्षु को आपत्ति देसना करनी होती है |

आपातकालीन स्थिति के अलावा भिक्षु वर्षा वास मे अतिरिक्त चीवर दस दिन से ज़्यादा नहीं रख सकता |

- **निस्साग्गिया 29** :- भिक्षु को अपना चीवर छः रातो से ज़्यादा किसी गाँव मे नहीं छोड़ना है | जबकि भिक्षु किसी भयानक स्थान पर निवास कर रहो |

वर्षा वास बितने बाद कार्तिक पूर्णिमा तक शंकायुक्त, भयानक माने जाने वाले जंगलों मे रहने वाला भिक्षु तीन चिवारों मे से एक चीवर कुटिया न रख, गाँव मे रख सकता है | उस भिक्षु को चीवर कि चोरी होने के भय से भिक्षु को ज़्यादा ज़्यादा छ: दिन तक उस चीवर से अलग रह सकता है |

भिक्षुओं कि सम्मति के बिना छ: दिनों से आधिक उस चीवर के बिना रहे तो भिक्षु कि निस्साग्गिया पाचित्तिया होती है | उस भिक्षु को आपत्ति देसना करनी होती है |

- **निस्साग्गिया 30** :- भिक्षु संघ को मिला हुआ दान किसी एक भिक्षुने अपने स्वार्थ के लिए उपयोग नहीं करना है |

जो कोई संघ को मिलने वाला लाभ,जानबूझकर अपने स्वार्थ के लिए उपयोग करे तो उस भिक्षु कि निस्साग्गिया पाचित्तिया आपत्ति होती है | उस भिक्षु को आपत्ति देसना करनी होती है |

बानवे पाचित्तिया आपत्ति (दोष)

पाचित्तिया आपत्ति का अर्थ शुद्ध उपसम्पन्न भिक्षु के सामने आपत्ति (दोष) को बताकर दुबारा वो आपत्ति नहीं करने के लिए वचन से वादा देकर शुद्ध हुआ जाता है | इसलिए इस आपत्ति को देसनागामिनी आपत्ति कहा जाता है |

ये शील टूटने से हमारा शुद्ध मन तुरंत अकुशल कि ओर गिर जाता है | इसलिए ये छोटी आपत्ति है, ऐसा कभी नहीं सोचना चाहिए |
अगर कोई भिक्षु इस शिक्षा को हल्के रूप से ले तो शिक्षा का अगौरव होता है, जो सर्वदा मुक्ति के मार्ग के लिए बाधक होता है |

- **पाचित्तिया 1** :- झूठ नहीं बोलना |

जो कोई भिक्षु जानबूझकर झूठ बोलता है, शरीर से झूठे हाव भाव दिखाता है या कोई झूठी बात लिखता तो भिक्षु कि पाचित्तिया आपत्ति होती है | उस भिक्षु को उसी दिन आपत्ति देसना करनी होगी |

- **पाचित्तिया 2** :- दूसरे भिक्षु का अपमान नहीं करना |

जो कोई भिक्षु दूसरे भिक्षु कि कमियाँ दिखाकर (उदा. नाम, गोत्र, जाति, प्रदेश, वर्ण) या द्वेष के कारण दूसरे भिक्षु का अपमान या निंदा करता है | तो पाचित्तिया आपत्ति होती है |
उस भिक्षु को उसी दिन आपत्ति देसना करनी होगी |

- **पाचित्तिया 3** :- भिक्षुओं के बीच मे मतभेद निर्माण नहीं करना |

जो कोई भिक्षु भिक्षुओं के बीच मे चुगली का कम करता है या किसी दो भिक्षुओं मे झगड़े करता है | तो वह भिक्षु कि पाचित्तिया आपत्ति है | उस भिक्षु को उसी दिन आपत्ति देसना करनी होगी |

- **पाचित्तिया 4** :- भिक्षुने अनुपसम्पन्न (याने सामनेर, सामनेरी, अनागरिक अनागरिका उपासक उपासिका) इनके साथ सुत्तों का ग्रंथो का, वन्दना का पठन नहीं करना है |

जो कोई भिक्षु किसी अनुपसम्पन्न के साथ बुद्ध वाणी, अक्षर – अक्षर, पद –पद, करके वंदना, सुत्त ओर ग्रंथो का पठन करे तो उस भिक्षु कि पाचित्तीया आपत्ति होती है | उस भिक्षु को उसी दिन आपत्ति देसना करनी होगी |

- **पाचित्तिया 5** :- भिक्षुने अनुपसम्पन्न (याने सामनेर, सामनेरी, अनागरिक अनागरिका उपासक उपासिका) इनके साथ रात एक छत के नीचे रात बितानी है |

जो कोई भिक्षु किसी अनुपसम्पन्न के तीन रातों ज़्यादा एक छत के नीचे एक हि रूम मे रहे तो उस भिक्षु कि पाचित्तीया आपत्ति होती है | उस भिक्षु को उसी दिन आपत्ति देसना करनी होगी |
यदि कोई भिक्षु तीन रातों से ज़्यादा किसी अनुपसम्पन्न के साथ एक हि छत के नीचे परंतु अलग अलग रूम रहता है तो उस भिक्षु कि **दुक्कट** आपत्ति है |

- **पाचित्तिया 6** :- जिस इमारत मे कोई महिला (पैदा हुई बच्ची लेकर बुड्डी औरत) तक रहती हो; उस इमारत मे भिक्षुने लैटना या सोना नहीं है |

जो कोई भिक्षु ऐसी इमारत मे लैटता या सोता है जहाँ एक भी महिला रहती हो तो वह भिक्षु कि पाचित्तीया आपत्ति है |
उस भिक्षु को उसी दिन आपत्ति देसना करनी होगी |

पाचित्तीया होने के लिए वह महिला भी उस इमारत मे लैटी या सोई हुई होनी चाहिए | यदि भिक्षु ऐसे रूम मे सोया या लैटा है, जहाँ बहुतसी महिलाये है ओर वो सभी खड़ी या बैठी है; तो भिक्षु कि पाचित्तीया आपत्ति नहीं है |
यदि भिक्षु ओर महिला एक हि इमारत के अलग अलग रूम मे रहते हुए; भिक्षु लैटता या सोता है तो आपत्ति **दुक्कट** होती है |

- **पाचित्तिया 7** :- भिक्षुने किसी भी महिला (पैदा हुई बच्ची लेकर बुड्डी औरत) को लगातार छ: से ज़्यादा धम्म के वचन नहीं सीखने |

जो कोई भिक्षु अपने पास समझदार पुरुष के न होने पर स्त्री को लगातार छ: वचनों से आधिक धर्म बताए तो, वह उस भिक्षु की पाचित्तीया आपत्ति होती है | उस भिक्षु को उसी दिन आपत्ति देसना करनी होगी|
यदि भिक्षु पालि छोड़कर दूसरी भाषा उपयोग करता है, तो महिलाओं को स्वतंत्र रूप से धम्म सीखा सकता है | भिक्षु महिलाओं को तिसरण ओर पञ्चसील पालि सिखाये तो कोई दोष नहीं है |
इस नियम के अनुसार वचनो या पद्यो का मतलब है की जो बुद्धवाणी तिपिटक मे रखी है उसे विशेष संरक्षण से रखा गया है | ऐसे ग्रंथों मे से महिला को छ : से ज़्यादा वचन नहीं सीखना है |
यदि भिक्षु अनेक महिलाओं को एकसाथ धम्म सिखाता है तो हर एक महिला को छ: धम्म के वचन सीखा सकता है |
भिक्षु यदि महिला को छ: धम्म के वचन के सिखाता है ओर भिक्षु ओर महिला दोनों अपनी जगह बदल देते है तो भिक्षु ओर छ: धम्म के वचन महिला को सीखा सकता है | तो दोष नहीं है |

- **पाचित्तिया 8** :- भिक्षुने जो ध्यान की अवस्था प्राप्त की है उसे अनूपसम्पन्न (याने सामनेर, सामनेरी, अनागरिक अनागरिका उपासक उपासिका) इनको नहीं बताना है |

यदि भिक्षु कोई ध्यान की अवस्था प्राप्त करता है (प्रथम से लेकर आठ ध्यानों तक) या किसी मार्गफल को प्राप्त करता है (सोतापन्न, सकदागामी, अनागामी या अर्हत) तक तो वह भिक्षु इसका दावा किसी अनुपसम्पन्न से करता है| तो उस भिक्षु की पाचित्तीया आपत्ति है | उस भिक्षु को उसी दिन आपत्ति देसना करनी होगी |

दूसरी ओर देखे तो यदि भिक्षु ध्यानों या मार्गफलों का झूठा दावा करता है तो पराजिका :- 4 आपत्ति होती है |
भिक्षु को ध्यानों या मार्गफलों का दावा दूसरे भिक्षुओं के सामने भी नहीं करना है|

- ऐसे चार अपवाद जब भिक्षु अपने ध्यानों ओर मार्गफलों का दावा कर सकता है |

1. यदि कोई हिंसक धमकी हो |
2. यदि समय समय पर अपमान का सामना करना पड़े, सम्मान की भयंकर कमी हो |
3. भिक्षु अपने अंतिम समय मे हो | (मरने के समय)
4. भिक्षु अपने गुरु को या साथी भिक्षु को जो उसके साथ ध्यानों का अभ्यास कर रहा हो |

- **पाचित्तिया 9** :- भिक्षुने किसी अनूपसम्पन्न (याने सामनेर, सामनेरी, अनागरिक अनागरिका उपासक उपासिका) इनको दूसरे भिक्षु कि संघदिसेसा आपत्ति नहीं बतानी है |

जो कोई भिक्षु संघ के अनुमति बिना किसी भिक्षु कि भारी आपत्ति (पाराजिका, संघादिसेसा) किसी अनुपसम्पन्न को बताए तो वह उस भिक्षु कि पाचित्तीया आपत्ति है |
उस भिक्षु को उसी दिन आपत्ति देसना करनी होगी|
जो कोई भिक्षु संघदिसेसा दोष करता है, उसे दुबारा न करे इसके लिए भिक्षु संघ कि सभा बुलाई जाती है ओर आपसी सम्मति से यह निर्णय लिया जाता है कि भिक्षु का संघदिसेसा दोष अनुपसम्पन्न को बताए जाए |
यदि कोई भिक्षु संघ कि अनुमति लेकर दूसरे भिक्षु का दोष बताए तो पाचित्तीया आपत्ति नहीं होती |

- **पाचित्तिया 10** :- भिक्षुने जमीन नहीं खोदनी है |

जो कोई भिक्षु जमीन खोदे या किसी दूसरे से खुदवाए तो वह उस भिक्षु कि पाचित्तीया आपत्ति होती है |
उस भिक्षु को उसी दिन आपत्ति देसना करनी होगी|
यदि भिक्षु जमीन खोदे या जमीन मे विस्फोटक का उपयोग करे, जमीन पर आग लगाए, जमीन को रूपांतरित करे, या ऐसे किसी उद्देश से जमीन कि क्षति करे तो पाचित्तीया आपत्ति होती है |
परंतु भिक्षु अप्रत्यक्ष रूप से किसी अनूपसम्पन्न को बता सकता है, “मे आपको सूचित करता हु कि थोड़ी जमीन हमे उपयोग मे लानी है” | ऐसे मे कोई दोष नहीं है |

- **पाचित्तिया 11** :- भिक्षुने पेड़ – पौधे नहीं काटने है |

जो कोई भिक्षु पेड़ पौधे (घास फूल – पत्तिया भी) काटे तोड़े या किसी दूसरे से कटवाए तो उस भिक्षु पाचित्तीया आपत्ति होती है | उस भिक्षु को उसी दिन आपत्ति देसना करनी होगी|
यदि कोई रोगाणु (जड़ तना जोड़ काली या बीज) को नष्ट करता है तो दोष है परंतु पाचित्तीया नहीं |
यदि कोई भिक्षु गलती से (बिना उद्देश के) किसी पेड़ पौधे को नष्ट करता है , तो कोई दोष नहीं है |

भिक्षु के लिए फलों का अर्पण :-

जिस फलो या पौधों मे उपजाऊ बीज होते है, उसे भिक्षु को अर्पित करने के लिए विनय मे नियम बताए गए है | (जिनमे खाद्य, अनाज, जड़े, पत्ते गन्ना आदि)
भिक्षु को इस तरह के फलो ओर पौधो का उपभोग करने के लिए तीन तरीके से उने अधिकृत करना होता है |

1. नाखून से उसे फल पर निशान करना |
2. आग से उसे अंकित करना |
3. चाकु से काटना |

भिक्षु को फल का उपभोग करने से पहले, कप्पिया (उपासक) या सामनेर उसे हात लगाकर ये कहना होता है यह फल भिक्षु के लिए है | ओर फिर उसे आग से निशान बनाकर, नाखून से निशान बनाकर या चाकू से काटकर भिक्षु को दिया जाता है |

जब भिक्षु को बिना अधिकृत किया फल खाने को दिया जाता है तो उसे कप्पिया (उपासक) या सामनेर से कहकर उस फल को अधिकृत करवाना चाहिए |

फल को भिक्षु को अधिकृत करने की गाथा :-

“ कप्पियं करोही”

इसके बाद उपासक या सामनेर यह कहेगा :-

“ कप्पियं भन्ते”

इन प्रकार के फलो ओर पौधों को भिक्षु को अधिकृत करवाना है |

(अदरक, मुली, गाजर, मक्का(भुट्टा), स्ट्राबेरी, कनक, बाजरा, सूरजमुखी के बीज इत्यादि)

- **पाचित्तिया 12** :- यदि संघ भिक्षु से आपत्ति के बारे मे पुछे तो भिक्षुने दूसरा कारण बताकर बातचीत को बदलना नहीं है |

  जो कोई भिक्षु संघ के द्वारा पूछे गए सवालों का ठीक से उत्तर नहीं देता या चुप बैठता है, तो उस भिक्षु की पाचित्तीया आपत्ति होती है | उस भिक्षु को उसी दिन आपत्ति देसना करनी होगी|

- **पाचित्तिया 13** :- भिक्षुने किसी दूसरे भिक्षु का अपमान या बदनामी नहीं करनी है |

  जो कोई भिक्षु किसी दूसरे भिक्षु के लिए असभ्य भाषा का उपयोग करे उस भिक्षु का अपमान करे या बदनामी करे तो पाचित्तिया आपत्ति होती है | उस भिक्षु को उसी दिन आपत्ति देसना करनी होगी|

- **पाचित्तिया 14** :- भिक्षुने विहार के गद्दे या कुर्सी को खुले मे या बाहर नहीं रखना है |

जो कोई भिक्षु संघ के बिस्तर या कुर्सी या दरी या आसान को बाहर (खुले आकाश मे) रखकर आश्रम से बाहर जाते समय उचित जगह पर न रखे या न रखवाए या बिना बताए ही विहार से चले जाए तो, पाचित्तीया आपत्ति होती है |
उस भिक्षु को उसी दिन आपत्ति देसना करनी होगी|

- **पाचित्तिया 15** :- भिक्षुने विहार का सोफ, बिछौना, आसान स्थानांतरित कर के वही नहीं छोड़ना है |

जो कोई भिक्षु भिक्षुसंघ के विहार मे सोफा, बिछौना, पलंग, गद्दे बिछाकर या बिछवाकर उनका उपयोग कर जाते समय उसे न उठाए या न उठवाए या बिना बताए चले जाए तो, पाचित्तीया आपत्ति होती है |

यदि भिक्षु दीमक या बारिश से बचाने के लिए सोफा, बिछौना, पलंग, गद्दे एक जगह से दूसरी जगह स्थालांतरित करता है, तो कोई दोष नहीं है |

- **पाचित्तिया 16** :- भिक्षुने किसी दूसरे भिक्षु के स्थान पर बैठना या लैटना नहीं है |

जो कोई भिक्षु भिक्षुसंघ के विहार मे पहले से आये हुये भिक्षु के बारे मे जानते हुए भी ऐसा सोचे कि ‘जिस किसी को कष्ट हो, तो वह बाहर चले जाए’ ऐसा सोच उस भिक्षु के बिस्तर के बीच मे बलपूर्वक सो जाए या उस भिक्षु के स्थान को अपना मान उपयोग करे तो उस भिक्षु कि पाचित्तीया आपत्ति होती है |
उस भिक्षु को उसी दिन आपत्ति देसना करनी होगी|

- **पाचित्तिया 17** :- संघ के विहार से किसी दूसरे भिक्षु को बाहर नहीं निकालना |

जो कोई भिक्षु क्रोधित ओर नाराज होकर किसी दूसरे भिक्षु को संघ के विहार से बाहर निकाले या निकलवाए तो, पाचित्तीया आपत्ति होती है |
उस भिक्षु को उसी दिन आपत्ति देसना करनी होगी|

यदि कोई भिक्षु, सामनेर बात न मानने वाला हो| असभ्य या दुराचारी हो | तो ऐसे भिक्षु को विहार से निकालने मे कोई दोष नहीं | जो भिक्षु या सामनेर दुराचारी हो संघ मे विवाद निर्माण करने वाला हो, या अपने गुरु की बात न मानने वाला हो तो ऐसे भिक्षु या सामनेर को विहार से निकालकर उसके वस्तुओं को भी बाहर फेका जा सकता है, ऐसे मे कोई दोष नहीं है |

- **पाचित्तिया 18** :- भिक्षुने कमजोर टूटी लकड़ी से बने ऊपरी छत के पलंग या कुर्सी का उपयोग नहीं करना है |

जो कोई भिक्षु भिक्षुसंघ के विहार मे कमजोर लकड़ी से बनाई गई उपरी छत की कुटिया मे कील से ठुकी ढीले पालन या कुर्सी पर बिना देख –विचार किए अचानक बैठे या सोये तो पाचित्तीया आपत्ति होती है |
उस भिक्षु को उसी दिन आपत्ति देसना करनी होगी|

यदि यह चार कारण एकसाथ हो तो पचित्तीया आपत्ति है

1. निचली मंजिल मे लोग हो |
2. दोनों मंजिलों की लंबाई किसी मनुष्य के लंबाई से ज़्यादा हो |
3. पलंग या कुर्सी की लकड़िया किले या खूटे से जोड़ी गयी हो |
4. वह विहार भिक्षु संघ हो |

- **पाचित्तिया 19** :- भिक्षुने तीन से अधिक परतों वाली छत का निर्माण नहीं करना है |

किसी विहार मालिक कोई उपासक हो ओर उसमे कोई भिक्षु रहता हो | तब उस भिक्षु को दरवाजा ओर खिड़की की चौखट को मरम्मत कर मजबूत करने के लिए मिट्टी लगानी चाहिए | ज़्यादा से ज़्यादा दो या तीन बार मिट्टी लगानी है; यदि तीन बार से ज़्यादा मिट्टी की परत लगाए तो भिक्षु की पाचित्तीया आपत्ति होती है |
उस भिक्षु को उसी दिन आपत्ति देसना करनी होगी|

- **पाचित्तिया 20** :- जिस पानी मे जीव जन्तु होते है भिक्षुने उस पानी को जमीन पे नहीं डालना है |

जो कोई भिक्षु जीव – जन्तु सहित पानी जानबूझकर पत्ते या मिट्टी पर छिड़के या छिडकवाए तो पाचीत्तीया आपत्ति है |

यदि भिक्षु यह जानते हुये भी की पानी मे जीवजंतु है (जो की पानी जीवित रह सकते है) ऐसे पानी को जमीन या घास पर फेकता है , या किसी ओर से फिकवाता है; तो वह उस भिक्षु की पाचित्तीया आपत्ति है |
उस भिक्षु को उसी दिन आपत्ति देसना करनी होगी|

- **पाचित्तिया 21** :- भिक्षुसंघ के अनुमति बिना भिक्षुने किसी भिक्षुणी को उपदेश नहीं देना |

जो कोई भिक्षु, भिक्षुसंघ कि अनुमति लिए बिना भिक्षुणीओं उपदेश करता है या उनको धम्म कि शिक्षा देता है; तो वह भिक्षु कि पाचित्तिया आपत्ति है |

उस भिक्षु को उसी दिन आपत्ति देसना करनी होगी|

केवल वही भिक्षु भिक्षुणीओं को धम्म कि शिक्षा दे सकता है जिसने भिक्षुसंघ से अनुमति ली है ओर आठ गुणो से परिपूर्ण हो |

भिक्षुणीओं को धम्म उपदेश करने के लिए भिक्षु के आठ गुण

1. जिसके शील परिशुद्ध हो ओर पातिमोक्ष का सम्मान करता हो |
2. जिसके पास तिपिटक का सामान्य ज्ञान हो |
3. जो शुद्ध मन से पातिमोक्ष के नियमों का पालन करता हो |
4. जो स्पष्ट शब्दों मे धम्म सिखाता हो ओर सही लय मे धम्म सिखाता हो |
5. जिसका भिक्षुणी संघ सम्मान या आदर करती हो |
6. जो भिक्षुणीओं को धम्म मे प्रवीण(अनुभवी) हो |
7. अपने पिछले गृहस्थ के जीवन मे किसी भिक्षुणी का दुलारा न हो| या किसी सयाली के साथ शारीरक संबंध ना बनाए हो |
8. जिसने भिक्षु जीवन के बीस वर्षावास पूर्ण किये हो याने वह भिक्षु महाथेरो हो |

- **पाचित्तिया 22** :- भिक्षुने सूर्यास्त के बाद भिक्षुणीओं को धम्म नहीं सीखना है |

जो कोई भिक्षु भिक्षुणीओं को सूर्यास्त के बाद धम्म कि शिक्षा देता है तो वह भिक्षु कि पाचित्तिया आपत्ति होती है |

उस भिक्षु को उसी दिन आपत्ति देसना करनी होगी|

- **पाचित्तिया 23** :- भिक्षुने भिक्षुणीओं को धम्म सीखने के उद्देश से उनके विहार नहीं जाना है |

जो कोई भिक्षु, भिक्षुसंघ के अनुमति बिना भिक्षुणीओं के विहार जाता है ओर उने धम्म सिखाता है तो वह उस भिक्षु कि पाचित्तीया आपत्ति है |
उस भिक्षु को उसी दिन आपत्ति देसना करनी होगी|
जब कोई भिक्षुणी रोगी हो या बीमार हो तो भिक्षु जो आठ गुणो से युक्त है ओर संघ से अनुमति लेकर भिक्षुणीओं के विहार मे जाकर उस भिक्षुणी को धम्म सीखा सकता है | उस भिक्षु को वापस आकार संघ के सामने जो कुछ भिक्षुणीओं से उपोसथ बारे मे बाते हुई है उसका विवरण देना है |

- **पाचित्तिया 24** :- भिक्षुने किसी दूसरे भिक्षु पर किसी लाभ प्राप्ति के लिए भिक्षुणीओं को धम्म सीखना ने का झूठा आरोप नहीं लगाना है |

जो कोई भिक्षु किसी दूसरे भिक्षु पर जो संघ से अनुमति लेकर भिक्षुणीओं को धम्म सिखाता हो ; ऐसे भिक्षु पर केवल भौतिक लाभ प्राप्ति के लिए भिक्षुणीओं को धम्म सिखाता है | ऐसा झूठा आरोप लगता है तो वह उस भिक्षु कि पाचित्तीया आपत्ति है |
उस भिक्षु को उसी दिन आपत्ति देसना करनी होगी|

- **पाचित्तिया 25** :- भिक्षुने अपनी ओर से भिक्षुणी को चीवर नहीं देना है |

जो कोई भिक्षु रिश्तेदार नहीं हुई अंजान भिक्षुणी के साथ अदला – बदली के बिना भिक्षुणी को चीवर देता है तो वह उस भिक्षु कि पाचित्तीया आपत्ति है |

उस भिक्षु को उसी दिन आपत्ति देसना करनी होगी|

- **पाचित्तिया 26** :- भिक्षुने किसी भिक्षुणी के लिए चीवर नहीं सिलना है |

  जो कोई भिक्षु रिश्ते मे न आनेवाली भिक्षुणी के लिए चीवर सिले या किसी दूसरे चीवर सिलवाए तो वह उस भिक्षु कि पाचित्तीया आपत्ति है |
  उस भिक्षु को उसी दिन आपत्ति देसना करनी होगी|

- **पाचित्तिया 27** :- भिक्षुने किसी भिक्षुणी के साथ यात्रा कि योजना नहीं बनानी है |

  जो कोई भिक्षु किसी भिक्षुणी के साथ नियोजन करके कम से कम एक गाँव से दूसरे गाँव तक एक साथ जाए तो वह उस भिक्षु कि पाचित्तीया आपत्ति है |
  उस भिक्षु को उसी दिन आपत्ति देसना करनी होगी|

- **पाचित्तिया 28** :- भिक्षुने भिक्षुणी के साथ नाव मे यात्रा नहीं करनी है |

यदि भिक्षु पहले से योजना करके भिक्षुणी के साथ नदी, तालाब या समुद्र मे नाव से यात्रा करता है तो वह उस भिक्षु कि पाचित्तीया आपत्ति है |

उस भिक्षु को उसी दिन आपत्ति देसना करनी होगी|

यदि भिक्षु पूर्वनियोजन के बिना नदी या तालाब के एक छोर से दूसरे छोर जाने के लिए भिक्षुणी के साथ नाव मे यात्रा करता है तो कोई दोष नहीं है |

- **पाचित्तिया 29** :- भिक्षुने भिक्षुणी के द्वारा बनाये गए भोजन को ग्रहण नहीं करना है |

जो कोई भिक्षु गृहस्थ द्वारा बनाए गये भोजन को छोड़ जानबूझकर भिक्षुणी द्वारा बनाये गये भोजन को ग्रहण करे तो वह उस भिक्षु कि पाचित्तीया आपत्ति है |

उस भिक्षु को उसी दिन आपत्ति देसना करनी होगी|

यदि निस्सागिया : 4 के संदर्भ मे देखा जाये तो जो भिक्षु रिश्ते मे आनेवाली भिक्षुणी से दिया गया भोजन ग्रहण करता है तो कोई दोष नहीं है |

- **पाचित्तिया 30** :- भिक्षुने दूर एकांत स्थान मे भिक्षुणी के साथ नहीं बैठना है |

जो भिक्षु किसी भिक्षुणी साथ दूर एकांत स्थान मे पाया जाता है; या दूसरों से दोनों अलग होकर किसी एकांत स्थान मे जाकर बात करते है , जहा उनकी बाते किसी तिसरे को सुनाई नहीं देती है | तो वह उस भिक्षु की पाचीत्तीया आपत्ति है |

उस भिक्षु को उसी दिन आपत्ति देसना करनी होगी|

(इस आपत्ति (दोष) के साथ अनियता 1ओर 2 का भी संबंध आता है ; इन दोषो से भिक्षु को परेशानीओं का सामना करना पड सकता है| इसलिए भिक्षु को सजग रहना अनिवार्य है)

- **पाचित्तिया 31** :- जो भोजनालय प्रवासी यात्रीओं के लिए है, वहा भिक्षुने लगातार दो बार भोजन नहीं करना है |

जिस भोजनालय या होटल मे यात्रीओं के लिए भोजन बनाया जाता है, वहा भिक्षु एक बार भोजन ग्रहण करने पर दूसरी बार भी उसी होटल या भोजनालय मे भोजन करता है, तो वह उस भिक्षु की पाचीत्तीया आपत्ति है |

उस भिक्षु को उसी दिन आपत्ति देसना करनी होगी|

- **पाचित्तिया 32** :- भिक्षुने बिना निमंत्रण के सार्वजनिक तैयार किया गया भोजन ग्रहण नहीं करना है |

  जो कोई भिक्षु बिना निमंत्रण के किसी सार्वजनिक स्थान या भोजनालय मे जाकर **पाच प्रकार के** भोजन ग्रहण करे तो पाचित्तीया आपत्ति होती है |

उस भिक्षु को उसी दिन आपत्ति देसना करनी होगी|

ऐसे भोजन का सेवन तभी किया जा सकता है, जब भिक्षु बीमार हो, चीवर दान का समय हो, चीवर सिलने का समय हो, दूर यात्रा पर जाते समय, नाव मे यात्रा करते समय या भिक्षु संघ एकत्रित हो तो ऐसे मे कोई दोष नहीं है |

भोजन देने या मांगने सही ओर गलत तरीका :-

यदि कोई दायक चार या अधिक भिक्षुओं के पास जाकर भोजन का निमंत्रण देता है; ओर कहता है (आदरणीय भंन्ते आप हमारे यहा भोजन स्वीकार करे) तो यह सही निमंत्रण होता है |

यदि दायक अनुचित भाषा का उपयोग करता है जैसे (अरे मेरे घर मे आकर भोजन करो) तो यह उचित निमंत्रण नहीं है |

यदि चार या अधिक भिक्षु , दायक को ऐसे तरीके से कहते करते है की (कृपया हम भिक्षुओं को चावल (भात) दान दीजिए) या हर एक भिक्षु उसी दायक को ऐसे ही कहता है कि (मुझे चावल दान कीजिए) तो ऐसा भोजन ग्रहण करने से उन सभी भिक्षुओं की पाचित्तीया आपत्ति होती है |

ऐसे सात अपवाद (छूट) जिस मे पाचित्तीया आपत्ति नहीं होती :-

1. यदि भिक्षु बीमार हो या जखमी हो; इस कारण से वह भिक्षु भिक्षाटन करने मे सक्षम नहीं है |
2. भिक्षु चीवर सिलाने के परिस्थिति मे हो ओर चीवर के लिए कपड़ा ढूंढ रहा हो या कठिन चीवर दान के लाभ से वंचित रहा हो |
3. भिक्षु कठिन चीवर दान के अवधि मे हो ओर कठिन का लाभ प्राप्त किया हो |
4. यदि कुछ भिक्षु एकसाथ चीवर सिलाने का या चीवर रंगने का काम कर रहे हो |
5. भिक्षु कम से कम आधे दिन का सफर कर चुका हो या पाच या छः किलोमीटर कि यात्रा कर चुका हो|
6. कुछ भिक्षु गाँव या नगर मे चारिका करते समय पर्याप्त चारिका प्राप्त नहीं कर पाते |

7. जो व्यक्ति अनुचित भाषा का उपयोग कर भोजन का निमंत्रण देता है वह कोई सामनेर, भिक्षु या भिक्षुणी हो |

पाच प्रकार के खाने के पदार्थ :-

1. सात प्रकर के पके हुये चावल (भात)
2. गेहु आटे से बने हुये केक या सेवईया
3. जौ के आटे से बने सभी प्रकार के केक
4. मछली (पानी मे रहने वाले प्राणीओं का मास)
5. मास (जमीन पे रहने वाले प्राणीओं का)

- **पाचित्तिया 33** :- भिक्षुने किसी एक गृहस्थ का निमंत्रण स्वीकार कर किसी दूसरे गृहस्थ के घर नहीं जाना है |

यदि एक भिक्षु, जिसे उपासक ने भोजन दान के लिए निमंत्रित किया हो; ओर वो भिक्षु उस उपासक के यहा भोजन नहीं करके या थोड़ा ही ग्रहण करके किसी दूसरे उपासक या दूसरी स्थान पर जाकर भोजन ग्रहण करे तो उस भिक्षु की पाचित्तीया आपत्ति होती है |

उस भिक्षु को उसी दिन आपत्ति देसना करनी होगी|

यदि कोई भिक्षु बीमार हो या चीवर को सिलाने काम कर रहा हो या चीवर सिलाने के लिए कपड़ा खोज रहा हो; तो ऐसे मे वह भिक्षु निमंत्रण के अलावा अन्य स्थान पर भोजन ग्रहण कर सकता है |

जब तब निश्चित तारीख की बात ना हो; ओर यदि एक भिक्षु को अनेक स्थानों से कई उपासको द्वारा निमंत्रित किया जाता है तो ऐसे मे उस भिक्षु को पहले जिस उपासक ने निमंत्रण दिया है उसका निमंत्रण स्वीकार कर आगे क्रम से उपासकों के निमंत्रणनो को स्वीकार करना है |

जिस किसी भिक्षु को पहले उपासक के निमंत्रण को छोड़ दूसरे उपासक पास जाना है तो उस भिक्षु को पहले उपासक के यहा किसी दूसरे भिक्षु को भेजना होगा |
याने निमंत्रण को बदली(हस्तांतरन) करना होगा |

निमंत्रण को हस्तांतरन करने का तरीका :-

जो भिक्षु पहले उपासक के यहा निमंत्रित है परंतु किसी कारण से दूसरे उपासक के यहा जाने कि इच्छा करता है; तो ऐसे मे आपत्ति (दोष) से बचने के लिए उस भिक्षु को किसी दूसरे भिक्षु , भिक्षुणी या सामनेर को पहिला निमंत्रण हस्तांतरित करना होगा |

निमंत्रण हस्तांतरित करने कि पाली मे गाथा

“ महयं भत्तपच्चासं तुहयं दम्मि”

इसके बाद भिक्षु स्वतंत्र रूप से किसी दूसरे उपासक के यहा जाकर भोजन ग्रहण कर सकता है | ऐसे मे उस भिक्षु कि आपत्ति नहीं होती |

- **पाचित्तिया 34** :- भिक्षुने चरिका के समय उपासक से मालपुवा, लड्डु या अन्य मिठाई तीन कटोरी से ज्यादा नहीं लेने है ; यदि भिक्षु के लिए वह पदार्थ ना बनाए गए हो |

एक भिक्षु उपासक से केवल दो या तीन बार हि मिठाईया स्वीकार कर सकता है | इसके पश्चात भिक्षु यदि अधिक मिठाई स्वीकार करता है जो कि चूहों ने खाई हुई हो; या उसी घर मे उसी दिन किसी दूसरे भिक्षुने दो या तीन कटोरी मिठाई ग्रहण कर ली हो; तो ऐसे मे उस भिक्षु कि पाचित्तीया आपत्ति होती है |

उस भिक्षु को उसी दिन आपत्ति देसना करनी होगी|

यदि भिक्षु एक घर से कटोरा भरी हुई मिठाई स्वीकार करता है; ओर उसे कोई दूसरा भिक्षु दिख जाता है तो उस भिक्षु दूसरे भिक्षु से यह कहना है कि "मुझे इस घर से अभी एक कटोरा मिठाई मिली है" ऐसे हि दूसरा भिक्षु तीसरे को ओर तीसरा फिर चौथे को बताएगा कि तीन भिक्षुओं ने इस घर से बारी बारी एक कटोरा मिठाई लेली है" अभी आप उस घर मिठाई स्वीकार मत कीजिए |

यदि एक भिक्षु उसी दिन किसी एक घर के सामने खड़ा होता है ओर एक हि बार मे दो या तीन कटोरा मिठाई बराबर मिलती है; तो उस भिक्षु को अन्य भिक्षुओं सूचित करना चाहिए|
जिस भिक्षु को एक हि घर से एक हि बार मे तीन कटोरा मिठाई मिली हो; तो उसे एक कटोरा अपने लिए रखकर अतिरिक्त मिठाई ऐसे भिक्षुओं बाट देनी है जो उस घर के निकट पोहोच चुके हो | यदि भिक्षु ऐसा नहीं करता है तो उस भिक्षु कि **दुक्कट** आपत्ति होती है |

- **पाचित्तिया 35** :- भिक्षुने एक बार भोजन समाप्त करने बाद दुबारा भोजन ग्रहण नहीं करना है; ओर भोजन करते समय अपना आसन छोड़ने बाद फिर से भोजन ग्रहण नहीं करना है |

भिक्षुने भोजन ग्रहण शुरू करने बाद यदि भिक्षु **पवारितो** करता है ; (याने आधिक भोजन लेने से माना करता है) याने उस भिक्षु ने भोजन समाप्त किया है | ओर इसके बाद कही ओर कुछ खाद्य पदार्थ खाता है तो वह उस भिक्षु की पाचित्तीया आपत्ति है |

उस भिक्षु को उसी दिन आपत्ति देसना करनी होगी|

जब भोजन परोसा जाता है तो उस समय भिक्षु यदि अपना हात पात्र के ऊपर रख कर ये दर्शाता है की (उसका भोजन पूरा हो गया है) तो ऐसे मे उस भिक्षु को ओर परोसा न जाए इसिको **पवारितो** कहा जाता है |

पवारितो की कुछ विशेषताएँ :-

1. यदि भिक्षु पाच प्रकार के मुख्य खाद्य पदार्थो मे से कम से कम एक पदार्थ खा रहा हो |
2. एक व्यक्ति चाहे वह भिक्षु हो या नहीं सेवा करने के का प्रस्ताव देता हो; भोजन शुरू होने के बाद पाच प्रकार के पदार्थ परोसना चाहता हो |
3. यदि भिक्षु पाच प्रकार के पदार्थो मे से एक पदार्थ का सेवन कर रहा हो; ओर जो पदार्थ परोसा जा रहा है वो भी पाच प्रकार के पदार्थो मे से एक है |
4. जो व्यक्ति भोजन परोस रहा है वह कम से कम 120 सेंटिमीटर या 40 इंच इतनी दूरी पर स्थित होता है |
5. यदि भिक्षु अधिक भोजन करने से मना करता है चाहे इशारो से कहकर या बोलकर |

जैसे ही यह पाच कारण एक साथ आते है तो भिक्षु **पवारितो** करता है |

यदि भिक्षु ने **पवारितो** कर दिया है ओर बिना **अतिरित** किए भिक्षु फिर से भोजन स्वीकारता है जो किसी बीमार भिक्षु का ना हो तो वह उस भिक्षु की पाचित्तीया आपत्ति है |

एक भिक्षु जिसने **पवारितो** कर दिया है तो वह ओर भोजन ले सकता है जब तब भिक्षु अपना आसन ना छोड़ता हो या दोपहर (12 बजे बाद का समय) बीत ना गया हो |

यदि भिक्षु **पवारितो** कर देता है ओर अपना आसन छोड़ देता है ओर फिर **अतिरित** करने बाद भिक्षु किसी बीमार भिक्षु का बचा हुआ भोजन सेवन करता है तो कोई दोष नहीं है |

जो भिक्षु पवारितो करने के बाद बिना अतिरित किये किसी बीमार भिक्षु का बचा हुआ भोजन सेवन करता है तो वह उस भिक्षु पाचित्तिया आपत्ति है |

अतिरित करने का तरीका :-

एक भिक्षु ने **पवारितो** कर भोजन लेने ने से माना किया है ; ओर वो भिक्षु फिर से 12 बजे अंदर ओर भोजन करना चाहता है तो उस भिक्षु को वापस उस भोजन को पात्र, बर्तन या कटोरे मे रखकर फिर से किसी भिक्षु से **अतिरित** (फिर से अर्पित करवाना) होगा |

पवारितो से बचने का उपाय :-

सभी परिस्थिओं मे स्वाभाविक रूप से करने लिए अच्छी बात यह होगी की पवारितो से बचा जाए | इसके के लिए भिक्षु को उपासक से दोबारा परोस ने मना किए बिना बस इतना कहना है की “अभी के लिए ठीक है यदि मुझे ओर आवश्यकता होगी तो मे बता दूंगा”| या अर्पण करके उस बर्तन को वही रखने के लिए बोलना चाहिए |

यदि उपासक थाली बिना छूए केवल मूह से बोलकर भिक्षु को फिर परोस ने का प्रस्ताव करता है जो कि पहले ही भिक्षु को अर्पित की गयी हो तो उस उपासक को इतना कि कहना है कि “अभी के लिए बस है ओर चाहिये होगा तो मै खुद से ले लूँगा” तो वह भिक्षु पवारितो नहीं करता है ओर कोई आपत्ति नहीं होती |

- **पाचित्तिया 36** :- भिक्षुने दूसरे भिक्षु को एक बार भोजन समाप्त कर लेने पर दुबारा कुछ खाने के लिए बलपूर्वक प्रोत्साहित नहीं करना है |

  यह जानते हुए कि एक भिक्षुने अपना भोजन समाप्त कर **पवारितो** कर दिया है; ओर दूसरा भिक्षु जानबूझ कर मज़ाक उड़ाने कि चाह से उसे खाद्य पदार्थ बलपूर्वक देते हुए ऐसा कहे "हे भिक्षु यह भोजन कर लो " तो ऐसा कहने वाले भिक्षु कि **दुक्कट** आपत्ति होती है

  यदि दूसरा भिक्षु ऐसे भोजन को स्वीकार कर ग्रहण करता है; तो उस भिक्षु कि खाद्य के प्रत्येक निवाले के साथ **दुक्कट** आपत्ति होती है ओर पूरा खा लेने बाद, जिस पहले भिक्षु ने खाने के लिए प्रोत्साहित किस उस भिक्षु कि पाचित्तीया आपत्ति होती है |

उस भिक्षु को उसी दिन आपत्ति देसना करनी होगी |

- **पाचित्तिया 37** :- भिक्षुने दोपहर 12 बजे के बाद किसी ठोस खाद्य पदार्थ (दात से चबाने वाले) का सेवन नहीं करना है |

  जो कोई भिक्षु दोपहर 12 बजे के बाद खाद्य पदार्थों का सेवन करता है तो वह उस भिक्षु पाचित्तीया आपत्ति है

उस भिक्षु को उसी दिन आपत्ति देसना करनी होगी |

सवेरा होने से लेकर दोपहर 12 बजे तक (याने आकाश मे सूरज मध्य हो) तो अवधि को पाली मे **काल** कहा जाता है (इसका अर्थ होता है सही समय) ओर इसके बाद दोपहर से लेकर अगली दिन कि सुबह तक पाली मे **विकाल** कहा जाता है (इसका

अर्थ है अनुचित समय) | भिक्षु को अनुचित समय किसी भी खाद्य पदार्थ का सेवन नहीं करना चाहिए (जो कि ठोस याने दात चबाने वाले पदार्थ हो) |

यदि भिक्षु रोगी या बीमार हो ओर उसे इस कारण दवाइयाँ लेनी पड़ती हो तो ऐसे मे दोपहर बाद ठोस पदार्थों का सेवन करने से कोई दोष नहीं है |

यदि भिक्षु तीव्र भूख से पीड़ित हो तो ऐसे मे कुछ तरल पदार्थों का सेवन करने कि छुट है | जैसे कि शक्कर का पानी, या ऐसे कुछ पदार्थों को छान कर रस बनाया गया हो |

कुछ ऐसे तरल पदार्थ जिसका भिक्षु को दोपहर के बाद सेवन करना मना है |

1. गाय या भैंस का दूध
2. सोयाबिन से बनाया गया दुध
3. कॉफी, दुध कि चाय
4. चॉकलेट का रस

एक स्वस्थ भिक्षु दोपहर के बाद केवल पानी का ही सेवन करना चाहिए|

एक भिक्षु जो रोगी या बीमार नहीं है उसे दोपहर से अगली दिन के सुबह तक किसी खाद्य पदार्थ का सेवन नहीं करना चाहिए| यदि भिक्षु किसी कारण से कमजोरी से ग्रस्त हो तो उसे गुड़ दिया जा सकता है ; परंतु उसे उस गुड़ को चुसना होगा ना कि दात से चबाना होगा |

इस नियम मे भोजन के प्रकार के अनुसार चार अवधिया (**कालिक**) बनाए गए है |

चार कालिक

- ## याव कालिक :-

सवेरा प्रारंभ होने (6.30am) से लेकर दोपहर (12.00pm) तक सभी प्रकार के ठोस पदार्थ का सेवन कर सकते है | इसके अलावा भिक्षु को दस प्रकार के प्राणीओं का मास खाना मना है |

ऐसे 10 प्रकार के प्राणीओं का मास भिक्षु को वर्जित है(सक्त मना है) |

1. मनुष्य का मास
2. कुत्ते का मास
3. घोड़े का मास
4. हाथी का मास
5. तेंदुए का मास
6. बाघ का मास
7. शेर का मास
8. भालु का मास
9. लकड़बग्गे के मास
10. साप का मास

- ## याम कालिक :-

सवेरा प्रारंभ होने से लेकर अगले दिन के सवेरे तक इस अवधि मे भिक्षु जो अधिकृत किये गए तरल पदार्थ **(पेय,रस)** है उसका सेवन कर सकता है |

भिक्षु के लिए अधिकृत पेय (तरल पदार्थ) :-

अच्छे तरीके से छाने हुए सब प्रकार के फलो का रस भिक्षु सेवन कर सकता है |

भिक्षु के लिए अनाधिकृत पेय (तरल पदार्थ) :-

सात प्रकार के चावल का रस, ककड़ी (खीरा) का रस, मटर का रस, सभी प्रकार के पत्तों को घोट कर बनाया गया रस भिक्षुने सेवन नहीं करना है |

- **सत्तह कालिक :-**

सात दिन की अवधि, इस अवधि मे भिक्षु को कुछ ऐसे खाद्य पदार्थो को स्वीकार कर रखने की अनुमति होती है |

भिक्षु के लिए सात दिन तक आधिकृत खाद्य पदार्थ :-

मक्खन, शहद, गुड़, तेल, चीनी, मधु इन खाद्य पदार्थों को रखने की अनुमति है |

पहले दिन की सुबह से लेकर सातवे दिन की सुबह तक भिक्षु इन खाद्य पदार्थो को अपने पास रख सकता है |

- **यावजीविक कालिक :-**

ऐसे दो पदार्थ है जो कभी भी स्वीकार किए जा सकते है; ओर भिक्षु इन पदार्थो सेवन आजीवन कर सकता है; ओर अपने पास रख सकता है |

वह दो पदार्थ है; पानी ओर दवाईया

यदि किसी स्वास्थ समस्या के कारण भिक्षु को कोई औषधीय खाद्य पदार्थ या दवाईया अपने पास रखनी पड़े तो वह आजीवन रख सकता है; बिना किसी उपासक से फिर से अर्पित किए |

➢ **पाचित्तिया 38** :- दोपहर (12 बजे बाद) भिक्षुने खाद्य पदार्थो का संग्रह नहीं करना है |

जो भिक्षु दोपहर मे अपना भोजन समाप्त कर अगले दिन के लिए खाद्य पदार्थो का संग्रह करता है; तो वह उस भिक्षु कि पाचित्तीया आपत्ति है |

उस भिक्षु को उसी दिन आपत्ति देसना करनी होगी |

सभी परिस्थितीओं मे दोपहर के बाद खाद्य पदार्थों का संग्रह नहीं किया जा सकता है | जो भिक्षु इस नियम का सम्मान नहीं करता है तो उस भिक्षु कि **दुक्कट** आपत्ति है | यदि कोई गृहस्थ किसी भिक्षु को दोपहर मे कोई खाद्य पदार्थ अर्पित करता है; तो उस व्यक्ति को बताना चाहिए कि भिक्षु दोपहर के बाद कोई खाद्य पदार्थ स्वीकार नहीं करते | यदि उपासक अगले दिन आने मे असमर्थ हो या विहार मे कोई दूसरा सेवक या सामनेर ना हो तो भिक्षु खाद्य पदार्थ को बिना हाथ लगाए; उस गृहस्थ को यह कह सकता है कि जो खाद्य पदार्थ आप दान देने के लिए लाये है उसे एक ओर रख दीजिए | तो वो भिक्षु अगले दिन अपने लिए उस खाद्य पदार्थ को फिर अर्पित करावा सकता है |

भिक्षु को अर्पित किए जाने बाद यदि भिक्षुने खाद्य पदार्थों को किसी समान्य गृहस्थ या सामनेर के सामने त्याग दिया हो तो वह उस खाद्य पदार्थो को वापस से नहीं ले सकता जब तक भिक्षुने फिर से अर्पित ना किया है |

यदि भिक्षापात्र अच्छे से साफ ना किया गया हो; या पात्र मे छेद या दरारे हो इसके कारण कुछ खाद्य पदार्थो के कण भिक्षा पात्र मे फस जाते हो या पहले दिन उस भिक्षा पात्र मे से खाने का तेल या कोई तरल पदार्थ लीक हो जाता है तो उस भिक्षु पाचित्तीया आपत्ति होती है |

ऐसे मे भिक्षु को भिक्षा पात्र हमेशा साफ सुतरा रखना जरूरी है; यदि भिक्षापात्र उपयोग मे लाने योग्य नहीं है तो उसे त्याग देना चाहिए |

- **पाचित्तिया 39** :- भिक्षुने उपासक से अपने लिए उत्तम भोजन दान देने कि मांग नहीं करनी है |

जो कोई भिक्षु अपने रिश्ते न आने वाले उपासक से उत्तम, स्वादिष्ट भोजन की मांग करे तो उस भिक्षु कि पाचित्तीया आपत्ति होती है |

उस भिक्षु को उसी दिन आपत्ति देसना करनी होगी |

ये स्वादिष्ट भोजन है | जैसे - घी, मक्खन, मधु, ईख कि शहद या गुड़, मछली, मांस, दुध, दही | जो कोई स्वस्थ (निरोगी) रहते हुए भी इस तरह के खाद्य पदार्थो कि मांग उपासक करे तो उस भिक्षु कि पाचित्तीया आपत्ति है |

यदि भिक्षु इन स्वादिष्ट खाद्य पदार्थो को अलावा ओर कोई विशिष्ट पदार्थ कि मांग उपासक से करता है तो वो भी पाचित्तीया आपत्ति होती है |

- **पाचित्तिया 40** :- जो भोजन अर्पित ना किया गया हो या हाथ मे ना दिया गया हो तो ऐसे भोजन को भिक्षुने ग्रहण नहीं करना है |

पानी, दातुन के अलावा यदि भिक्षु अन्य खाद्य पदार्थ अर्पित या हाथ मे दिये गये बिना ग्रहण करता है, तो भिक्षु कि पाचित्तीया आपत्ति है |

उस भिक्षु को उसी दिन आपत्ति देसना करनी होगी |

जो कोई खाद्य पदार्थ किसी संघ के सदस्य द्वारा , गृहस्थ द्वारा , सामनेर द्वारा, पशु प्राणी द्वारा, या देवताओं द्वारा दिया ना गया हो या अर्पित किया ना गया हो तो ऐसे भोजन को ग्रहण नहीं करना है |

पाराजिका :-2 के संदर्भ देखे तो जो वस्तु किसी दूसरे की है या उन वस्तुओं का मालिक कोई ओर हो; तो ऐसे वस्तु लेने से **अदिन्न** (जो दिया ना गया) कहा जाता है |

सही तरीके से दान अर्पित करने की पाच परिस्थितीया |

1. अर्पित कि जानेवाली वस्तु या खाद्य पदार्थ भिक्षु के आमने – सामने रहकर दोनों हाथो से ओर थोड़ा झुककर भिक्षु को अर्पित करना चाहिए |

2. अर्पित की जाने वाली वस्तु या खाद्य पदार्थ किसी (कटोरी, थाली, बर्तन) होनी चाहिए या किसी (टेबल, ट्रे , स्टूल इत्यादि) उपासक ने हाथ मे लगाकर या इन वस्तुओं को थोड़ा हात मे उठा कर भिक्षु को अर्पित करना है |
3. उपासक ने स्वयं से पात्र हाथ मे लेकर भिक्षु को दान अर्पित करना चाहिए |
4. भिक्षु को भी स्वयं भी उपस्थित रहकर उपासक से वह दान हाथ से स्वीकार करना चाहिए |
5. यदि वस्तु या खाद्य पदार्थ किसी टेबल, ट्रे, बर्तन , थाली मे हो तो सभी दान दाताओं को एकत्र आकार टेबल, ट्रे, बर्तन , थाली आदि हाथ मे थोड़ा उठाकर भिक्षु को अर्पित करना चाहिए |

यह सभी परिस्थितिया दान देने मे आवश्यक होती है |

- **पाचित्तिया 41** :- भिक्षुने किसी नग्न सन्यासी को या किसी मिथ्या विचारक व्यक्ति को अपने पात्र का भोजन नहीं देना है|

यदि भिक्षु ऐसे किसी व्यक्ति को अपने पात्र से भोजन देता है तो उस भिक्षु पाचित्तिया आपत्ति होती है |

भिक्षु एसे व्यक्तिओं को खाद्य पदार्थ छोड़कर अन्य कोई वस्तुए (जैसे त्वचा पर लगाने के लिए तेल या मलहम, साबुन इत्यादि) देता है तो कोई आपत्ति (दोष) नहीं है |

यदि भिक्षु ऐसे व्यक्तिओं को खाद्य पदार्थ बिना अर्पित किये पात्र या थाली एक ओर रखकर इन व्यक्तिओं को ऐसा कहे कि "जो कुछ चाहिए वो ले लीजिए" तो भिक्षु कि कोई आपत्ति (दोष) नहीं है |

- **पाचित्तिया 42** :- चारिका (पिण्डपात) के समय एक भिक्षुने दूसरे भिक्षु को हेतुपूर्वक छोड़कर नहीं जाना है |

यदि एक भिक्षु दूसरे भिक्षु को पिण्डपात करने के लिए आमंत्रित करता है ओर फिर चारिका करते समय बिना किसी उचित कारण के उस भिक्षु को छोड़ कर चला जाता है; या उस भिक्षु यह कहता है कि "हम दोनों एक साथ चरिका नहीं कर सकते इसलिए आप अकेले अपने अलग रास्ते चले जाइये ऐसा कहकर उसे वापस लौटा दे तो उस भिक्षु कि पाचित्तिया आपत्ति होती है |

उस भिक्षु को उसी दिन आपत्ति देसना करनी होगी |

कुछ ऐसी परिस्थितिओं मे पाचीत्तीया आपत्ति नहीं होती है :-

- यदि कोई गाँव इतना छोटा है कि दो या तीन भिक्षु को ही चरिका मिल पाए तो ऐसे मे विरिष्ठ भिक्षु अन्य भिक्षुओं दूसरे गाँव मे जाकर चरिका करने का आदेश दे सकता है |
- चरिका करने के मार्ग मे कोई भौतिक संपत्ति(धन) से भिक्षु के मन मे लालच निर्माण हो सकता है |
- चरिका करने के मार्ग मे यदि ऐसी महिलाए हो जो भिक्षु के मन इच्छाए निर्माण कर सकती हो ओर उसे भिक्षुजीवन से दूर कर सकती हो |
- यदि विहार मे बीमार भिक्षु हो या विहार कि देखभाल के लिए एक भिक्षु विहार मे हो तो उसे भोजन भेजने के लिए |

- **पाचित्तिया 43** :- भिक्षुने उस घर मे प्रवेश नहीं करना है जहा एक जोड़ा(स्त्री, पुरुष) इनके बीच यौन संबंध(संभोग) पूरा नहीं हुआ हो |

जो कोई भिक्षु ऐसे घर मे प्रवेश करता है जहा पुरुष ओर स्त्री अपने शयन कक्ष मे हो ओर एक ही बेड पर सो रहो हो या उन दोनों ने भिक्षु घर मे आते ही अपनी संभोग क्रिया समाप्त कि हो| तो ऐसे मे भिक्षु एक कदम भी उस घर मे रखता है तो वह उस भिक्षु कि पाचीत्तीया आपत्ति है |

उस भिक्षु को उसी दिन आपत्ति देसना करनी होगी |

यदि भिक्षु अकेला ना हो या उसके साथ घर मे जाते समय दूसरा भी भिक्षु साथ हो तो कोई आपत्ति नहीं होती |

- **पाचित्तिया 44** :- भिक्षुने किसी निर्जन, रहस्यमय स्थान मे किसी स्त्री के साथ नहीं बैठना है|
  (जन्मी हुई बच्ची लेकर बुड्डी औरत)

  यदि भिक्षु किसी महिला के साथ या उसी दिन जन्मी हुई बच्ची के साथ किसी ऐसे स्थान पे बैठा हो जहा उन दोनों को कोई देख न या सके तो ऐसे मे वह भिक्षु कि पाचित्तीया आपत्ति है|

उस भिक्षु को उसी दिन आपत्ति देसना करनी होगी|

भिक्षु किसी महिला के साथ तभी बात कर सकता है जब उस महिला के साथ अन्य कोई व्यक्ति (महिला, पुरुष) हो जो उन दोनों को बातों को अच्छे से समझ सके |

- **पाचित्तिया 45** :- भिक्षुने महिला के साथ सुनसान या एकांत स्थान मे नहीं बैठना है|
  (जन्मी हुई बच्ची लेकर बुड्डी औरत)

  यदि भिक्षु किसी महिला के साथ या उसी दिन जन्मी हुई बच्ची के साथ किसी ऐसे स्थान पे बैठा हो जहा दोनों को कोई सुन नहीं सकता हो या दोनों कि बाते सुनाई नहीं देती हो तो वह उस भिक्षु कि पाचित्तीया आपत्ति है|

उस भिक्षु को उसी दिन आपत्ति देसना करनी होगी|

यदि भिक्षु दूसरों से दूर एकांत स्थान मे महिला के बैठता है यह सोचकर की वह पुरुष के साथ बैठ रहा है| तो वह भिक्षु कि पाचीत्तीया आपत्ति है|

ओर भिक्षु किसी पुरुष के एकांत मे साथ बैठता है यह सोचकर कि वह महिला के साथ बैठ रहा है तो वह भिक्षु कि **दुक्कट** आपत्ति है |

यदि भिक्षु किसी समलैंगिक पुरुष , यक्षिणी , प्रेत योनी कि स्त्री या स्त्रीलिंग जानवर के साथ एकांत मे बैठता है जिनका माप इतना हो कि संभोग का संशय उत्पन्न हो सके तो भिक्षु कि **दुक्कट** आपत्ति है |

यदि भिक्षु किसी महिला के साथ फोन पर बात करता है,ओर उसकी बाते किसी ओर को सुनाई नहीं देती तो वह भिक्षु कि पाचित्तीया आपत्ति है |

- **पाचित्तिया 46** :- भिक्षुने उपासक के यहा भोजन दान करने से पहेले या बाद मे किसी अन्य घरों मे नहीं जाना चाहिए |

  यदि भिक्षु किसी उपासक के यहा भोजन दान स्वीकार करता है ओर भोजन करने से पहले या बाद मे किसी अन्य उपासक के घर मे जाता है तो वह उस भिक्षु कि पाचित्तीया आपत्ति है |

उस भिक्षु को उसी दिन आपत्ति देसना करनी होगी |

किसी दूसरे भिक्षु को भिक्षु संघ सूचित करके भोजन मे उपस्थित रहकर भिक्षु दूसरे उपासक के घर मे जा सकता है यदि चीवर दान हो या चीवर सिलाने का कारण हो |

- **पाचित्तिया 47** :- जो दायक भिक्षु को कुछ समय तक ही दवाईया दान देने को तैयार हो तो उससे ज्यादा दवाइयों कि मांग नहीं करनी है |

  यदि भिक्षु को नवीकृत या स्थायी निमंत्रण न हो या भिक्षु को कोई शारीरिक समस्या ना हो तो उसे दायक से जो नियमित

समय ओर मर्यादित दवाइयों का दान देता है तो उससे अमर्यादित दवाइयों की मांग करता है तो वह भिक्षु कि पाचित्तीया आपत्ति है |

उस भिक्षु को उसी दिन आपत्ति देसना करनी होगी |

यदि भिक्षु को सच मे कोई स्वास्थ समस्या हो; तो भिक्षु दायक से दवाइयों कि मांग कर सकता है | तो कोई आपत्ति नहीं है |

दायक से दवाइयों के लिए दो निमंत्रण होते है |

1. दवाइयों कि मर्यादा नियमित करने के लिए |
2. दवाइयों का कलावधी नियमित करने के लिए |

यदि भिक्षु दायक से अनियमित या आत्यधिक जो मात्रा मे दवाईया स्वीकारता है तो तो भिक्षु पाचित्तीया आपत्ति है |

यदि दायक ने स्वयं से भिक्षु को दवाईया देने का अनुरोध किया हो बिना किसी मर्यादा या कलावधी के तो भिक्षु के पास चार महीने होते है दवाइयों कि मांग करने के लिए | यदि दायक भिक्षु को व्यक्तिगत निमंत्रण देता है तो दवाइयों कि मात्रा निर्धारित करना आवश्यक नहीं है |

- **पाचित्तिया 48** :- भिक्षुने सेना की परेड या सेना युद्ध के लिए जाते हुए नहीं देखना है |

यदि कोई भिक्षु स्वेच्छा से किसी देश या राज्य की सेना की परेड देखने जाये या उस सेना को युद्ध के लिए जाते हुए देखे या युद्ध से वापस लौटते हुए देखे तो वह उस भिक्षु की पाचित्तीया आपत्ति है |

उस भिक्षु को उसी दिन आपत्ति देसना करनी होगी |

अतीत मे जब राजा की सेना युद्ध करके वापस नगर लौटते थे; तो वो 4 प्रकार की युद्धा विशेषताए दिखाते थे |

1. हाथी जो 4 सैनिकों को उठाकर ले जा रहा है ओर उसके पास से 8 सैनिक जा रहे हो; ऐसे प्रत्येक साथ हाथी 12 सैनिक चलते हो |
2. घोड़े जिसके उपर एक सैनिक बैठ कर जा रहा हो ओर दो सैनिक घोड़े के साथ चल रहे हो | ऐसे प्रत्येक घोड़े के साथ तीन सैनिक चल रहो हो |
3. सेना के टैंक जिसे एक ड्राईवर चला रहा हो; एक सैनिक ओर दो व्यक्ति रास्ते का निरीक्षण कर रहे हो ; ऐसे प्रत्येक टैंक के साथ चार लोग हो |
4. पैदल धनुषधारियों का समुह जो चार की संख्या मे चल रहो हो |

यदि भिक्षु इन 4 युद्ध के विशेषताओं के निकट पोहच कर उने देखता है तो वह भिक्षु की पाचित्तिया आपत्ति होती है |

यदि इन 4 युद्ध के विशेषताओं मे से किसी 1 भी विशेषता भिक्षु स्वेच्छा से देखता है ; उस भिक्षु को बिना किसीने मजबूर किए तो वह भिक्षु की **दुक्कट** आपत्ति है |

यदि सेना भिक्षु के विहार या कुटी के सामने से गुजरती हो या भिक्षु कही प्रवास कर रहा हो तो अचानक से सेना को देख लेता है तो कोई आपत्ति नहीं है |

यदि भिक्षु का कोई रिश्तेदार (माता या पिता)सेना मे सेवा दे रहे हो ओर वह बीमार या जखमी हो गये हो तो ऐसे मे भिक्षु उनसे मिलने जाता हो तो कोई आपत्ति नहीं है|

- **पाचित्तिया 49** :- भिक्षुने लगातार तीन रातों से अधिक समय सशत्र सेना के साथ नहीं सोना है |

यदि भिक्षु किसी भी कारण से ओर स्वेच्छा से लगातार दो या तीन रातों से अधिक समय सशत्र सेना के साथ बिताता है; तो वह उस भिक्षु की पाचित्तीया आपत्ति होती है |

उस भिक्षु को उसी दिन आपत्ति देसना करनी होगी |

यदि भिक्षु का कोई रिश्तेदार सेना मे सेवा देते हुए ज़ख़मी हो या बीमार हो या स्वयं भिक्षु बीमार या ज़ख़मी हो या फिर सशत्र सेना की छावनी शत्रुओं घिरी हुई हो | तो ऐसे मे भिक्षु तीन रातों अधिक समय सशत्र सेना के साथ बिताता है तो कोई आपत्ति नहीं होती |

- **पाचित्तिया 50** :- भिक्षुने सशत्र सेना के गतिविधों का साक्षीदार नहीं बनना है |

जो कोई भिक्षु सशत्र सेनाओं की सभा मे सम्मालित होता है या सहयोग करता है या फिर जहा सेना की परेड चल रही हो वहा जाकर सेना की गतिविधों कि समीक्षा करता है ओर सेना कि युद्ध नीति मे सहभाग लेता है तो वह भिक्षु कि पाचित्तीया आपत्ति है |

उस भिक्षु को उसी दिन आपत्ति देसना करनी होगी |

- **पाचित्तिया 51** :- भिक्षुने शराब या अन्य मादक (नशिले) पदार्थों का सेवन नहीं करना है |

यदि भिक्षु किसी भी नशीले पदार्थ (दवाईया, विषेले वस्तु, शराब) या अन्य ऐसे जिनसे मन कि सामान्य संरचना को बदल

देते हो या सामान्य मानसिकता को अस्थिर कर देते हो ओर शरीर कि हानी करते हो ऐसे पदार्थों का सेवन भिक्षु करता है ; तो वह उस भिक्षु कि पाचित्तीया आपत्ति होती है |

उस भिक्षु को उसी दिन आपत्ति देसना करनी होगी |

- **पाचित्तिया 52** :- भिक्षुने अंगुलि से गुदगुदि नहीं करना है |

यदि भिक्षु मज़ाक मे भी किसी दूसरे को गुदगुदाने के उद्देश से छुता है तो वह उस भिक्षु कि पाचित्तीया आपत्ति होती है |

उस भिक्षु को उसी दिन आपत्ति देसना करनी होगी |

- **पाचित्तिया 53** :- भिक्षुने जल मे क्रीडा नहीं करना है (पानी मे नहीं खेलना है) |

यदि किसी जल निकाय (नदी , नाला , तालाब , झील) जहा जल स्तर कम से कम टखनों कि उचाई तक पोहोचता हो ओर उसमे कोई भिक्षु गोता लगता है, तैरता है या पानी मे उतर कर ओर उत्साहित होकर मनोरंजन करता है तो वह उस भिक्षु कि पाचित्तीया आपत्ति होती है |

उस भिक्षु को उसी दिन आपत्ति देसना करनी होगी |

- **पाचित्तिया 54** :- भिक्षुने अनादर पूर्वक आचरण नहीं करना है |

जो कोई भिक्षु दूसरे भिक्षु का या धम्म का अनादर करता है तो वह उस भिक्षु कि पाचित्तीया आपत्ति होती है|

उस भिक्षु को उसी दिन आपत्ति देसना करनी होगी|

यदि भिक्षु किसी दूसरे भिक्षु को विनय का सम्मान नहीं करने के लिए डाटता है या उस भिक्षु के गलत आचरण के लिए उसे चेतावनी देता है| परंतु वह भिक्षु चेतावनीओं को दुर्लक्षित कर अपना गलत आचरण नहीं छोड़ता तो उस भिक्षुका दूसरे भिक्षु के प्रति अनादरपूर्वक आचरण होता है|

यदि एक भिक्षु दूसरे भिक्षु को विनय का पालन करने के लिए कहता है, परंतु दूसरा भिक्षु छुपछुप कर विनय के नियमोंका उल्लंघन करता हो तो वह भिक्षु धम्म का अनादर करता है|

यदि भिक्षु उन भिक्षुओं द्वारा (जो विनय का सम्मान करते है) दिये गये नसीहतों की अवहेलना कर गलत आचरण करता रहता है तो पाचित्तीया आपत्ति है|

परंतु भिक्षु उन भिक्षुओं द्वारा (जो सुत्तांत या अभिधम्मा का सम्मान करते है) दिये गये नसीहतों कि अवहेलना कर गलत आचरण करता रहता है तो वह उस भिक्षु कि **दुक्कट** आपत्ति होती है|

परंतु भिक्षु उन सामनोरें या उपासकों द्वारा (जो सुत्तांत या अभिधम्मा का सम्मान करते है) दिये गये नसीहतों कि अवहेलना कर गलत आचरण करता रहता है तो वह उस भिक्षु कि **दुक्कट** आपत्ति होती है|

उस भिक्षु को उसी दिन आपत्ति देसना करनी होगी|

- **पाचित्तिया 55** :- भिक्षुने दुसरे भिक्षु को डरना नहीं है|

यदि भिक्षु किसी दुसरे भिक्षु को डराने के उद्देश से लिखित, इशारो से, बोलकर, शारीरक बल का प्रयोग कर कोई ऐसा कार्य जो भिक्षु को भयभीत कर देता हो तो वह उस भिक्षु कि पाचित्तीया आपत्ति होती है |

उस भिक्षु को उसी दिन आपत्ति देसना करनी होगी |

- **पाचित्तिया 56** :- भिक्षुने आग नहीं जलानी है |

यदि भिक्षु (दिया, मोमबत्ती इत्यादि) या खाना पकाने या गरम करने के लिए ओर यदि भिक्षु बीमार ना हो तो भिक्षु जरूरत अधिक आग का प्रयोग करता है या उसके लिए कोई आग का प्रबंध करता है तो वह भिक्षु की पाचित्तीया आपत्ति होती है |

उस भिक्षु को उसी दिन आपत्ति देसना करनी होगी

- **पाचित्तिया 57** :- यदि शरीर गंधा ना हो तो भिक्षुने महीने मे दो बार से ज़्यादा नहाना नहीं है |

यदि भिक्षु एक बार नहाने के बाद आधा महिना समाप्त होने से पहेले नहाता है तो वह उस भिक्षु की पाचित्तीया आपत्ति है |

उस भिक्षु को उसी दिन आपत्ति देसना करनी होगी |

ऐसी कुछ परिस्थितिया जहा इस नियम मे छुट है |

1. गरमी के मैसम मे (जो की आढाई महीने का होता है, मे की अमावस्या से लेकर आगस्त पोर्णिमा तक होता है)

2. बीमारी के समय मे या कोई शारीरिक समस्या कारण शरीर को साफ रखना जरूरी है |
3. कोई शारीरिक कार्य करने पर शरीर मे पसीना आ जाता हो |
4. यदि कोई आधे योजन का (याने 5 या 6 किलोमीटर का प्रवास कर चुका है)
5. जब शरीर गंधा हो जाए (जैसे धुल, किचड़, रेत, या अत्याधिक पसीना आता हो |)

या नियम केवल मज्झिम देश मे रहने वाले भिक्षुओं के लिए है जो आज का आधुनिक उत्तर भारत जहा भगवान बुद्ध रहा करते थे |

यदि कोई भिक्षु मज्झिम देश के बाहर रहता है तो स्वतंत्र रूप से कितनी भी बार नहा सकता है |

- **पाचित्तिया 58** :- एक या अधिक भूरे या काले निशान चीवर पर लगाए बिना भिक्षुने चीवर का उपयोग नहीं करना है |

जो कोई भिक्षु जब नया चीवर प्राप्त करता है तो उसे उपयोग मे लाने से पहेले उस चीवर को **कप्पबिंदु** करना होता है | यह निशान भूरा हो सकता है या मिट्टी के समान रंग का हो सकता है या काला भी हो सकता है (पेन की नीली स्याही या ओर कोई गाढ़ा रंग का भी उपयोग हो सकता है) यदि भिक्षु ऐसा ना करे तो उस भिक्षु की पाचित्तीया आपत्ति होती है |

उस भिक्षु को उसी दिन आपत्ति देसना करनी होगी |

पाच प्रकार के वस्त्र होते है :- अन्तरवास, उत्तरासंग, संघाटी, इनको उपयोग मे लाने से पहने कप्पबिन्दु कर अधिष्ठान करना होता है | दूसरे कपड़ों के लिए कप्पबिन्दु करने कि आवश्यकता नहीं है |

- **पाचित्तिया 59** :- एक भिक्षु , एक भिक्षुणी , एक सिक्खमाना , एक सामनेर, एक सामनेरी, के साथ भिक्षुने साझा किया हुआ चीवर बिना **विकप्पन** (साझा करने की विधि) किये बिना भिक्षुने चीवर का उपयोग नहीं करना है |

  यदि कोई भिक्षु अपने चीवर को **विकप्पन** करके किसी भिक्षु, भिक्षुणी , सिक्खमाना, सामनेर, सामनेरी को उपयोग करने के लिए देता ओर फिर बिना **विकप्पन** किये वापस ले पहेनता है या उस चीवर को **पच्चुद्धरण** नहीं करता है तो उस भिक्षु की वह पाचित्तीया आपत्ति होती है |

उस भिक्षु को उसी दिन आपत्ति देसना करनी होगी |

विकप्पन करने की विधि :-

विकप्पन एक ऐसी (प्रक्रिया) विधि है जो एक भिक्षु दूसरे भिक्षु, भिक्षुणी,सिक्खमाना, सामनेरी,समनेर को कुछ भी सौंपने के लिए करता है | यह एक या अधिक उपहार को पूरी तरीके से मान्य करने की अनुमति देता है | यह प्रक्रिया सुनिश्चित करती है की, लेनदेन विनय के अनुसार किया गया है | जब एक भिक्षु किसी दूसरे भिक्षु के साथ चीवर सांझा करता है तो कुछ मामले मे **विकप्पन** करना जरूरी होता है |

विकप्पन करने की पाली मे गाथा :-

चीवर देने वाला या सांझा करने वाला भिक्षु कहेगा:-

" इमं चीवरं तुयहं विकप्पेमि"

यदि भिक्षु दूर हो तो :-

“एतं चीवरं तुयहं विकप्पेमि”

यदि एक से ज़्यादा चीवर हो तो भिक्षु कहेगा :-

“ इमं चीवरानी तुयहं विकप्पेमि”

देने वाले भिक्षु से चीवर स्वीकार कर यदि दुसरा भिक्षु चीवर वापस देना चाहे तो :-

चीवर स्वीकार कर वापस देने वाला भिक्षु कहेगा:-

“मयहं सन्तकं इमं चीवरं परिभुन्जवा वीस्सज्जेहि वा यथा पच्चयं वा करोहि”

- **पाचित्तिया 60** :- भिक्षुने दूसरे भिक्षु की वस्तुओं को छिपाना नहीं है |

  जो कोई भिक्षु कम से कम मज़ाक से भी किसी भिक्षु का पात्र या चीवर या अंतरवास या निसीदन या कमर का पट्टा या सुई रखने की कुप्पी छिपाए या छिपवाए तो वह उस भिक्षु की पाचित्तीया आपत्ति होती है |

उस भिक्षु को उसी दिन आपत्ति देसना करनी होगी |

यदि भिक्षु किसी सामनेर का पात्र, बिना अधिष्ठान किया चीवर, या गृहस्थ कि वस्तुए छिपाता है तो वह उस भिक्षु कि **दुक्कट** आपत्ति होती है |

यदि भिक्षु किसी दूसरे भिक्षु कि वस्तुए सुरक्षित रखने के लिए याने चोरी या खो न जाये इस कारण कही रखता है तो उस भिक्षु का कोई दोष नहीं है |

- **पाचित्तिया 61** :- भिक्षुने (पशुप्राणी) जानवरों कि हत्या नहीं करनी है |

  जो कोई भिक्षु जानबूझकर प्राणियों कि हत्या करे तो वह उस भिक्षु कि पाचित्तीया आपत्ति है |

उस भिक्षु को उसी दिन आपत्ति देसना करनी होगी |

यदि कोई भिक्षु किसी मनुष्य कि हत्या करे तो भिक्षु कि पराजिका :- 3 कि आपत्ति होती है | वैसे ही यदि भिक्षु किसी पशुप्राणी कि हत्या करे (चाहे वो हाथी या मक्खी ही हो) तो उस भिक्षु कि पाचित्तीया आपत्ति है |

- **पाचित्तिया 62** :- भिक्षुने जिस पानी मे जीवजंतु होते है उस पानी का उपयोग नहीं करना है |

  जो कोई भिक्षु जीवित प्राणियों से युक्त पानी का उपयोग पीने या नहाने के लिए या पात्र या आग बुझाने के लिए करता है ओर या जानते हुये की ऐसा करने से उन जीवित प्राणियों की हत्या होगी तो वह उस भिक्षु कि पचित्तीया आपत्ति होती है |

उस भिक्षु को उसी दिन आपत्ति देसना करनी होगी |

किसी बर्तन या कटोरे के पानी मे कीड़े या सूक्ष्म जीव के प्रजनन या बसने कि प्रक्रिया रोकने के लिए उस पानी को रोज बदलना आवश्यक है | ओर जीवजंतु रहित पानी का उपयोग पीने के लिए करने से पहले उस पानी को छानना आवश्यक है|

- **पाचित्तिया 63** :- भिक्षुने संघ मे सुलझे हुए विवाद को फिर से उठाना नहीं है ओर नहीं किसी दूसरे को उकसाना है |

जो कोई भिक्षु संघ मे सुलझे हुए विवाद को वापस उठता है या किसी दूसरे से कहकर या उकसाकर उस विवाद को फिर उठवाता है तो वह उस भिक्षु की पाचित्तीया आपत्ति होती है |

उस भिक्षु को उसी दिन आपत्ति देसना करनी होगी |

टिप्पणी :- (संघ मे जो भी विवाद उत्पन्न होते है उने सुलझाने के लिए पातिमोक्ष के अंतिम भाग मे याने **"7 अधिकरण समथ"** तरीके से विवाद को सुलझाया जाता है)

- **पाचित्तिया 64** :- भिक्षुने किसी दूसरे भिक्षु की पराजिका या संघादिसेसा आपत्ति को छुपाना नहीं है |

जो कोई भिक्षु जानबूझकर किसी दूसरे भिक्षु का गंभीर दोष छुपाए तो वह उस भिक्षु की पाचित्तीया आपत्ति होती है |

उस भिक्षु को उसी दिन आपत्ति देसना करनी होगी |

पराजिका ओर संघादिसेसा ऐसे दोषो को **दुत्थुल्ला** कहा जाता है | यदि भिक्षु संघ मे विवाद होने के भाय से या झगड़े के डर से किसी दूसरे भिक्षु ऐसी आपत्तीया छुपाता है तो उस भिक्षु का कोई दोष नहीं है |

- **पाचित्तिया 65** :- बीस वर्ष से कम आयु के व्यक्ति कि उपसम्पदा नहीं करनी है |

जो को भिक्षु जानते हुये बीस वर्ष से कम आयु वाले व्यक्ति कि उपसम्पदा करे तो, उसकी उपसम्पदा नहीं होती है, ओर उपसम्पदा करने वाला भिक्षु निंदनीय होता है, तथा उपसम्पदा करने वाले भिक्षु कि पाचित्तीया आपत्ति होती है |

उस भिक्षु को उसी दिन आपत्ति देसना करनी होगी |

- **पाचित्तिया 66** :- भिक्षुने लूटेरों (डाकुओं) के साथ यात्रा नहीं करनी है |

जो कोई भिक्षु जानबूझकर चोर डाकुओं के साथ यात्रा पर जाता है या ऐसे लोग जो गश्त से (गार्ड पोस्ट, चेक पॉइंट, सीमा शुल्क से बचने का उपाय खोजते है | ऐसे लोगों के साथ भिक्षु यदि एक गाँव से दूसरे गाँव तक कि यात्रा करे या आधा योजन (याने 5 से 6 किलोमीटर कि यात्रा करे) तो उस भिक्षु कि वह पाचित्तीया आपत्ति होती है |

उस भिक्षु को उसी दिन आपत्ति देसना करनी होगी |

- **पाचित्तिया 67** :- भिक्षुने किसी महिला के साथ पहले से हि योजना बनाने के यात्रा नहीं करनी है |

जो कोई भिक्षु किसी महिला के साथ पूर्वनियोजन करके एक साथ यात्रा पर निकले ओर कम से कम एक गाँव से दूसरे गाँव तक जाए तो वह उस भिक्षु कि पाचित्तीया आपत्ति होती है |

उस भिक्षु को उसी दिन आपत्ति देसना करनी होगी |

यदि कोई भिक्षु किसी महिला के साथ बिना पूर्वनियोजन करके या भिक्षु को पता नहीं है कि वो जिस व्यक्ति के साथ यात्रा कर रहा है वह महिला है ऐसे स्थिति मे भिक्षु का कोई दोष नहीं है |

- **पाचित्तिया 68** :- भगवान बुद्ध ने ध्यान या निर्वाण के लिए जो बाधाए बताई है; तो उसे भिक्षुने बाधा नहीं है ऐसा दावा नहीं करना है |

  जो कोई भिक्षु ऐसा कहे "भगवान बुद्ध जी ने निर्वाण मार्ग के लिए जो धर्म बाधाकारक बताए है, वे बाधाकारक धर्म अभ्यास करने पर कोई बाधा नहीं है "| तब उस भिक्षु को भिक्षुओं के द्वारा ऐसा कहना चाहिए "हे भिक्षु आप ऐसा मत बोलिए, भगवान बुद्ध जी कि इस प्रकार से झूठी निंदा मत कीजिए | भगवान बुद्ध जी कि झूठी निंदा करना उचित नहीं है | भगवान बुद्ध जी ने वैसा नहीं बताया है | हे भिक्षु, भगवान बुद्ध जी ने निर्वाण मार्ग के लिए जो बाधाकारक बाते बतायी है , वह बाधाकारक ही है | उसका अभ्यास करने से बाधा ही होगी |

  भिक्षुओं के द्वारा उस भिक्षु को ऐसा बताने पर भी वह अपनी जिद्द पर अड़ा रहे तो उस भिक्षु को तीन बार तक उस मत को दूर करने के लिए बताना चाहिए | तीन बार बताने पर वह भिक्षु अपनी जिद्द छोड़ दे तो अच्छा है अगर ना छोड़े तो पाचित्तीया आपत्ति होती है |

उस भिक्षु को उसी दिन आपत्ति देसना करनी होगी |

- **पाचित्तिया 69** :- भिक्षुने किसी ऐसे भिक्षु की संगत नहीं करनी है जिसे भिक्षुसंघ से निष्काषित किया गया हो |

यदि भिक्षु किसी मिथ्या (गलत) दृष्टि वाले भिक्षु कि संगति करता है जिसे भिक्षु संघ से निष्काषित किया गया है तो वह उस भिक्षु कि पाचीत्तीया आपत्ति होती है |

उस भिक्षु को उसी दिन आपत्ति देसना करनी होगी |

कुछ ऐसे कार्य जो निष्काषित भिक्षु के साथ करना मना है |

1. उस भिक्षु को अपने भिक्षापात्र मे से भोजन नहीं देना |
2. उस भिक्षु को अट्ठकथा नहीं सीखना |
3. उस भिक्षु के द्वारा धम्म कि शिक्षा ग्रहण नहीं करना |
4. उस भिक्षु के साथ **उपोसथ** या **पवारण** नहीं करना
5. उस भिक्षु के साथ एक छत के नीचे नहीं रहना |
6. उस भिक्षु साथ मिलकर अपने कार्यों को नहीं करना |

जो कोई भिक्षु किसी संघ से निष्काषित भिक्षु के साथ इन कार्यों को निभाता है, तो वह उस भिक्षु कि पाचित्तीया आपत्ति है |

- **पाचित्तिया 70** :- भिक्षुने किसी ऐसे सामनेर की संगत नहीं करनी है जो मिथ्या दृष्टि (गलत विचार) वाला हो |

जो कोई श्रामनेर ऐसा कहे "मे भगवान बुद्ध जी का धर्म इस प्रकार से जानता हूँ | भगवान बुद्ध जी ने निर्वाण मार्ग के लिए जो धर्म बाधाकारक बताए है, वे बाधाकरक धर्म का अभ्यास करने के बाद भी कोई विघ्न नहीं है |

तक भिक्षुओं के द्वारा उस श्रामनेर को ऐसा कहना चाहिए "हे श्रामनेर आप ऐसा मत बोलिए | भगवान बुद्ध जी की इस प्रकार से झूठी निन्दा

करना उचित नहीं है | भगवान बुद्ध जी ने वैसा नहीं बताया है | हे श्रामनेर भगवान बुद्ध जी ने निर्वाण मार्ग के लिए जो बाधा बताया है, वे बाधाकारक ही है | उसका अभ्यास करने से बाधा हि उत्पन्न होती है" |

भिक्षुओं के द्वारा उस श्रामनेर को ऐसा बताने पर भी वह अपनी जिद पर अड़ा रहा तो भिक्षुओं के द्वारा उस श्रामनेर को ऐसा बोलना चाहिए "हे श्रामनेर, ऐसा है तो आज से आप भगवान बुद्ध जी को अपना भगवान मत बोलिए | अन्य श्रामनेरों को जो भिक्षुओं के साथ दो – तीन रात तक सोने का मौका है, वह मौका भी तुम खो बैठोगे | तुम बुद्ध – शासन से बाहर हो, इसलिए तुम्हारा विनाश ही हो जाएगा"|

जो श्रामनेर संघ से निष्काषित किया गया है उससे नीचे दिये गये कार्य कोई भिक्षु श्रामनेर के साथ करे तो वह उस भिक्षु कि पाचित्तीया आपत्ति होती है |

उस भिक्षु को उसी दिन आपत्ति देसना करनी होगी |

- उस सामनेर को पात्र देना
- उस सामनेर को चीवर को देना
- उस सामनेर को खाद्य पदार्थ देना
- उस सामनेर को शिक्षा देना
- उस सामनेर के साथ धम्म का अभ्यास करना
- उस सामनेर के साथ एक हि इमारत मे सोना; एक रात भी नही
- उस सामनेर के साथ कर्तव्यों का उदरनिर्वाह करना

यदि भिक्षु नीचे दिये तीन प्रकार के सामनेरों कि संगत करता है तो उस भिक्षु कि पाचित्तीया आपत्ति होती है |

1. जो सामनेर संघ को विभाजित करने का प्रयास करता है|

2. जो सामनेर किसी भिक्षु को चीवर छोडने के उकसाता है |
3. जो सामनेर संघ के द्वारा निष्काषित किया गया हो |

- **पाचित्तिया 71** :- भिक्षुने पातिमोक्ष कि अवहेलना करने के लिए बहाने नही खोजना है |

  जिस भिक्षु को भिक्षुओं के द्वारा शिक्षापद के बारे मे बताते समय वह भिक्षु ऐसा कहे "हे भिक्षुओं, जब तक मै किसी व्यक्त विनयधर भिक्षु से इस शिक्षापद के बारे मे पुछ न लूँ , तब तक मै उस शील का पालन नहीं करूँगा" ऐसा कहे तो वह उस भिक्षु कि पाचित्तीया आपत्ति है |

उस भिक्षु को उसी दिन आपत्ति देसना करनी होगी |

हे भिक्षुसंघ, धर्म विनय का आचरण करने के लिए भिक्षु को शिक्षापद के बारे मे समझाना चाहिए, बार - बार सोचकर धारण करना चाहिए | यहाँ यही उचित प्रक्रिया है |

- **पाचित्तिया 72** :- भिक्षुने पातिमोक्ष के नियमों कि निंदा नहीं करनी है |

  जो कोई भिक्षु पातिमोक्ष का पाठ होते समय ऐसा कहे "ये छोटे ओर बहुत छोटे शील का पाठ क्यों करते हो? वो सुनने से शील के बारे मे पश्चाताप पैदा होता है | थकावट महसूस होती है | शक ही पैदा होता है | ऐसा कहकर शिक्षापद कि निंदा करे तो वह उस भिक्षु कि पाचित्तीया आपत्ति होती है |

उस भिक्षु को उसी दिन आपत्ति देसना करनी होगी |

- **पाचित्तिया 73** :- भिक्षुने आचार संहिता के नियमों को न जनाने का दिखावा नहीं करना है |

जो कोई भिक्षु अर्ध मासिक पर पातिमोक्ष का पाठ होते समय ऐसा कहे "ये शील विनय के अंतर्गत है ओर आधे महीने पर इसका पाठ करना चाहिए; ऐसा मै अभी जाना हूँ"| लेकिन उस भिक्षु के विषय मे दूसरे भिक्षुगण जानते है कि पूर्व मे ये भिक्षु दो-तीन बार पातिमोक्ष का पाठ होते समय निश्चित रूप से बैठा था तो ज़्यादा के बारे मे कहना ही क्या है | इसलिए आपसे जो आपत्ति हुई है उसका प्रायश्चित करना चाहिए | साथ ही साथ पातिमोक्ष का पाठ के बारे मे उत्पन्न हुआ अज्ञानता इस प्रकार से दिखाना चाहिए | "हे आयुष्यमान, आपको अलाभ ही हुआ है | आपकी हानी ही हुई है | आप पातिमोक्ष का पाठ होते समय शिक्षा पदों को ध्यान से नहीं सुन रहे थे "| इस प्रकार उस भिक्षु को शिक्षापद के बारे मे अज्ञानता दिखाने पर भी वह शिक्षापद के बारे मे अज्ञानता से रहेगा तो, पाचित्तीया आपत्ति होती है |

उस भिक्षु को उसी दिन आपत्ति देसना करनी होगी |

- **पाचित्तिया 74** :- भिक्षुने दूसरे भिक्षु के साथ मार – पीट या हाथा-पाई नहीं करनी है |

यदि भिक्षु गुस्से या नाराज मन से किसी दूसरे भिक्षु के साथ मार-पीट करे या अपने शरीर के माध्यम से किसी वस्तु का उपयोग कर दूसरे भिक्षु को वह वस्तु फैंक कर मारे तो वह भिक्षु की पाचित्तीया आपत्ति होती है |

उस भिक्षु को उसी दिन आपत्ति देसना करनी होगी |

यदि भिक्षु अपने हिंसक कार्य द्वारा अनजाने मे (बिना उद्देश के) किसी दूसरे भिक्षु को मार डालता है तो वह उस भिक्षु कि पाराजिका -3 कि आपत्ति नहीं होती परंतु वह उस भिक्षु की पाचित्तीया आपत्ति होती है |

यदि भिक्षु गुस्से या नाराज मन से किसी सामनेर या उपासक के साथ मार-पीट करे तो वह उस भिक्षु कि **दुक्कट** आपत्ति होती है |

यदि भिक्षु आत्मरक्षा करने के लिए कोई हिंसक कार्य (हमला) करे तो कोई दोष (आपत्ति) नहीं है |

- **पाचित्तिया 75** :- भिक्षुने दूसरे भिक्षु को मारने के उद्देश से शारीरिक इशारे नहीं करने है |

  जो कोई भिक्षु गुस्से या नाराज मन से अपने शारीरिक इशारों से किसी दूसरे भिक्षु को धमकाता या डराता है तो वह उस भिक्षु कि पाचित्तीया आपत्ती होती है |

उस भिक्षु को उसी दिन आपत्ति देसना करनी होगी |

यदि भिक्षु अपने शारीरिक इशारों से किसी सामनेर या उपासक को धमकाता या डराता है तो वह उस भिक्षु कि **दुक्कट** आपत्ति होती है | यदि भिक्षु आत्मरक्षा के कारण शारीरिक हिंसक इशारे करता है तो कोई दोष(आपत्ति) नहीं है |

यदि कोई भिक्षु मारने के उद्देश के बिना किसी दूसरे भिक्षु को धमकी भरा इशारा करके गलती से उसकी हत्या करे तो वह उस भिक्षु कि पाराजिका – 3 आपत्ति नहीं है; परंतु पाचित्तीया आपत्ति होती है |

- **पाचित्तिया 76** :- भिक्षुने किसी दूसरे भिक्षुपर संघादिसेसा आपत्ति का निराधार आरोप नहीं लगाना है |

  यदि कोई भिक्षु बिना किसी आधार के या बिना सुने या देखे किसी दूसरे भिक्षु पर अकारण निराधार संघादिसेसा आपत्ति का आरोप लगाए तो वह उस भिक्षु कि पाचित्तीया आपत्ति होती है |

उस भिक्षु को उसी दिन आपत्ति देसना करनी होगी |

यदि भिक्षु किसी दूसरे भिक्षु पर कम गंभीरता वाले आपत्ति का (थुल्लच्चया, पाचित्तीया, इत्यादि) निराधार आरोप लगाता है तो वह उस भिक्षु कि **दुक्कट** आपत्ति होती है |

ओर यदि कोई भिक्षु किसी दूसरे भिक्षु पर पराजिका आपत्ति का निराधार आरोप लगाता है तो वह उस भिक्षु कि संघादिसेसा -8 कि आपत्ति होती है |

यदि भिक्षु किसी सामनेर या उपासक पर दोष करने का निराधार आरोप लगाता है; तो वह उस भिक्षु कि **दुक्कट** होती है |

- **पाचित्तिया 77** :- भिक्षुने किसी दूसरे भिक्षु के मन मे पश्चाताप, संदेह या भय उत्पन्न नहीं कराना है |

  यदि कोई भिक्षु अनुचित रूप से या द्वेष भाव के कारण या शरारत करने के उद्देश से किसी दूसरे भिक्षु के मन मे संदेह, भय, पश्चाताप उत्पन्न करे तो वह उस भिक्षु की पाचित्तीया आपत्ति होती है |

उस भिक्षु को उसी दिन आपत्ति देसना करनी होगी |

यदि कोई भिक्षु शुद्ध मन से किसी दूसरे भिक्षु को सूचित करके उसके मन मे तथ्यो के आधार पर बिना शरारत के पश्चाताप, संदेह, भय उत्पन्न करता है तो कोई दोष (आपत्ति) नहीं होती |

यदि कोई भिक्षु अनुचित रूप से या द्वेष भाव के कारण या शरारत करने के उद्देश से किसी दूसरे भिक्षु के मन मे संदेह, भय, पश्चाताप उत्पन्न करे तो प्रत्येक वाक्यांश के उस भिक्षु की पाचित्तीया आपत्ति होती है | यदि कोई भिक्षु यही कार्य किसी सामनेर या उपासक के साथ करे तो वह उस भिक्षु की **दुक्कट** आपत्ति होती है |

- **पाचित्तिया 78** :- भिक्षुने भिक्षुओं के बीच चल रहे संघर्ष की बाते छिपकर नहीं सुननी है |

  जो कोई भिक्षु लड़ने या कलह या विवाद करने वाले भिक्षुओं की बाते दूर रहकर छिपकर “ये लोग जो बोलते है, उसे मै भी सुनूंगा” ऐसा सोच कर उनकी बाते छिपकर सुनता है, तो वह उस भिक्षु की पाचित्तीया आपत्ति होती है |

उस भिक्षु को उसी दिन आपत्ति देसना करनी होगी |

यदि भिक्षु उचित उद्देश से या शुद्ध मन से दूसरे भिक्षुओं की बाते छुपकर सुनता है ताकि भिक्षुओं के बीच का संघर्ष समाप्त किया जा सके तो ऐसे मे उस भिक्षु का कोई दोष (आपत्ति) नहीं होती |

- **पाचित्तिया 79** :- भिक्षुने एक बार किसी कार्य को सहमति देने पर बाद मे उस कार्य कि निंदा या विरोध नहीं करना है |

जो कोई भिक्षु धार्मिक कार्यों के लिए अपनी सहमति देकर बाद मे उस कार्य कि निंदा या विरोध करे तो वह उस भिक्षु कि पाचित्तीया आपत्ति होती है|

उस भिक्षु को उसी दिन आपत्ति देसना करनी होगी|

- **पाचित्तिया 80** :- भिक्षुने भिक्षु संघ कि सभा या विनयकर्म होते समय अपनी सहमति न दिये बिना या अनुमति लिए बिना सभा छोड़कर नहीं जाना है|

जब कोई भिक्षु संघ कि किसी विषय पर चर्चा के लिए सभा बुलाई जाती है; या भिक्षु संघ के (विनयकर्म) ओर **नत्ती कम्मवाचा** का पठन शुरू होकर कोई निर्णय लेने के समय भिक्षु सभा से खड़े होकर चला जाए तो वह उस भिक्षु कि पाचित्तीया आपत्ति होती है|

उस भिक्षु को उसी दिन आपत्ति देसना करनी होगी|

संघ मे कोई विवादित विषय(विनय के उल्लंघन) को लेकर चल रही चर्चा को यदि कोई भिक्षु शारीरिक पीड़ा के कारण या उचित आपात स्थिति के कारण उस विषय का निर्णय हुए बिना संघ कि सभा छोड़कर कर चला जाता है तो कोई दोष (आपत्ति) नहीं होती|

- **पाचित्तिया 81** :- भिक्षुने किसी दूसरे भिक्षु पर संघ को मिले चीवर का लाभ खुद के लिए उपयोग करने का आरोप नहीं लगाना है|

एकजुट भिक्षुसंघ किसी भिक्षु को चीवर दे, ओर बाद मे भिक्षु डांटने के मन से ऐसा कहे “ये भिक्षुगण संघ के लाभ को सिर्फ अपने जान-पहचान वालों को बाँटते है”, जो कोई भिक्षु ऐसा कहे तो, वह उस भिक्षु की पाचीत्तीया आपत्ति होती है |

उस भिक्षु को उसी दिन आपत्ति देसना करनी होगी |

यदि कोई भिक्षु उस भिक्षु की आलोचना करता है जिसने दूसरे भिक्षु को संघ के सहमति बिना अपने से चीवर दिया हो; या फिर वह चीवर के बिना अन्य कोई वस्तु हो तो आरोप लगाने वाले भिक्षु कि **दुक्कट** आपत्ति है |

➢ **पाचित्तिया 82** :- भिक्षुने भिक्षुसंघ को मिले दान कि वस्तुओं को किसी दूसरे व्यक्ति को नहीं देना है |

जो कोई भिक्षु यह जानते हुए कि दायक या उपासक संघ को कोई वस्तु दान देना चाहता है; ओर वह भिक्षु उस दायक को सलाह देता है कि वह वस्तु अन्य किसी दूसरे व्यक्ति को दान करे तो वह उस भिक्षु कि पाचित्तीया आपत्ति होती है |

उस भिक्षु को उसी दिन आपत्ति देसना करनी होगी |

यदि भिक्षु खुद को मिले दान कि वस्तुए किसी दूसरे व्यक्ति को देता है तो भिक्षु कि पाचित्तीया आपत्ति होती है | यदि भिक्षु स्वेच्छा से दायक अपनी पसंद कि वस्तु दान करने के लिए कहे तो भिक्षु कि निस्साग्गिया आपत्ति होती है |

- **पाचित्तिया 83** :- भिक्षुने चेतावनी दिये बिना राजा के कक्ष मे आगमन नहीं करना है |

जो कोई भिक्षु अपने आगमन कि चेतावनी दिये बिना किसी राजा के कक्ष मे आगमन करता है या जहा राजा ओर रानी एकांत मे हो जो पड़दो से ढका हुआ हो वहा प्रवेश करता है तो वह उस भिक्षु कि पाचित्तीया आपत्ति होती है |

उस भिक्षु को उसी दिन आपत्ति देसना करनी होगी |

- **पाचित्तिया 84** :- भिक्षुने विहार या उसके निवास स्थान को छोड़कर बाहर मिले रत्न या रत्न जैसी मूल्यवान वस्तु को इकट्ठा नहीं करना है |

जो कोई भिक्षु विहार या आश्रम को छोड़कर रत्न या रत्न जैसी मूल्यवान वस्तु उठाए या उठवाए तो, पाचित्तीया आपत्ति होती है |

उस भिक्षु को उसी दिन आपत्ति देसना करनी होगी |

यदि भिक्षु को अपने विहार या आश्रम की सीमा के अंदर या अन्य कोई ऐसा स्थान जहा भिक्षु रहता हो; कोई मूल्यवान वस्तु मिलती है तो भिक्षु केवल इसी उद्देश से वह वस्तु उठा सकता है की उस वस्तु को उसके मालिक को सौंप दिया जाए |

एक भिक्षु का यह कर्तव्य है कि जो वस्तुए विहार या आश्रम कि सीमा अंदर गुम हो जाए या खो जाए तो उस भिक्षु को वह इकट्ठा कर विहार के अंदर रखना चाहिए |

- **पाचित्तिया 85** :- भिक्षुने किसी दूसरे भिक्षु की स्वीकृती लिए बिना दोपहर के बाद गाँव या नगर मे प्रवेश नहीं करना है |

जब तक कोई आपात स्थिति ना हो ओर भिक्षु किसी आस- पास रहने वाले भिक्षु की अनुमति लिए बिना किसी गाँव या नगर मे दोपहर के बाद ओर सुबह होने से पहले प्रवेश करता है, तो वह उस भिक्षु की पाचीत्तीया आपत्ति होती है |

उस भिक्षु को उसी दिन आपत्ति देसना करनी होगी |

यदि भिक्षु अपने विहार की तरफ जाते समय किसी खतरे से बचने के लिए गाँव मे या नगर मे जानेवाला छोटा रास्ता (शॉर्ट कट) से जाता है ओर वह दूसरे भिक्षु की अनुमति भी नहीं लेता तो कोई (दोष) आपत्ति नहीं है |

यदि बिना किसी आपात स्थिति के भिक्षु किसी नगर या गाँव मे दोपहर के बाद जाना चाहता हो तो उसे दूसरे भिक्षु से पाली मे अन्य भाषा मे कहकर अनुमति लेनी होगी |

पाली मे गाथा

“विकाले गामप्पवेसनं अपुच्छामि”

यदि दूसरा भिक्षु अनुमति देता है तो भिक्षु दोपहर के बाद गाँव या नगर मे प्रवेश कर सकता है | यदि दो भिक्षु दोपहर के बाद गाँव या नगर मे मिलना चाहते हो तो उने पहले से ही एक दूसरे कि अनुमति लेनी होगी| ऐसा करने से कोई दोष (आपत्ति) नहीं होती |

- **पाचित्तिया 86** :- भिक्षुने सुई कि कुप्पी(बॉक्स) बनाने के लिए हड्डी, दाँत , या सींग का उपयोग नहीं करना है |

यदि भिक्षु सुई कि कुप्पी बनाने के लिए हड्डी, दाँत, किसी प्राणी के सींग का उपयोग करे तो वह उस भिक्षु कि पाचित्तीया आपत्ति होती है |

उस भिक्षु को कप्पी फोड़कर उसी दिन आपत्ति देसना करनी होगी |

भिक्षुने अपने से या किसी दूसरे के मदत से हड्डी, दाँत, या सींग का उपयोग कर सुई कि कप्पी नहीं बनवाणी है यदि भिक्षु ऐसा करता है तो उस भिक्षु कि **दुक्कट** आपत्ति होती हैं; ओर यदि कप्पी पूरी बन जाए ओर भिक्षु उसे स्वीकार कर तो वह उस भिक्षु कि पाचित्तीया आपत्ति होती है |

उस भिक्षुने उस कप्पी को तोड़ फोड़ कर नष्ट करने के बाद पाचित्तीया कि आपत्ति देसना करनी चाहिए |

- **पाचित्तिया 87** :- भिक्षुने पलंग या कुर्सी बनाते समय उसका प्रमाण 65 सेंटिमीटर (2 फीट 2 इंच) से ज़्यादा नहीं रखना है |

जो कोई भिक्षु पलंग या कुर्सी अपने लिए बनाता या किसी से बनवाता है तो उस पलंग या कुर्सी का माप 65 सेंटीमीटर (2 फिट 2 इंच) इतना रखना चाहिए यदि भिक्षु इससे ज़्यादा माप का पलंग या कुर्सी बनाए या बनवाए तो उस भिक्षु की पाचित्तीया आपत्ति होती है |

उस भिक्षु को उस पलंग या कुर्सी के पाव काटकर सही माप मे लाना चाहिए ओर उसी दिन आपत्ति देसना करनी होगी |

- **पाचित्तिया 88** :- भिक्षुने रुई (कॉटन) से बने गद्दे , तकिये या आसन या ऐसे कपड़े जो रुई से भरे गए हो इनका उपयोग नहीं करना है |

जो कोई भिक्षु रुई (कॉटन) का उपयोग तकिया, गद्दे या आसान (निस्सीदन) या किसी कपड़े मे रुई को भरकर या किसी ओर से भरवाकर या बनवाकर उसका उपयोग बैठने , लेटने , सोने के लिए करता है तो वह उस भिक्षु की पाचित्तीया आपत्ति होती है |

उस भिक्षु को उसी दिन आपत्ति देसना करनी होगी |

यदि भिक्षु बीमार या रोगी नहीं है तो उसे लेटने, बैठने या सोने के लिए रुई से बने किसी भी वस्तु का उपयोग नहीं करना है |

- **पाचित्तिया 89** :- भिक्षुने बैठने का आसन (निस्सीदन) बनाते समय उसका प्रमाण 2.20 मीटर गुणा 1.72 मीटर (7 फीट 2.61 इंच गुणा 5 फीट 8 इंच) इतना रखना चाहिए ओर इससे ज़्यादा का प्रमाण नहीं रखना है |

यदि भिक्षु निस्सीदन बनाते या किसी ओर से बनवाते समय इन बातों को स्मरण नहीं रखता या जो माप दिया गया है उससे अधिक माप का निस्सीदन बनाता या बनवाता है तो वह भिक्षु कि पाचित्तीया आपत्ति होती है |
उस भिक्षु को निस्सीदन का अधिक माप का कपड़ा काटकर उसी दिन आपत्ति देसना करनी होगी|

- **पाचित्तिया 90** :- भिक्षुने कुष्ठ (ज़ख़म) को ढकने वाला चीवर बनाते या बनवाते समय उसका का प्रमाण 4.50 मीटर गुणा 2.20 मीटर ज्यादा नहीं रखना है |

  यदि भिक्षु इससे ज़्यादा का माप रखे तो वह भिक्षु की पाचित्तीया आपत्ति होती है |

  टीप्पणी :- आजकल ऐसे चीवर का उपयोग नहीं होता है |

- **पाचित्तिया 91** :- भिक्षुने वस्सिकसाटिक(वर्षा के समय उपयोग मे आनेवाला चीवर) बनवाते समय उसका प्रमाण 6.50 मीटर गुणा 2.70 मीटर रखना है इससे ज़्यादा का प्रमाण नहीं रखना है |

यदि भिक्षु इस माप से ज़्यादा का वस्सिकसाटिक चीवर बनवाता है तो वह उस भिक्षु की पाचित्तीया आपत्ति होती है |

यह चीवर केवल वर्षा (बारिश) के समय मे ही उपयोग मे आता है | इसका अधिष्ठान केवल वर्षा ऋतु मे ही किया जाता है |

टीप्पणी :- आजकल ऐसे चीवर का उपयोग नहीं होता है |

- **पाचित्तिया 92** :- भिक्षुने अपने लिए चीवर बनाते या बनवाते समय उसका प्रमाण 10 मीटर गुणा 6.50 मीटर (32 फीट गुणा 21 फिट) इतना हि रखना चाहिए इससे ज़्यादा का प्रमाण नहीं रखना है |

इससे ज़्यादा का प्रमाण लेकर कोई भिक्षु चीवर बनवाता है तो वह भिक्षु की पाचित्तीया आपत्ति होती है

टीप्पणी :- यह प्रमाण भगवान बुद्ध जी के लंबाई ओर चौड़ाई से लिया गया है ओर उस समय मे लोग आज की तुलना मे अधिक लंबे ओर चौड़े होते थे |

चार पाटिदेसनीया आपत्ति (दोष)

- **पाटिदेसनिया 1 :-** भिक्षुने भिक्षुणी द्वारा बनाया गया भोजन स्वीकार नहीं करना है |

जो कोई भिक्षु गाँव मे रिश्तों मे न आनेवाली भिक्षुणी के द्वारा दिया गया खाद्य पदार्थ (भोजन) हात या पात्र मे स्वीकार

करता है तो वह उस भिक्षु की **दुक्कट** आपत्ति होती है; ओर जब भोजन ग्रहण करने लगता है तो प्रत्येक निवाले के साथ उस भिक्षु की **पाटिदेसनिया** आपत्ति होती है |

पाटिदेसनिया आपत्ति भिक्षु को अलग से प्रकट करनी होती है; इसके लिए चार भिक्षुओं के सामने पाली भाषा मे उच्चारण कर इस दोष को बताकर इसका शुद्धिकरण किया जाता है |

पाली मे पाटिदेसनिया आपत्ति देसना

" गारयहं आवुसो धम्मं आपज्जिं असप्पायं पाटिदेसनीयं, तं पाटिदेसेमी" ति |

उसी दिन यह आपत्ति देसना भिक्षु को करनी होगी |

- **पाटिदेसनिया 2 :-** जो भिक्षुणीया भोजन दान के समय भिक्षुओं को सेवा दे रही हो तो उन भिक्षुणीओं को भिक्षुओं ने दूर स्थान पर या एक ओर चले जाने के लिए कहना चाहिए |

भिक्षुगण को गृहस्थों के घरों में मिले हुये निमंत्रण पर भोजन के लिए जाने पर अगर वहाँ भोजन – दान का अनुशासन कोई भिक्षुणी कर रही हो, और वह भिक्षुणी ऐसी बोलती हो "हे गृहपति, यहाँ व्यंजन बांटो, यहाँ भात बांटो" तब उन भिक्षुओं के द्वारा उस भिक्षुणी को ऐसा बोलना चाहिए "हे बहन, भिक्षुसंघ भोजन ग्रहण करने तक यहाँ से एक ओर चली जाओं"

अगर एक भी भिक्षु उस भिक्षुणी को ऐसा न बोले कि "हे बहन, भिक्षुसंघ भोजन ग्रहण करने तक यहाँ से एक ओर चली जाओ" तो वह उन सभी भिक्षुओं कि पाटिदेसनीया आपत्ति होती है |

उसी दिन भिक्षु को पातिदेसनीया आपत्ति देसना करनी होगी |

- **पाटिदेसनिया 3 :-** भिक्षुने सेख- सम्मत (मार्गफल प्राप्त परिवार) के घर से बिना निमंत्रण के भोजन स्वीकार नहीं करना है |

  जो कोई भिक्षु सेख- सम्मत (मार्गफल प्राप्त परिवार) जिसे भिक्षु संघ ने मान्यता दि हो ऐसे घर से बिना निमंत्रण मिले स्वस्थ रहते हुए खाद्य – भोज्य स्वयं अपने हाथों से स्वीकार करके खाए तो वह भिक्षु की पाटिदेसनिया आपत्ति होती है |

उसी दिन भिक्षु को पातिदेसनीया आपत्ति देसना करनी होगी |

- **पाटिदेसनिया 4 :-** भिक्षुने दान दाताओं को विहार के आसपास खतरे की चेतावनी दिए बिना उनके द्वारा दिए गए भोजन को स्वीकार नहीं करना है |

जो कोई भिक्षु शहर या गाँव के बाहर किसी जंगल मे रहता हो जो भयानक ओर खतरनाक गतिविधि के लिए जाना जाता हो; जहाँ चोर,डाकु, लुटेरे लोगों को लुटते है, या हत्या करते है | ऐसी जगह के बारे मे पहले से हि उपासक या दायक को भिक्षुने चेतावनी या सूचित करना चाहिए | यदि भिक्षु उस उपासक को खतरे की पूर्वसूचना दिये बिना उसके दिये गए भोजन स्वीकार कर

ग्रहण करता है तो उस भोजन के प्रत्येक निवाले के साथ उस भिक्षु की पाटिदेसनिया आपत्ति होती है |

उसी दिन भिक्षु को पातिदेसनीया आपत्ति देसना करनी होगी |

75 सेखिया नियम

भगवान बुद्ध ने भिक्षु ओर सामनेर को आचरण से ओर अनुशासन मे रहने के लिए 75 सेखिया बताए है | भिक्षु ओर सामनेर ने इन नियमों को अच्छी प्रकार समझकर इनका सक्ती से पालन करना चाहिए |

जो कोई भिक्षु सेखिया नियमों को अनादर करता है या इन मे से किसी भी सेखिया नियमों का पालन नहीं करता तो वह उस भिक्षु की **दुक्कट** आपत्ति होती है |

यदि कोई सामनेर इन सेखिया नियमों पालन नहीं करता है तो उसे दंड दिया जाता है |

यदि कोई बीमार भिक्षु इन सेखिया नियमों का पालन नहीं करता तो भिक्षु कि कोई दोष या आपत्ति नहीं है |

सेखिया 1 :- अंतरवास को परिमंडल कर के पहनूंगा, ऐसी शिक्षा ग्रहण करता हूँ | :-

भिक्षु ओर सामनेर ने अपने अंतरवास को अच्छे तरीके से परिमंडल कर पहनना है ओर वह अंतरवास घुटनो से आठ अंगुल नीचे होना चाहिए ओर चारो ओर से अंतरवास के किनारे समान होने चाहिए |

(आपातकाल, बीमारी या भयावह स्थिति मे भिक्षु यह नियम तोड़ता है तो कोई दोष नहीं है|)

सेखिया 2 :- शरीर को चारों ओर से ढ़ककर (परिमंडल) कर चीवर (उत्तरासंग) पहनूंगा, ऐसी शिक्षा ग्रहण करता हूँ | :-

भिक्षु ओर सामनेर ने अपने चीवर (उत्तरसंग) को अच्छे तरी के परिमंडल कर पहनना है वह उत्तरासंग घुटनो से आठ अंगुल नीचे होना चाहिए ओर चारो ओर से उत्तरासंग के किनारे समान होने चाहिए |

(आपातकाल, बीमारी या भयावह स्थिति मे भिक्षु यह नियम तोड़ता है तो कोई दोष नहीं है|)

सेखिया 3 :- अच्छी तरह से चीवर पहनकर गाँव के अंदर जाऊँगा, ऐसी शिक्षा ग्रहण करता हूँ | :-

भिक्षु ओर सामनेर ने अच्छे से परिमंडल कर याने उत्तरासंग को गले से लेकर अपनी कलाई तक पूरा ढ़क लेना चाहिए |

कुछ ऐसी परीस्थितिया जहा परिमंडल आवश्यक है |

1. जब भिक्षु या सामनेर विहार या कुटी से बाहर जाता है जहाँ लोग रहते हो |
2. चारिका (पिंडपात) के समय |

3. उपासक के यहाँ भोजनदान निमंत्रण के समय |
4. धम्म सिखाते समय |
5. भिक्षु संघ के बड़े समारोह मे (याने उपोसथ, पवारण, गाथाओं का पाठ करते समय |
6. गृहस्थों को आदेश देते समय |
7. जब गृहस्थ भगवान बुद्ध को विहार मे वंदन करने आते हो |

कुछ ऐसी परीस्थितिया जहा परिमंडल आवश्यक नही है |

1. जब भिक्षु या सामनेर विहार मे या विहार के सीमा मे हो |
2. जहा भिक्षु या सामनेर एक रात के लिए आराम करता है जो अस्थायी निवास हो |
3. ऐसी जगह जहाँ गृहस्थ नहीं रहते हो |

सेखिया 4 :- अच्छी तरह से चीवर पहनकर गाँव के अंदर बैठूँगा , ऐसी शिक्षा ग्रहण करता हूँ | :-

भिक्षु ओर सामनेर ने अच्छे से परिमंडल कर याने उत्तरासंग को गले से लेकर अपनी कलाई तक पूरा ढ़क लेना चाहिए |

सेखिया 5 :- गाँव के अन्दर अच्छी तरह संयमित होकर जाऊँगा, ऐसी शिक्षा ग्रहण करता हूँ | :-

हाथ या पैर से खेलते हूए गाँव या नगर के अन्दर प्रवेश नहीं करूंगा |

सेखिया 6 :- गाँव के अन्दर अच्छी तरह संयमित होकर बैठूँगा , ऐसी शिक्षा ग्रहण करता हूँ |:-

सेखिया 7 :- गाँव नीची नजर रखते हूए जाऊँगा ऐसी शिक्षा ग्रहण करता हूँ |:-

सेखिया 8 :- गाँव नीची नजर रखते हूए बैठूँगा ऐसी शिक्षा ग्रहण करता हूँ |:-

सेखिया 9 :- गाँव मे चीवर को उठाते हुए नहीं जाऊँगा ऐसी शिक्षा ग्रहण करता हूँ |:-

सेखिया 10 :- गाँव मे चीवर को उठाते हुए नहीं बैठूँगा ऐसी शिक्षा ग्रहण करता हूँ |:-

सेखिया 11 :- ज़ोर से हँसते हुए गाँव के अन्दर नहीं जाऊँगा ऐसी शिक्षा ग्रहण करता हूँ |:-

सेखिया 12 :- ज़ोर से हँसते हुए गाँव के अन्दर नहीं बैठूँगा ऐसी शिक्षा ग्रहण करता हूँ |:-

सेखिया 13 :- निशब्द होकर गाँव के अन्दर जाऊँगा, ऐसी शिक्षा ग्रहण करता हूँ |:-

सेखिया 14 :- निशब्द होकर गाँव के अन्दर बैठूँगा, ऐसी शिक्षा ग्रहण करता हूँ |:-

सेखिया 15 :- शरीर को बिना हिला – डुलाकर गाँव के अन्दर जाऊँगा, ऐसी शिक्षा ग्रहण करता हूँ |:-

सेखिया 16 :- शरीर को बिना हिला – डुलाकर गाँव के अन्दर बैठूँगा, ऐसी शिक्षा ग्रहण करता हूँ |:-

सेखिया 17 :- हाथ को बिना हिला – डुलाकर गाँव के अन्दर जाऊँगा, ऐसी शिक्षा ग्रहण करता हूँ |:-

सेखिया 18 :- हाथ को बिना हिला – डुलाकर गाँव के अन्दर बैठूँगा, ऐसी शिक्षा ग्रहण करता हूँ |:-

सेखिया 19 :- सिर को बिना हिला – डुलाकर गाँव के अन्दर जाऊँगा, ऐसी शिक्षा ग्रहण करता हूँ |:-

सेखिया 20 :- सिर को बिना हिला – डुलाकर गाँव के अन्दर बैठूँगा, ऐसी शिक्षा ग्रहण करता हूँ |:-

सेखिया 21 :- कमर पर हाथ रखकर गाँव के अन्दर नहीं जाऊँगा, ऐसी शिक्षा ग्रहण करता हूँ |:-

सेखिया 22 :- कमर पर हाथ रखकर गाँव के अन्दर नहीं बैठूँगा, ऐसी शिक्षा ग्रहण करता हूँ |:-

सेखिया 23 :- सिर को चीवर से ढ़ककर गाँव के अन्दर नहीं जाऊँगा, ऐसी शिक्षा ग्रहण करता हूँ |:-

सेखिया 24 :- सिर को चीवर से ढ़ककर गाँव के अन्दर नहीं बैठूँगा, ऐसी शिक्षा ग्रहण करता हूँ |:-

सेखिया 25 :- पैर के पंजों के बल पर गाँव के अन्दर नहीं बैठूँगा, ऐसी शिक्षा ग्रहण करता हूँ |:-

सेखिया 26 :- गाँव के अन्दर दोनों हाथों या कपड़ों से पैर को बांधकर नहीं बैठूँगा, ऐसी शिक्षा ग्रहण करता हूँ |:-

सेखिया 27 :- ध्यान–पूर्वक भोजन स्वीकार करूँगा, ऐसी शिक्षा ग्रहण करता हूँ |:-

सेखिया 28 :- पात्र की ओर ध्यान रखते हुए भोजन स्वीकार करूँगा, ऐसी शिक्षा ग्रहण करता हूँ |:-

सेखिया 29 :- भात के अनुसार जितने व्यंजन (डाल, सब्जी,तरी) की जरूरत पड़े उतना हीं स्वीकार करूँगा, ऐसी शिक्षा ग्रहण करता हूँ |:-

सेखिया 30 :- पात्र के बराबर भोजन स्वीकार करूँगा, ऐसी शिक्षा ग्रहण करता हूँ |:-

सेखिया 31 :- ध्यान-पूर्वक भोजन करूँगा, ऐसी शिक्षा ग्रहण करता हूँ |:-

सेखिया 32 :- पात्र की ओर ध्यान रखते हुए भोजन करूँगा, ऐसी शिक्षा ग्रहण करता हूँ |:-

सेखिया 33 :- पात्र की एक ओर से भोजन करूँगा, ऐसी शिक्षा ग्रहण करता हूँ |:-

सेखिया 34 :- उचित मात्रा के अनुसार व्यंजन लेकर भोजन करूँगा, , ऐसी शिक्षा ग्रहण करता हूँ |:-

सेखिया 35 :- भोजन को उपर से मिश्रित कर नहीं खाऊँगा, ऐसी शिक्षा ग्रहण करता हूँ |:-

सेखिया 36 :- व्यंजन (डाल, सब्जी,तरी) ज़्यादा लेने की ईच्छा से व्यंजन को भात से नहीं ढ़कूँगा, ऐसी शिक्षा ग्रहण करता हूँ |:-

सेखिया 37 :- स्वस्थ रहते हुए अपने लिए भात ओर व्यंजन (डाल, सब्जी,तरी) तैयार करवाकर नहीं खाऊँगा, ऐसी शिक्षा ग्रहण करता हूँ |:-

सेखिया 38 :- मजाक उड़ाने की चाह से दूसरों के पात्र की ओर नहीं देखूंगा, ऐसी शिक्षा ग्रहण करता हूँ |:-

सेखिया 39 :- बड़े-बड़े ग्रास (कौर निवाले) बनाकर नहीं खाऊँगा, ऐसी शिक्षा ग्रहण करता हूँ |:-

सेखिया 40 :- ग्रास को पिंड बनाकर खाऊँगा, ऐसी शिक्षा ग्रहण करता हूँ |:-

सेखिया 41 :- ग्रास को मुख तक बिना लाए, मुख नहीं खोलूँगा, ऐसी शिक्षा ग्रहण करता हूँ |:-

सेखिया 42 :- भोजन करते समय पूरे हाथ को मुख मे नहीं डालूँगा, ऐसी शिक्षा ग्रहण करता हूँ |:-

सेखिया 43 :- ग्रास भरे मुख से बात नहीं करूँगा, ऐसी शिक्षा ग्रहण करता हूँ |:-

सेखिया 44 :- ग्रास को उछाल – उछालकर भोजन नहीं करूँगा, ऐसी शिक्षा ग्रहण करता हूँ |:-

सेखिया 45 :- हाथ मे लिया ग्रास को बार – बार काटकर भोजन नहीं करूँगा, ऐसी शिक्षा ग्रहण करता हूँ |:-

सेखिया 46 :- गाल फुला – फुलाकर भोजन नहीं करूँगा, ऐसी शिक्षा ग्रहण करता हूँ |:-

सेखिया 47 :- हाथ को झाड़ते हुए भोजन नहीं करूँगा, ऐसी शिक्षा ग्रहण करता हूँ |:-

सेखिया 48 :- जूठन को बिखेर – बिखेरकर भोजन नहीं करूँगा, ऐसी शिक्षा ग्रहण करता हूँ |:-

सेखिया 49 :- जीभ को बाहर निकाल – निकालकर भोजन नहीं करूँगा, ऐसी शिक्षा ग्रहण करता हूँ |:-

सेखिया 50 :- मुख से चप – चप की आवाजें निकालते हुए भोजन नहीं करूँगा, ऐसी शिक्षा ग्रहण करता हूँ |:-

सेखिया 51 :- मुख से सुर – सुर की आवाजें निकालते हुए नहीं पीऊँगा, ऐसी शिक्षा ग्रहण करता हूँ |:-

सेखिया 52 :- हाथ को चाटते हुए भोजन नहीं करूँगा, ऐसी शिक्षा ग्रहण करता हूँ |:-

सेखिया 53 :- पात्र को चाटते हुए भोजन नहीं करूँगा, ऐसी शिक्षा ग्रहण करता हूँ |:-

सेखिया 54 :- ओंठ को को चाटते हुए भोजन नहीं करूँगा, , ऐसी शिक्षा ग्रहण करता हूँ |:-

सेखिया 55 :- जूठे हाथ से पानी का बर्तन स्वीकार नहीं करूँगा, ऐसी शिक्षा ग्रहण करता हूँ |:-

सेखिया 56 :- पात्र का धोया हुआ जूठा पानी गाँव के अंदर नहीं फेकूंगा, ऐसी शिक्षा ग्रहण करता हूँ |:-

सेखिया 57 :- छाता ओढ़े स्वस्थ व्यक्ति को धर्म-प्रवचन नहीं करूँगा, ऐसी शिक्षा ग्रहण करता हूँ |:-

सेखिया 58 :- हाथ मे डंडा लिए स्वस्थ व्यक्ति को धर्म-प्रवचन नहीं करूँगा, ऐसी शिक्षा ग्रहण करता हूँ |:-

सेखिया 59 :- चाकू, तलवार आदि शस्त्र अपने साथ लिए स्वस्थ व्यक्ति को धर्म-प्रवचन नहीं करूँगा, ऐसी शिक्षा ग्रहण करता हूँ |:-

सेखिया 60 :- धनुष, बंदूक आदि औजार अपने साथ लिए स्वस्थ व्यक्ति को धर्म-प्रवचन नहीं करूँगा, ऐसी शिक्षा ग्रहण करता हूँ |:-

सेखिया 61 :- चप्पल पहने स्वस्थ व्यक्ति को धर्म-प्रवचन नहीं करूँगा, ऐसी शिक्षा ग्रहण करता हूँ |:-

सेखिया 62 :- जूते पहने स्वस्थ व्यक्ति को धर्म-प्रवचन नहीं करूँगा, ऐसी शिक्षा ग्रहण करता हूँ |:-

सेखिया 63 :- वाहन पर सवार हुए स्वस्थ व्यक्ति को धर्म-प्रवचन नहीं करूँगा, ऐसी शिक्षा ग्रहण करता हूँ |:-

सेखिया 64 :- बिस्तर पे लेटे हुए स्वस्थ व्यक्ति को धर्म-प्रवचन नहीं करूँगा, ऐसी शिक्षा ग्रहण करता हूँ |:-

सेखिया 65 :- अपने दोनों हाथों या कपड़ों से पैर को बांधकर बैठे हुए स्वस्थ व्यक्ति को धर्म-प्रवचन नहीं करूँगा, ऐसी शिक्षा ग्रहण करता हूँ |:-

सेखिया 66 :- सर पर पगड़ी या टोपी पहने स्वस्थ व्यक्ति को धर्म-प्रवचन नहीं करूँगा, ऐसी शिक्षा ग्रहण करता हूँ |:-

सेखिया 67 :- सर ढ़के हुए स्वस्थ व्यक्ति को धर्म-प्रवचन नहीं करूँगा, ऐसी शिक्षा ग्रहण करता हूँ |:-

सेखिया 68 :- स्वयं भूमि पर बैठकर आसन पर बैठे हुए स्वस्थ व्यक्ति को धर्म-प्रवचन नहीं करूँगा, ऐसी शिक्षा ग्रहण करता हूँ |:-

सेखिया 69 :- स्वयं नीचा आसन पर बैठकर ऊँचे आसन पर बैठे हुए स्वस्थ व्यक्ति को धर्म-प्रवचन नहीं करूँगा, ऐसी शिक्षा ग्रहण करता हूँ |:-

सेखिया 70 :- स्वयं खड़े होकर, बैठे हुए स्वस्थ व्यक्ति को धर्म-प्रवचन नहीं करूँगा, ऐसी शिक्षा ग्रहण करता हूँ |:-

सेखिया 71 :- स्वयं पीछे चलते हुए आगे चलने वाले स्वस्थ व्यक्ति को धर्म-प्रवचन नहीं करूँगा, ऐसी शिक्षा ग्रहण करता हूँ |:-

सेखिया 72 :- स्वयं रास्ते से हटकर, रास्ते पर चलते हुए स्वस्थ व्यक्ति को धर्म-प्रवचन नहीं करूँगा, ऐसी शिक्षा ग्रहण करता हूँ |:-

सेखिया 73 :- स्वस्थ रहते हुए खड़े होकर मल-मूत्र नहीं करूँगा, , ऐसी शिक्षा ग्रहण करता हूँ |:-

सेखिया 74 :- स्वस्थ रहते हुए हरे घास पर मल-मूत्र नहीं करूँगा ओर नाही थूकूंगा, ऐसी शिक्षा ग्रहण करता हूँ |:-

सेखिया 75 :- स्वस्थ रहते हुए स्वच्छ जल मे मल-मूत्र नहीं करूँगा, ऐसी शिक्षा ग्रहण करता हूँ |:-

7 अधिकरण समथ

भिक्षुसंघ के बीच मे उत्पन्न होने वाले कलह, झगड़े को सुलझाने के सात तरीकों को बताया गया है इसे अधिकरण समथ कहते है |

चार प्रकार के विवादों के नीचे दिया गया है |